Thursday, 16 November, 1972

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
13-8-92
Fumigated
On 15-2-84
Parliament Library

खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

अंक 4, गुरुवार, 16 नवम्बर 1972/25 कार्तिक, 1894 (शक)

No. 4, Thursday, November 16, 1972/Kartika 25, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		

61. पाकिस्तान में उन स्थानों पर पुनः विमान भेदी तोपों का लगाया जाना जहां से उन्हें पहले हटा लिया गया था।	Presence of anti-aircraft guns in formerly abandoned sites in Pakistan	1—2
65. सेलम में विशेष इस्पात का कारखाने के प्रबन्ध के लिये एक नई कम्पनी की स्थापना	Setting up a new Company to manage special Steel Plant at Salem	2—5
66. भारत में निर्वासित तिब्बत सरकार बनाने के बारे में चीन का भारत पर आरोप	Chinese allegation regarding forming a Tibetan Government in exile in India	5—6
67. अरब तथा अफ्रीकी देशों को सैनिक शस्त्रास्त्रों का निर्यात	Export of Military Hardware to Arabian and African Countries	6—7
68. हीरों की खोज करने के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को आवंटित धन राशि	Funds allocation to NMDC for sampling of Diamonds	7—10
69. बोनस फार्मूला के एक खंड के संबन्ध में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की असहमति	AITUC disagreement to a Clause in Bonus Formula	10—15
70. पाकिस्तानी विस्थापितों की वापसी	Return of Pakistani displaced persons	15
71. हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा का अंशदान न दिया जाना	ESI contributions not paid by Hoogly Docking and Engineering Company Limited	15—17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्र० संख्या विषय S. Q. Nos.	Subject	पृ० Pages
73. बंगला देश सहायता सामान के खुले बाजार में पहुंच जाने के समाचार	Reported leakage of Bangladesh Relief supplies into Open Market	17—19

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

63. दुर्गापुर में मिश्र धातु इस्पात संयंत्र में उत्पादन बढ़ाना	Expansion of production of Alloy Steel Plant at Durgapur	19
64. इण्डो-चीन सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग	International Control Commission on IndoChina	19—20
72. हिन्द महासागर में रूसी नौ-सैनिक जहाज	Soviet Naval presence in India Ocean	20
74. कोयला खान श्रमिकों के लिये मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of Recommendations of Wage Board for Coal Mines Workers	20—21
75. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिये न्यूनतम दैनिक मजूरी	Minimum Daily Wage for Construction Workers	21
76. बलिया (उत्तर प्रदेश) में लौह-अयस्क संयंत्र की स्थापना	Setting up of an Iron Ore Plant at Ballia U.P.	21
77. बेल्लारी तथा हास्पेट से निर्यात हेतु निकाला गया लौह अयस्क	Iron Ore extracted from Bellary and Hospet for Export	21—22
78. केरल में बडगरा के निकट पारे की उपलब्धता के बारे में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था का प्रतिवेदन	Report of Geological Survey of India regarding Mercury occurence near Badgara in Kerala	22
79. हांगकांग में भारतीय आयुक्त के लिये मकान का अधिक किराया	High Rent for House for Indian Commissioner at Hong Kong	22—23
80. राजनैतिक मामलों में पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिये रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति को विरोध पत्र	Protest with International Committee of Red Cross for siding Pakistan on Political Issues	23

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

601. पाकिस्तानी सेना द्वारा हाजीपुर क्षेत्र में भारतीय सेना की बटालियन पर आक्रमण	Indian Batallion attacked by Pakistani Forces in Hazipur Sector	23

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
603.	प्रीमियर ग्राटोमोबाइल्स के कर्मचारियों का सेवा से निकाला जाना	Removal of Employees of Premier Automobiles from Service	24
604.	सिविलियन स्टोरकीपरों की तैनाती पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Posting of Civilian Store Keepers	24
605.	सरकारी ग्रावासों में निजी संस्थायें	Private Institutions in Government Residential Accommodations	24
606.	नई दिल्ली होटल में एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी द्वारा कथित ग्रात्म हत्या	Alleged Suicide by an IFS Officer at New Delhi Hospital	24—25
607.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० में प्रोटोपाइप टैलीविजन रिसीवर का बनाया जाना	Development of a Prototype T.V. Receiver in HAL	25—26
608.	पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारत बंगला देश संयुक्त कमान के सम्मुख आत्म समर्पण	Surrender of Pakistani Forces before Joint Indo-Bangladesh Command	26
609.	विदेशों में भारतीय मिशनों का कार्यकरण	Functioning of Indian Missions Abroad	26—27
610.	विदेशों में नए सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना	Opening of New Cultural Centres Abroad	27
611.	बंगला देश के शरणार्थियों के लिये इण्डियन रेड क्रास सोसायटी द्वारा प्राप्त सहायता	Aid Received by Indian Red Cross Society for Bangladesh Refugees	27—28
612.	विशाखापतनम ग्रोर हेन्डलिंग प्लान्ट एम्पलायीज एसोसिएशन की मांगों सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on Demands of Ore Handling Plant Employees' Association, Visakhapatnam	28
613.	पिछले गणतन्त्र दिवस की परेड में स्कूलों द्वारा भाग लेना	Participating Schools in Last Republic Day Prade	28
614.	मैसूर ग्रायरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती के कार्यों की जांच	Inquiry into Affairs of Mysore Iron and Steel Ltd. Bhadravati	29

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
615.	बैलाडीला में गुलेली बनाने का संयंत्र	Pellatisation Plant at Bailadilla	30
616.	श्रमिक प्रबन्ध सुधारने की योजनाएं	Plans to Improve Labour Management Relations	30
617.	मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क, भद्रावती में तालाबन्दी	Lock out in Mysore Iron and Steel Work at Bhadrabati	30—31
619.	युगांडा से एशियाई मूलक व्यक्तियों के निष्कासन से उत्पन्न समस्याओं का हल करने के बारे में अफ्रीका देशों से की गयी अपील	Appeal to African Countries for Solving Problems following from Expulsion of Asians from Uganda	31
620.	भारत इंजीनियरिंग निगम, राँची को हुई हानि	Losses suffered by HEC Ranchi	31—32
622.	हिन्दालकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली सप्लाई न किये जाने के कारण एल्युमिनियम का आयात	Import of Alluminium to non-supply of power by U.P. Government to Hindalco	32—33
623.	लैटिन अमरीकी देशों के भारत में मिशन और भारत के इन देशों में मिशन	Mission of Latin American Countries in India and vice versa	33—34
624.	भारत में पनडुब्बी का निर्माण करना	Manufacture of Submarine in India	34
625.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का विस्तार	Expansion of Public Sector Steel Plants	34—35
626.	बर्मा से वापस आये भारतीयों का पुनर्वास	Rehabilitation of Indian Repatriates from Burma	35—36
627.	युगांडा से लौट कर आए व्यक्तियों को राहत देना	Grant of Relief to repatriats from Uganda	36
628.	भारतीयों का युगांडा से निष्कासन	Expulsion of Indians from Uganda	36—37

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
629.	युगांडा से एशियाई व्यक्तियों के निष्कासन से उत्पन्न स्थिति को संयुक्त राष्ट्र में उठाना	Decision to move U.N. over the situation arising from expulsion of Asians from Uganda	37
630.	अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के कार्यालय का सैगोन से हनोई स्थानान्तरित किया जाना	Shifting of India's delegation to ICC from Saigon to Hanoi	37—38
631.	सुचेतागढ़ में हुई नियंत्रण रेखा के रेखांकन सम्बन्धी भारत पा वार्ता में प्रगति	Progress in Suchetgarh talks between India and Pakistan on Delineation of line of control	38
632.	काश्मीर के कोटली सैक्टर में गोली चलाने का भारतीय सेना पर आरोप	Alleged firing in Kotli Sector in Kashmir by Indian troops	39
633.	लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारियों की संख्या में कमी करना	Reduction of Staff of Indian High Commission, London	39
634.	विजयनगरम और विशाखापतनम इस्पात संयंत्रों में अधिक उत्पादन	Higher production at Vijayanagram and Visakhapatnam Steel Plants	39—40
635.	मध्य प्रदेश में स्थित रामखड़िया खान में उत्पादन	Production at Ramkheria Mine in Madhya Pradesh	40
636.	शिमला समझौता की क्रियान्विति में पाकिस्तान द्वारा विलम्ब	Delay by Pakistan in Implementation of Simla Agreement	40—41
637.	बोनस पुनर्विचार समिति का प्रतिवेदन	Bonus Review Committee Report	41
638.	युगांडा से एशियाई मूलक व्यक्तियों के निष्कासन के बारे सोवियत समाचार पत्र (इजवेस्तिया' में टिप्पणी	Comments in Soviet Newspaper 'Izvestia' Supporting Uganda Action of Expelling Asians	41
639.	बंगला देश में भारतीय सेना की उपस्थिति के सम्बन्ध में चीनी आरोप	Chinese Allegation regarding Presence of Indian Military in Bangladesh	41—42

अता॰ प्र॰ संख्या विषय U. S. Q. Nos.		Subject	पृष्ठ Pages
640.	भारत स्थित तिब्बती शरणार्थियों की चीन विरोधी कथित गतिविधियां	Alleged Anti-China Activities by Tibetan Refugees in India	42
641,	न्यूनतम बोनस के प्रावधान में विभाग चालित वाणिज्यिक उपक्रमों का शामिल न किया जाना	Exclusion of Departmentally Run Commercial Undertakings from Provision of Minimum Bonus	42—43
642.	अमरीकी दूतावास द्वारा युद्ध बन्दियों को भागने में मदद देना	U.S.Mission's Help to P. O. W.'s for Escape	43
643.	बंगला देश से पुराने शरणार्थी परिवारों का वापस आना	Return of Old Refugees Families from Bangladesh	43
644.	अमरीका द्वारा की गई बमबारी के कारण हनोई स्थित भारतीय मिशन का क्षतिग्रस्त होना	Damage to Indian Mission at Hanoi Due to U.S. Bombing	44
646.	भारत की हिरासत में पाकिस्तानी असैनिकों और सैनिकों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Pakistani Civilians and Military in Custody of India	44—45
647.	कलकत्ता में इस्पात चुराने वाले गिरोह का पता लगाना	Detection of a Steel Stealing Racket in Calcutta	45
648.	भारतीय वायु सेना के विमानों की दुर्घटनाएं	IAF Plane Crashes	45—46
649.	लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी और उन पर होने वाला वार्षिक व्यय	Staff Employed by Indian High Commission at London and Annual Expenditure incurred	46
650.	गोदी श्रमिकों की अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने के लिये विधान	Legislation to ensure safe working Conditions of Dock Labour	46
651.	मजदूर संघों को मान्यता	Recognition to Trade Unions	46—47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
652.	छोटे औजार बनाने वाले उद्योग को हाई स्पीड स्टील की अपर्याप्त सप्लाई	Inadequate Supply of High Speed Steel to Small Tool Industry	47
653.	रोगी और घायल पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों की वापसी के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय रेड-क्रास समिति द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement Issued by International Committee of Red Cross regarding Repatriation of Sick and Wounded P. O· W's of Pakistan	47
654.	कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Employees Provident Fund	47—48
655.	केरल में नीलेश्वर में बाक्साइट की खोज सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report regarding exploration of Bauxite in Nileswar in Kerala	48—49
656.	कोजीकोड में लौह अयस्क के निक्षेप के लिये खोज	Investigation for Iron Ore Deposits at Kozhikode	49
657.	युगांडा से निकाले गये एशियाई लोगों को बसाने के प्रश्न पर राष्ट्रमंडल के देशों की प्रतिक्रिया	Response of Commonwealth Countries for setting of Asians thrown out of Uganda	49—50
658.	बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये देश में बने उपकरणों की लागत	Cost of Indigenous Equipment for Bokaro Steel Plant	50
659.	युगांडा में भारतीय राष्ट्रजनों के साथ दुर्व्यवहार	Maltreatment to Indian Nationals in Uganda	50—51
660.	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक के अधीन खानों के अंशधारियों को मुआवजे का भुगतान	Payment of Compensation to Shareholders of Mines under the Coal Mines (Nationalisation) Bill	51
661.	उत्तर प्रदेश जेल में युद्ध बन्दियों द्वारा अनुरक्षकों पर हमला	Escort attacked by POW's in U.P. Jail	51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
662.	हिन्द चीन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत को दक्षिण वियतनाम द्वारा न माना जाना	South Vietnam Derecognises India as Chairman of International Control Commission for Indo-China	52
663.	बंगला देश को राहत सामग्री की सप्लाई के प्रयोग के बारे में विदेशी दूतावासों द्वारा चिन्ता व्यक्त किया जाना	Concern expressed by Foreign Embassies re. fate of Relief supplies for Bangladesh	52
664.	लौह और इस्पात टैक्नालाजी पर टास्क फोर्स का गठन	Constitution of a Task Force on Iron and Steel Technology	52—53
665.	मिनी इस्पात संयंत्रों के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licences for Mini Steel Plants	53
666.	भारत और बंगला देश के सम्बन्धों को खराब करने के लिए सी० आई० ए० की गतिविधियाँ	CIA activities to sour relations between India and Bangladesh	53—54
667.	ब्रिटेन में रह रही भारतीय महिलाओं को अपने पति ब्रिटेन में लाने की अनुमति देने हुतु ब्रिटिश उत्प्रवास अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव	Suggestion to amend British Immigration Acts to permit Indian women residents of U.K, to Bring their husbands	54
668.	दिसम्बर युद्ध में पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये भारतीय राष्ट्रिक	Indian Nationals captured by Pakistan during December War	54
669.	देश के विभिन्न शिविरों से युद्धबन्दियों का भाग जाना	Escape of POWs from various camps in the country	55
670.	राजौरी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलीबारी	Firing by Pakistani Forces in Rajouri Sector	55
671.	गोआ में पाये गये बाक्साइट और मैंगनीज के भण्डार	Stocks of Bauxite and Manganese found in Goa	56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
673.	हांगकांग स्थित भारतीय मिशन द्वारा भारतीय स्वतन्त्रता की 25वीं वषर्गांठ मनाने के लिये की गई काकटेल पार्टी	Cocktail party to celebrate 25th Anniversary of Indian Independence by India Mission at Hongkong	56—57
674.	बंगला देश के शरणार्थियों के रिए राहत का सामान	Relief goods for Bangladesh Refugees	57
675	सिंगापुर के रक्षा दल द्वारा भारत का दौरा	Visit to Defence Team from Singapore to India	57
676.	आन्ध्र प्रदेश में इन्द्रियाल गांव के निकट भारतीय वायु सेना के वायुयान का दुर्घटनाग्रस्त होना	Crash of IAF plane near Indriyal village in Andhra Pradesh	57—58
677.	युगांडा से निकाले गये भारतीयों का पुनर्वास	Rehabilitation of Indians expelled from Uganda	58
678.	शाही फिजी सेना के चीफ आफ स्टाफ द्वारा भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान का दौरा	Visit by Chief of Staff of Royal Fiji Military Forces to Indian Defence Establishment	58
679.	अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास द्वारा पाकिस्तानी हिरासत में भारतीय असैनिक व्यक्तियों तथा लापता सैनिकों के प्रत्यावर्तन हेतु प्रयास	IRC efforts for repartriation of the Indian Civilians and unaccounted Defence Personnel in custody of Pakistan	59
680.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत एक स्थान पर अधिकारियों के काम करने की अवधि	Periods of Stay of Officers at one Station in EPF Organisation	59
681.	इलेक्ट्रानिक निगरानी उपकरण प्रणाली को अपनाने के लिये अमरीका से वार्ता	Talks with USA for acquiring Electronics Surveilance System	60
682.	हनोई स्थित भारतीय राजनयिक मिशन का दर्जा बढाया जाना	Upgradation of Indian Diplomatic Mission at Hanoi	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
683.	1972 के दौरान इस्पात के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent on Import of Steel during 1972	60—61
684.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कीमती मशीनरी का अप्रयुक्त पड़ा होना	Non-utilisation of costly machinery at Durgapur Steel Plant	61—62
685.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में धातुपिण्डों और विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन	Production of ingots and saleable Steel at IISCO	62—63
686.	युगांडा के स्वास्थय विभाग के लिये भारतीय डाक्टरों की भर्ती	Recruitment of Indian Doctors for Health Department of Uganda	63
687.	संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और उससे सम्बद्ध एजेन्सियों में काम कर रहे भारतीय	Indians working in U.N. Secretariat and its Allied Agencies	63
688.	केनिया, युगांडा और तंजानिया से निकाले गये पूर्वी अफ्रीका के 56 भारतीयों को टूरिन में हो रही कठिनाइयां	Hardships to 36 East African Indians in Turin Driven out of Kenya Uganda and Tanzania	63—64
689.	युगांडा से एशियाई व्यक्तियों के निष्कासन को रोकने के लिये भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न	Efforts by India at International level to check expulsion of Asians from Uganda	64
690.	पश्चिम बंगाल में बन्द हुए बीड़ी कारखाने	Bidi Factories closed in West Bengal	64
691.	गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के श्रम मंत्रियों की बैठक	Meeting of Labour Ministers of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Raiasthan	64—65
692.	इजरायल लेबनान सीमा पर हाल ही में भड़के युद्ध के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा अरब देशों का समर्थन	India's support to Arab countries in U.N. regarding recent flare-up on Israeli Labanese Borders	65

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
693.	भटिण्डा डिस्ट्रिक्ट जेल से युद्ध-बन्दियों का भाग जाना	Escape of P. O. W.'s from Bhatinda District Jail	65
694.	चीन द्वारा भारतीय सीमाओं के पार अन्तरद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र छोडना	Launching on IBM by China across Indian Borders	65—66
695.	आयातित इस्पात की किस्में और इसका कम्पनियों को वितरण	Types of Imported Steel and its distribution to Companies	66
696.	मजूदर संघों का पंजीकरण और उन्हें मान्यता देना	Registration and recognition of Trade Unions	67
697.	त्रिपुरा में बेरोजगारों की संख्या	Unemployed in Tripura	67—68
698.	पाकिस्तान के साथ आगामी शिखर सम्मेलन के लिये बंगला देश को मान्यता दिये जाने की शर्त रखा जाना	Recognition to Bangladesh as precondition to next summit meeting with Pakistan	68
699.	भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों की आलोचना के बारे में अमरीका की प्रतिक्रिया	U.S. reaction to criticism of CIA activities in India	68—69
700.	नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि	Increase in number of Job seekers	69—70
701.	भारत पाक युद्ध में अपंग हुए सैनिकों के लिये रोजगार	Jobs to disabled Soldiers of Indo-Pak War	70—71
702.	सात दिवसीय कार्य सप्ताह	Seven Day Week	71
703.	हैवी इंजीनियरिंग निगम द्वारा आई० बी० एम० से कम्प्यूटर किराये पर लेना	Hiring of a computer by HEC from IBM	71—72
704.	रोडेशिया पर लगाये गये आर्थिक प्रतिबंध	Economic Sanctions Imposed on Rhodesia	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
705.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मद्रास से भविष्य निधि की राशि प्राप्त होने में देरी	Delay in Receiving Provident Fund Amount from Regional Provident Fund Commissioner, Madras	72—73
706.	इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड कलकत्ता पर भारत रक्षा अधिनियम का लागू होना	Application of Defence of India Act to Indian Oxygen Limited, Calcutta	73
707.	राष्ट्रपति भुट्टो द्वारा भारत पाक सम्बन्धों के बारे में 'ब्लिटिज' के सम्पादक को दिये गये सुझाव	Suggestion by President Bhutto to 'Blitz' Editor on Indo-Pak Relations	73
708.	भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के ढांचे में परिवर्तन	Changes in Set up of Geological Survey of India	73—74
709.	गोलपाडा, आसाम से सैनिक स्कूल के लिये भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of Land for Sainik School in Goalpara, Assam	74—75
710.	युगांडा से लोटे भारतीयों को रोजगार देने में प्राथमिकता	Priority in Employment to Indian Repatriates from Uganda	75
711.	इस्पात के लिये नियंत्रक (होल्डिंग) कम्पनी का गठन	Formation of a Holding Company for Steel	75
712.	इस्पात की कमी	Shortage of Steel	75—76
713.	समान श्रम विधियां	Uniform Labour Laws	76
714.	तस्करी रोकने के लिये भारत बंगला देश सीमा बन्द करने का प्रस्ताव	Proposal to Seal Indo-Bangladesh Border to Check Smuggling	76
715.	श्री भुट्टो द्वारा भारत पर शिमला समझौते को कार्यान्वित न करने का आरोप	Statement by Mr. Bhutto Accusing India for not implementing the Simla Agreement	77
716.	औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि	Increase in Industrial Accidents	77
717.	चीन भारत सम्बन्ध	Sino Indian Relations	77—78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
718.	श्रम विधियों के कार्यान्वियन की समीक्षा	Review of Implementation of Labour Laws	—78
719.	मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में झघड़ा खंड कोयला खान के श्रमिकों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police firing on Workers of Jhaghara Khand Colliery Sarguja District M.P.	78—79
720.	कार्मिक संघों के सदस्यों की संख्या का सत्यापन और त्रिपक्षीय संस्थाओं, समितियों और सम्मेलनों में उनका प्रतिनिधित्व	Verification of Strength of Trade Unions and their Representation on Tripartite Bodies, Committees and Conferences	79—80
721.	कानपुर स्थित लक्ष्मी रतन काटन मिल्स के श्रमिकों की बकाया भविष्य निधि	Provident Fund dues of Workers of Laxmi Ratan Cotton Mills, Kanpur	80
722.	पश्चिमी बंगाल के इन्जीनियरिंग कारखानों में हड़ताल	Strike in Engineering Units in West Bengal	80
723.	हेन्डरसन / ब्रुक्स जांच समिति की रिपोर्ट की गोपनीय बातों का प्रकट हो जाना	Investigation in Re. to the leakage of Handerson Brook's Enquiry Report	81
724.	चद्दर मिल की स्थापना के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने को हुई हानि	Loss incurred by Durgapur Steel Plant due to Location of Sheet Mill	81
725.	भारत तथा पाकिस्तान के बीच नागरिक बन्दियों की अदलाबदली	Exchange of Civilians between India and Pakistan	81—82
726.	कुवेत को भारतीय टैंकों का विक्रय	Salb of Indian Tanks to Kuwait	82
727.	युद्ध अपराधों के लिये पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों पर मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में निर्णय	Dicision on Trial of Pak POWs fo War Crimes	82

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
728.	पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई पर नियंत्रण के बारे में भारत का संयुक्त राष्ट्र महा सभा में प्रस्ताव	Proposal by India in U.N. General Assembly for Control over Arms Supplied to Portugal and South Africa	82—84
729.	श्रमजीवी पत्रकारों के लिये तीसरा मंजूरी बोर्ड	Third Wage Board for working Journalists	84
730.	एस० ए० 315 हैलीकाप्टरों का निर्माण	Production of SA-315 Helicopetrs	84
731.	जम्मू और काश्मीर से भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेषक दल की वापसी	Withdrawal of UNMOGIP from Jammu and Kashmir	85
732.	देश में अलौह धातुओं का आयात तथा उत्पादन	Import and Production of Non-Ferrous Metals	85—87
733.	हिन्द महासागर में राष्ट्रमंडल नौसैनिक कार्य दल (टास्क फोर्स) के लिये ब्रिटेन का प्रस्ताव	British proposals for commonwealth Naval Task Force in Indian Ocean	87—88
734.	विमान दुर्घटनाओं के शिकार होने वाले केडेट पायलटों के आश्रितों को मुआवजा	Compensation to dependents of Cadet Pilots who become victims of Air Crashes	88
735.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात संयन्त्रों में बिक्री योग्य इस्पात का रिकार्ड उत्पादन	Record Product of Saleable Steel at HSL. Steel Plants	88
736.	कोयले पर कल्याण उपकर में वृद्धि	Rise in Welfare Cess on Coal	89
737.	वायु सेना के अधिकारियों के वेतन और विशेषाधिकारों की विषमता की ओर वेतन आयोग का ध्यान दिलाना	Pointing out discrepancy of pay and privileges of Officers of Air Force to pay Commission	89
738.	श्रमिक अशान्ति	Labour Unrest	89

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
739.	बसुआ खान मजदूर संघ, टेंसा के मजदूर को बर्खास्त करना	Dismissal of Workers of Basua Mines Workers' Union, Tensa	89—90
740.	कलकत्ता स्थित पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड के लिये कार्यालय भवन	Office Building for RIC Calcutta	90
741.	पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड की कार्यकारी पूंजी में कटौती	Cut in Working Capital of RIC Limited	90
742.	पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड में नये एककों की स्थापना के लिये धनराशि का आवंटन	Allocation of Fund for setting up of New Units in Rehabilitation Industries Corporation Limited	91
744.	युगांडा से निकाले जाने पर विभिन्न देशों में गये भारतीयों की संख्या	Number of Indians migrated to various countries on exist from Uganda	91
745.	वर्ष 1971 के चुनावों में प्रधान मन्त्री द्वारा विमान से यात्रा	Air Travel by Prime Minister during 1971 Elections	91—92
746.	भारतीय मजदूर संघ द्वारा सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने की मांग	B.M.S. demand for Bonus to Government Employees	92
747.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बजाये सलेम इस्पात संयन्त्र में स्टेनलैस स्टील बनाने के निर्णय का विरोध	Opposition to decision to manufacture Stainless Steel at Salem instead of at Durgapur Steel Plant	93
748.	पाकिस्तानी युद्धबन्दियों द्वारा फरूखाबाद स्थित शिविर तथा अन्य शिविरों से सुरंगे खोदकर भागना	Escape of Pakistani P.O.W.'s by Digging tunnels from Farrukhabad and other Camps	93
749.	भारत और पाकिस्तान के बीच बीमार और घायल युद्धबन्दियों की अदला बदली	Exchange of sick and Wounded P.O.W. between India and Pakistan	93—94

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
750.	नई दिल्ली स्थित शरणार्थी कालोनियों में प्लाटों की बिक्री	Disposal of plots in Refugee/colonies in New Delhi	94
751.	दक्षिण पूर्व एशियायी देशों की तटस्थता सम्बन्धी मलयेशियायी योजना	Malaysian Plan for neutralisation of South East Asian Countries	94
752.	सीमेंट कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय मजूरी ढाँचा	National wage structure for cement workers	94—95
753.	सलेम इस्पात संयंत्र में पश्चिम जर्मनी का सहयोग	West German collaboration in Salem Steel Plant	95
754.	गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयन्त्रों में उत्पादन	Production in Private Sector Steel Plants	95—96
755.	यंत्रीकरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Automation	96—97
756.	गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा किया गया व्यय	Expenditure by Indian Missions Abroad during last three years	97
757.	युद्ध बन्दियों का बचकर भाग निकलना तथा नेपाल पहुंचना	POWs escaped and reached Nepal	97
758.	मुकदमा चलाने के लिये युद्ध अपराधियों को बंगला देश को सौंपना	Handing over of War Criminals to Bangladesh for Trial	97—98
759.	लौह अयस्क बोर्ड की स्थापना	Setting up of Iron Ore Board	98
760.	पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड के इंजीनियरिंग एककों में श्रम आयुक्त, पश्चिम बंगाल की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of recommendations of Labour Commissioner West Bengal in Engineering units in RIC Limited	98
761.	हथकरघा उत्पादन केन्द्रों को चलाने के लिये पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड को अनुदान	Grant to Rehablilitation Industries Corporation Limited for running Handloom Production Centres	99

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
762. हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड हावड़ा द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि से गोलमाल	Malpractice in workers EPF by Hoogly Docking and Engineering Co. Ltd, Howarh	99
763. युगांडा से निष्कासित किये जाने पर ब्रिटिश राष्ट्रीयता वाले एशियाइयों का भारत में प्रवेश	Entry of Asians of British Nationality into India on Expulsion from Uganda	100
764. नौसेना शस्त्रास्त्र विभाग के कर्मचारियों को परिवहन सम्बन्धी सुविधायें देना	Transport Facilities to Workers of Naval Armament Department	100
765. डबोलिन में ग्राई० एन० एन० हंसा पर स्थित भारतीय वायु सेना के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना	Crashes of IAE Planes Based on INS Hansa at Dabolin	100—101
766. कमी वाले क्षेत्रों के लिये संचित भण्डरों से कोयले का हटाया जाना	Removal of Accumulated Coal Stocks to Scarcity Areas	101—102
767. दिल्ली और नई दिल्ली में शरणार्थी कालोनियों में नीलाम किये गये मकानों के भुगतान की वसूली	Recovery of payment for Houses Auctioned in Refugees Colonies in Delhi and New Delhi	102
768. बेलाडीला खान में उच्च एवं निम्न श्रेणी के लौह अयस्क का मिश्रण	Blending of High and Low Grade Iron Ores from Bailadila	102
769. जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण रेखा के बारे में राष्ट्रपति भुट्टो का वक्तव्य	Statement by President Bhutto over Line of Control in Jammu and Kashmir	103
770. लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कार्यकरण पर विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन	Report of Export Team on Working of Indian High Commission, London	103—104
771. भारत द्वारा चीता नामक हेलीकाप्टर का निर्माण	Manufacture of Cheeta Helicopter by India	104

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
772.	दक्षिण वियतनाम की अन्तरिम क्रांतिकारी सरकार और जनवादी गणतंत्र कोरिया को मान्यता प्रदान करना	Recognition of PRG of South Vietnam and PRK (North Korea)	104—105
773.	कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि जमा न करने वाले दोषी प्रतिष्ठानों को दंड देना	Punishment to Defaulting Establishment in Arrears of Employees Provident Fund	105
774.	देश के आयुध कारखाने तथा उनका उत्पादन	Ordnance Factories and their Productions in the Country	105—106
775.	शिमला संधि के पश्चात् पाकिस्तान तथा चीन द्वारा सीमाओं का अतिक्रमण	Border Violation by Pakistan and China after Simla Agreement	106
776.	बंगला देश की अर्थ-व्यवस्था के पुर्निर्माण के लिये भारत द्वारा सहायता	Help by India for Reconstruction of Economy in Bangladesh	106
777.	बोकारो इस्पात संयंत्र तथा हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतन	Salaries of Employees Working in Bokaro Steel and HEC	107
778.	मैसर्स इंडस्ट्रियल केबल्स (इन्डिया) लिमिटेड, राजपुरा पंजाब, द्वारा बोनस का भुगतान	Bonus paid by M/s Industrial Cables (India) Limited, Rajpura Punjab	107
779.	विभिन्न सैक्टरों में भारतीय तथा पाकिस्तानी सेनाओं के बीच मुठभेड़	Clashes between Indian and Pakistani Forces in different Sectors	107—108
780.	गुजरात तथा अन्य राज्यों में सैनिक स्कूल	Sainik Schools in Gujarat and other States	108—109
781.	मिश्र द्वारा भारतीय परामर्शदाताओं तथा प्रशिक्षणों की मांग	Request from Egypt for Indian Militray Advisers and Instructors	109
782.	कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियंटिड सीलीकन का निर्माण	Manufacture of Cold Rolled Grain Oriented Silicon	110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
783.	भारत अमरीकी सम्बन्ध	Indo-U.S. Rotations	110
784.	दुर्गापुर स्थित अलाय स्टील प्लाँट के कार्यकारी संघ से प्राप्त मांग पत्र	Memorandum of Demands from Executive Association of Alloy Steel Plant of Durgapur	111
785.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में बर्मा और श्रीलंका के विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of Burma and Ceylon Evacuees in Andaman and Nicobar Islands	111
786.	बोकारो इस्पात संयन्त्र का कार्यकरण	Functioning of Bokaro Steel Plant	112
787	युगांडा से एशियायी मूलक लोगों के निकाले जाने के निर्णय से अन्य अफ्रीकी राष्ट्रों में भी ऐसी ही भावनाओं का उत्पन्न होना	Dicision to expel Asians from Uganda evoked similar feelings in other African Nations	112
788.	बंगला देश के शरणार्थियों के लिये राहत सामग्री के बारे में आक्सफाम तथा अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास की शिकायत	OXFAM and International Red Cross complaint regarding Relief Materials for Bangladesh Refugees	113
789.	युगाँडा से जबरन निकाले गये भारत मूलक व्यक्तियों के आगमन पर इगलैंड में हलचल	Stir in England over influx of persons of Indian Origin under forced exodus from Uganda	113—114
790.	लन्दन में आयोजित फार्नबोरो एयर शो में भारत द्वारा भाग लिया जाना	India's participation in Farnborough Air show in London	114
791.	युगांडावासी ऐशियाई लोगों के निष्कासन के बारे में ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री का भारत के प्रधान मन्त्री को पत्र	Communication from British Prime Minister to Indian Prime Minister on Expulsion of Uganda Asians	114
792.	दुर्गापुर इस्पात संयन्त्रों के उत्पादन में कमी	Low production at Durgapur Steel Plant	114—115
793.	हाई स्पीड इस्पात की मांग तथा उत्पादन	Demand for and production of High Speed Steel	115

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
794.	बापटिस्ट मिशन प्रेस में सेन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन से सम्बद्ध संघ को समाप्त करने का षडयन्त्र	Conspiracy to crush CITU affiliated Union in Baptist Mission Press	115—116
795.	पुनर्वास उद्योग निगम में उपदान योजना	Gratuity Scheme in Rehabilitation Industries Corporation	116
796.	हिमाचल प्रदेश में एक सैनिक स्कूल खोलना	Opening of a Sainik School in Himachal Pradesh	
797.	भारत पाक युद्ध के वीरता पारितोषक विजेताओं को अनुग्रहात्मक अनुदान की मंजूरी	Sanction of Ex-Gratia Grants to Gallantry Award Winners of Indo-Pak War	116
798.	सेना में हिमाचल रेजीमेंट बनाने का अनुरोध	Request to Raise Himachal Regiment in Army	117
799.	युगांडा में भारतीय नागरिकों के जान व माल की सुरक्षा	Safety of Life and Property of Indian Nationals in Uganda	117
800.	दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र में मजदूरों पर आक्रमण	Attacks on Workers in Durgapur Steel Plant	117—118
	ऊनी कपड़ों (चिथड़ों) के आयात के घोटाले के बारे में चर्चा और दिल्ली विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने के बारे में स्थगन प्रस्ताव	Re. Discussion on alleged scandle about import of woolen Rags and Adjournment Motion on the closure of the Delhi University	118
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance	118—120
	ऊनी चिथड़ों के नाम पर आयात किये गये ऊनी कपड़ों की खुले बाजार में बिक्री का कथित समाचार	Reported leakage into open market of Woollen Garments imported as rags	120—125
	श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi	120—125
	श्री एल॰ एन॰ मिश्र	Shri L. N. Mishra	120—125

विषय	bject	पृष्ठ Pages
विशेषाधिकार काप्रश्न	Question of privilege	125—131
मद्रास हवाई अड्डे पर संसद् सदस्य श्री के० मनोहरन् पर कथित आक्रमण	Alleged assault oh Shri K. Mancharan, M.P. at Madras Airport	125—131
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	131—132
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	133
भारतीय क्षयरोग संस्था की केन्द्रीय समिति	Central Committee of Tuberaulosis Association of India	133
खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक के बारे में	Re. Food Corporation (Amendment) Bill	133—134
इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय विधेयक-पुरःस्थापित	Indira Gandhi University Bill—Introduced	134—139
खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित	Food Corporation (Amendmentu) Bill —Introduced	
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के वर्ष 1969-70 के उन्नीसवें प्रतिवेदन के बारे में	Motion Re. Nineteenth Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1969-70	140—150
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	140
श्री अनन्त प्रसाद घूसिया	Shri Anant Prasad Dhusia	140
श्री सांगलियाना	Shri Sangliana	140—141
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	142
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R.P. Ulaganambi	142—144
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	144—145
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन	Shrimati Bhargavi Thankappan	145—146
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda	146—147

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री रूद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	148
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	148
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	148—149
श्री के० मारक	Shri K. Marak	150

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 16 नवम्बर, 1972/25 कार्तिक, 1894 (शक)
Thursday, November 16, 1972/Kartika 25, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई।
The Lok-Sabha met at Two minutes past Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पाकिस्तान में उन स्थानों पर पुनः विमानभेदी तोपों का लगाया जाना जहां से उन्हें पहले हटा लिया गया था

+
*61. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बेकारिया :

क्या रक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान में उन स्थानों पर जहां से पहले विमानभेदी तोपें हटा ली गयी थी ; उन्हें फिर से वहां लगा दिया गया है ; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में सावधान रहने के लिए क्या आवश्यक कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) सरकार ने यह आशा नहीं छोड़ी है कि पाकिस्तान शिमला समझौते की भावना के लाभों को समझेगा।

श्री डी० पी० जदेजा : मैं नहीं समझता कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दिया गया है केवल झूठी आशा रखने से प्रतिरक्षा की तैयारी नहीं होगी। पाकिस्तानी कार्यवाहियों का मुकाबला करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमने जो कार्यवाही की है स्पष्ट कारणों से हम उसका ब्यौरा नहीं दे सकते हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को केवल इतना आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार सीमा

के दूसरी ओर होने वाली घटनाओं के प्रति सजग है और सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that Pakistan had made up the losses that it suffered during the December War ? It has raised four new Divisions and the strength of its army is Twenty Divisions now. Pakistan is procuring armament from America and China on a large scale.

Mr. Speaker : How this question is related to the main question ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, would it be confined to guns only ?

Mr. Speaker : Yes. The range of your gun has increased substantially. You should put relevant questions.

Shri Atal Bihari Vajpayee : As the matter is related the Defence, it has stretched a little.

Shri Vidya Charan Shukla : This question has been answered. It is a fact that preparations are going on in Pakistan. They have made up their loss and established themselves as a strong military power. As I have just now assured, we are aware of the situation and are doing every thing possible to counter act the situation.

मुहम्मद खुदा बख्श : क्या सरकार विमान भेदी तोप को मुख्य रूप से प्रतिरक्षात्मक हथियार नहीं समझती ?

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य रूप से प्रतिरक्षात्मक हथियार है न कि आक्रामक ।

मुहम्मद खुदा बख्श : यही अन्तर तो मैं बताना चाहता था । यदि सरकार यह समझती है कि यह एक प्रतिरक्षात्मक हथियार है तो हाल ही के युद्ध में बुरी तरह हारे हुए देश द्वारा अपनी प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करने पर इस सदन को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को क्या आपत्ति है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि पाकिस्तान के लिए यह प्रतिरक्षात्मक हथियार है परन्तु हमारे विमानों के लिए यह आक्रामक हथियार है। हमारे विमानों पर इन से आक्रमण किया जायेगा ।

श्री मुहम्मद खुदा बख्श : यह उसी स्थिति में होगा यदि हमारे विमान उनकी वायु सीमा का अतिक्रमण करेंगे ।

सेलम में विशेष इस्पात कारखाने के प्रबन्ध के लिये एक नई कम्पनी की स्थापना

\+
*65 **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेलम विशेष इस्पात कारखाने के प्रबन्ध के लिए एक नई कम्पनी की स्थापना करने सम्बन्धी मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्तावित कम्पनी उस होल्डिंग कम्पनी में मिला दी जायेगी जो भविष्य में सरकारी क्षेत्र में लगाये जाने वाले सभी इस्पात कारखानों के लिए होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम) : (क) जी, हां। 25-10-72 को सेलम स्टील लिमिटेड के नाम से एक नई कंपनी निगमित की गई है जिसका पंजीकृत कार्यालय तमिलनाडु में है।

(ख) जी हां।

श्री के० लकप्पा : सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के कृत्यों की देख भाल के लिए नई "होल्डिंग कम्पनी" का गठन सराहनीय प्रयास है। इस कम्पनी के निर्देश पद तथा इसके कृत्य और संगठनात्मक ढांचा क्या है।

अध्यक्ष महोदय : निदेश पद ?

श्री के० लकप्पा : सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों को अपने नियन्त्रण में लेने की प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में इसके द्वारा क्या किया जा रहा है?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : मुझे प्रश्न का उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यह देखना है कि क्या यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बद्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर देने की खातिर कुछ भी उत्तर दे दीजिए।

श्री के० लकप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि इसका संगठनात्मक ढांचा उसके कृत्य और इसके निदेश पद क्या हैं? सरकारी क्षेत्र के नये इस्पात संयंत्रों को अपने नियन्त्रण में लेने के लिए उक्त होल्डिंग कम्पनी के गठन के लिए क्या निदेश-पद नियत हैं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया धैर्य न खोयें।

श्री के० लकप्पा : मैं धैर्य नहीं खो रहा...

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कुछ उत्तर देने वाले हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वह वस्तुतः एक समाजवादी सदस्य हैं और फिर भी वह डरते हैं कि सरकार शायद उनके प्रश्न का उत्तर न दे...

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि आप को यहां पर कुछ वास्तविक समाजवादी दिखाई तो दिये।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि होल्डिंग कम्पनी के लिए निदेश पद का कोई प्रश्न नहीं है। निदेश पद की बात तभी उत्पन्न होती है जब किसी विषय की जांच के लिए कोई समिति गठित की जाये।

श्री के० लकप्पा : मैं उसके कृत्यों और संगठनात्मक ढांचे के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : कृपया मुझे अपना उत्तर पूरा कर देने दें।

"होल्डिंग कम्पनी की स्थापना का उद्देश्य एक अधिकरण का गठन करने के विचार से हो रहा है जो कि हमारे देश में लोहा और इस्पात उद्योग के विकास के लिए नेतृत्व व समन्वय प्रदान कर सके। वास्तव में, सेलम इस्पात संयंत्र इस उद्योग का भाग होने के नाते, होल्डिंग कम्पनी का भाग होगा।

श्री के० लकप्पा : इस ढांचे को देखते हुए, क्या विजयनगर इस्पात संयंत्र और सरकारी क्षेत्र के अन्य संयंत्र भी इस कम्पनी के अन्तर्गत होंगे और यदि हां, तो ये उक्त होल्डिंग कम्पनी के अन्तर्गत आयेगें और कब कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : विजयनगर इस्पात संयंत्र और विशाखा पत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए, उचित समय पर, अलग कम्पनियां स्थापित होंगी । इस समय, सम्भाव्यता रिपोर्टें विचाराधीन हैं । ज्योंही इन संयंत्रों में उत्पादित किए जाने वाले माल तथा इनके भविष्य के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा, त्योंही हम उनके लिए अलग से कम्पनियां स्थापित करेंगे और ये कम्पनियाँ भी होल्डिंग कम्पनी के अन्तर्गत आयेंगी ।

श्री के० लकप्पा : क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? सम्भाव्यता रिपोर्ट मैसूर ने, और सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने भी, पहले ही प्रस्तुत कर दी है ? सरकार की इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिए सुझाव मात्र है कि तत्काल कार्यवाही की जाए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सेलम इस्पात संयंत में स्थापित की जाने वाली स्टेनलैस इस्पात की उत्पादन क्षमता दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्टेनलैस इस्पात की वर्तमान क्षमता को कम करके निर्धारित की गई है ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : सेलम संयंत्र की स्टेनलैस स्टील की उत्पादन क्षमता 70,000 मैट्रिक टन है । वह क्षमता दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्टेन लैसस्टील की वर्तमान क्षमता के अतिरिक्त है । दुर्गापुर की वर्तमान क्षमता 13,000 मैट्रिक टन है और वह क्षमता इससे प्रभावित नहीं होगी ।

श्री जी० विश्वनाथन : अब क्योंकि होल्डिंग कम्पनी का गठन हो गया है, क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को भंग कर दिया जाएगा और इस्पात संयंत्र इस होल्डिंग कम्पनी के अधीन कर दिये जायेंगे ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : इस समय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को भंग करने का कोई विचार नहीं है । यह अपने वर्तमान स्वरूप में ही बना रहेगा ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद द्वारा किए गए एक बाजार सर्वेक्षण के अनुसार 1980 में देश में स्टेनलैस स्टील की आवश्यकता सेलम इस्पात संयंत्र की प्रस्तावित क्षमता से दो गुना से भी अधिक होगी और यदि हां, तो क्या सेलम इस्पात संयंत्र के अतिरिक्त दुर्गापुर एलाय इस्पात संयंत्र को भी उसका विस्तार करके 60,000 मैट्रिक टन की प्रस्तावित क्षमता पर उत्पादन करने दिया जायेगा, जिस स्थिति को मंत्रालय ने पहले स्वीकार किया था ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद ने अनुमान लगाया था कि वर्ष 1980 में स्टेनलैस स्टील की माग 117,000 मैट्रिक टन होगी ।

इस्पात विभाग में इस विषय की संवीक्षा करते समय हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मांग के आंकडे 100 000 मैट्रिक टन मानना अधिक उचित होगा और इस आधार पर ही स्टेनलैस स्टील की वर्त्तमान क्षमता के साथ हमने सेलम इस्पात संयंत्र के उत्पादन-मिश्रण में स्टेनलैस स्टील के उत्पादन का लक्ष्य 70,000 मैट्रिक टन नियत किया है।

श्री जगन्नाथ राव : माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह कहा है कि विजयनगर और विशाखापत्तनम संयंत्रों के सम्भाव्यता प्रतिवेदन विचाराधीन है। क्या इन प्रस्तावित दो संयंत्रों के सम्बन्ध में कोई पुर्नविचार किया जा रहा है? क्या मध्यप्रदेश में बैलाडिल्ला में एक संयंत्र और दूसरा उड़ीसा में स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : विशाखापत्तनम और विजय नगर में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के सरकारी निर्णय के पुनर्विचार व पुनरीक्षण का कोई प्रश्न नहीं है। वह निर्णय अन्तिम है। केवल संयंत्रों का उत्पादन मिश्रण, संयंत्रों की क्षमता, धमन व कोक भट्टियों का आकार, प्रयुक्त की जाने वाले तकनीक आदि बातें विचाराधीन हैं।

श्री जगन्नाथ राव : मैंने मध्य प्रदेश और उड़ीसा में इस्पात संयंत्रों की स्थापना का पूछा था?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जब सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के नियन्त्रण के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड विद्यमान है तो इस होल्डिंग कम्पनी के गठन की क्या आवश्यकता थी?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : माननीय सदस्य की बात पूर्णतया ठीक नहीं है, क्योंकि उनको याद होगा कि बहुत वर्ष पूर्व हमने बोकारो इस्पात संयंत्र के नियन्त्रण के लिए एक अलग कम्पनी गठित कर रखी हैं। इस संदर्भ में उससे एक बात स्पष्ट होती है कि नये इस्पात संयंत्रों के लिए अलग कम्पनियां गठित की जायेंगी।

भारत में निर्वासित तिब्बत सरकार बनाने के बारे में चीन का भारत पर आरोप

+

***66 श्री राजदेव सिंह :**
श्री वी० मायावन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने संयुक्त राष्ट्र की एक समिति में भारत पर आरोप लगाया है कि भारत भूमि पर निर्वासित तिब्बत सरकार बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस आरोप का खंडन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) जी हां।

(ख) चीनी आरोप आधारहीन है और इसके खंडन की आवश्यकता नहीं है। भारत द्वारा भारतीय भूमि पर कोई तिब्बती सरकार स्थापित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि सभी जानते हैं, वास्तव में भारत तिब्बत को चीन का एक अंग मानता है।

श्री राजदेव सिंह : वक्तव्य में यह बताया गया है कि भारत ने हमेशा ही तिब्बत को चीन का अंग माना है। क्या 'हमेशा' से यह स्पष्ट नहीं होता कि सरकार ने तिब्बत के बारे में अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक नहीं है; वास्तव में यदि यह उत्तर ठीक नहीं है तो मैं इस उत्तर को ठीक करना चाहूंगा। जैसा कि सभी जानते हैं, भारत तिब्बत को चीन का अंग मानता है।

श्री राजदेव सिंह : संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधि ने, प्रताड़ना के रूप में, चीन द्वारा भूमिगत नागाओं और मिजो विद्रोहियों को सहायता देकर हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की बात क्यों नहीं कही ?

श्री स्वर्ण सिंह : संयुक्त राष्ट्र संघ को इस मामले में उलझाना ठीक नहीं। यह सच है कि नागाओं में व्याप्त कुछ गैर कानूनी तत्व एक समय चीन गए थे, वहां प्रशिक्षण प्राप्त किया और कुछ शस्त्रास्त्र भी लेकर आए थे। नागालैण्ड में स्थिति अब पूर्णतया स्थिर हो गई है। राज्य सरकार का स्थिति पर पूरा नियन्त्रण है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह मत 'कि भारत ने तिब्बत को हमेशा चीन के अंग के रूप में माना है' भारत सरकार के उस मत से भिन्न नहीं है जो सरकार ने चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के समय अपनाया था। उस समय चीन के तिब्बत पर आधिपत्य पर बल दिया गया था न कि उसकी प्रभुसत्ता पर। क्या यह भारत सरकार के पहले के मत से विचलन नहीं है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हमने हमेशा तिब्बत को चीन का अंग माना है।

श्री पीलू मोदी : यह सत्य नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it not a fact that there was a talk of autonomy of Tibet in the agreement concluded with China in 1954 and China had then promised that she would respect the autonomy of Tibet ? Does it not make it clear that we had accepted a special status for Tibet and now the Government is retreating from that ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह बात कि तिब्बत के चीन सरकार के साथ कैसे संबंध हैं इस बात की अन्तरविरोधी नहीं है कि तिब्बत चीन का अंग है। स्वायत्तता का प्रश्न अथवा स्वायत्तता की मात्रा आदि बातें चीन की केन्द्रीय सरकार के सार्वभौम अधिकार की बात है। यह चीन की केन्द्रीय सरकार के अपने किसी के अंग के साथ राज्यीय संबंधों अथवा प्रादेशिक सम्बन्धों की बात है, अतः उनका आन्तरिक मामला है। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि इस बात को अनावश्यक रूप से न उठाया जाए जबकि विश्व में और कोई भी उस स्थिति को स्वीकार नहीं करता।

अरब तथा अफ्रीकी देशों को सैनिक शस्त्रास्त्रों का निर्यात

+

* 67. **श्री रामभगत पास्वान :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक कुछ शस्त्रास्त्र अरब तथा अफ्रीकी देशों को निर्यात किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन देशों के क्या नाम हैं और इस निर्यात से 1971 में कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन् । अब से कुछ वर्षों तक संसार के विभिन्न देशों के साथ सैनिक उपस्करों की बिक्री व्यावसायिक आधार पर की जाती है । इस प्रकार की बिक्री से 6.54 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है । इन देशों अथवा उन क्षेत्रों का जिस में ये स्थित हैं, के नामों का बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

श्री रामभगत पास्वान : श्रीमान, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये शस्त्रास्त्र हमारे विरोधी देशों को न पहुंचे इस सम्बन्ध में वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं । अरब तथा अन्य देशों को शस्त्रास्त्र का निर्यात करने के लिये क्या सिद्धान्त हैं, और कितने शस्त्र तथा गोला बारूद उन्हें सप्लाई किये है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : शस्त्रास्त्र तथा रक्षा सामग्री के निर्यात से पूर्व सुरक्षा, रक्षा, वाणिज्यिक तथा राजनीतिक सभी दृष्टियों से विचार किया जाता है । माननीय सदस्यों को स्मरण रखना चाहिए कि रक्षा उत्पादन में निर्यात किये जाने वाला सभी सामान सहार करने वाला नहीं होता है । कुछ सामान जैसे तम्बू तथा अन्य उपकरण जिनका उपयोग आक्रमण के लिये नहीं किया जा सकता भी निर्यात किया जाता है ।

मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह कार्य देश के व्यापक हितों को घ्यान में रख कर तथा शस्त्रास्त्र के व्यापार से लाभ हानि को समझ कर किया जाता है ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या हम कुवैत को टैंको का निर्यात करते हैं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : नहीं जी ।

हीरों की खोज करने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को आवंटित धन राशि

*68. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को इस उद्देश्य के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है कि 300 फुट की गहराई पर हीरों की खोज करके संसाधनों में वृद्धि की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उसे कुल कितनी राशि दी गई है ;

(ग) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है और कितना धन व्यय हुआ है ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रबन्धक यह काम बन्द करना चाहते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समय उक्त कार्यों में संलग्न कर्मचारियों के रोजगार के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने अभी तक इस प्रयोजन के लिए कुल 24.15 लाख रुपयों की राशि मंजूर की है।

(ग) मभगांव हीरक खान को 12,000 कैरेट प्रतिवर्ष से 43,200 कैरेट प्रतिवर्ष तक विस्तारित करने के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। मार्च, 1972 तक लगभग 30 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है।

(घ) और (ङ) चूंकि अन्वेषण सम्पूरित हो गए हैं, अतः राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अन्वेषण कार्य को बन्द करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। काम बन्दी की अवस्था में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, मभगांव में भूतल समन्वेषण में नियोजित कुशल कर्मकारों को सम्भाव्य सीमा तक दूसरे स्थानों में पुनः अभिनियोजित करना चाहती है।

श्री नरेन्द्र सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि खानों में लगे क्रशिंग प्लांट पुराने हैं अतएव बड़े-बड़े हीरे छोटे-छोटे हो जाते है जिसके कारण निगम को बहुत हानि होती है ? इसलिये इन मशीनों को बदलने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री शाहनवाज खां : यह सच है कि कुछ मशीने पुरानी हैं और संयंत्र के विस्तार के लिये नया विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है, जिसका मंत्रालय द्वारा परीक्षण किया जा रहा है और जैसे ही उसके बारे में अनुमोदन मिलेगा हम आधुनिक मशीनरी लगाने के लिये कार्यवाही करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह : निगम में कुप्रन्ध के कारण प्रतिवर्ष हानि बढ़ती जा रही है और वित्तीय वर्ष 1971-72 में ज्यादा हानि बताई गई है। इन हालातों को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या इसके कार्यों की जांच के आदेश दिये जायेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैंने बताया खान के विस्तार के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। इस समय इससे 22,000 कैरेट से 43,000 कैरट तक के हीरे निकलते हैं और हमें आशा है कि बढ़ी हुई क्षमता के साथ इसमें होने वाली हानि समाप्त हो जायेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह : क्या मैं तीसरा प्रश्न पूछ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। केवल दो प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप स्पष्टीकरण मांग सकते है प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री नरेन्द्र सिंह : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इन सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहें हैं परन्तु राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बेचे जाने वाले बिना कटे और बिना पालिश वाल हीरों के बिक्री मूल्यों में भारी कमी आ गई है जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसे माल के मूल्य

बढ़े हैं । इसके क्या कारण हैं और इन दोषों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : हीरों की खानों से प्राप्त किये जाने वाले हीरों के तीन वर्ग हैं एक तो (जैम स्टोन) दूसरे (आफ कलर) और तीसरे औद्योगिक कार्यों के लिये उपयोग में आने वाले हीरे । प्रत्येक के मूल्य अलग-अलग है और यह केवल संयोग की बात है कि कौन से वर्ग के हीरे उपलब्ध होते हैं । यदि 'जैम' अधिक प्राप्त होते हैं तो मूल्य बहुत ऊंचे होते हैं और उन्हें ऊंचे मूल्यों पर बेचा जा सकता है और यदि 'आफ कलर' अथवा औद्योगिक वर्ग के हीरे उपलब्ध होते हैं तो बहुत कम मूल्य मिल पाते हैं ।

श्री आर० एस० पांडे : यद्यपि मध्य प्रदेश को पिछड़ा राज्य माना जाता है, परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है क्योंकि वहां पर बड़ी मात्रा में हीरे उपलब्ध हैं । उनमें से एक स्थान पन्ना है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने हीरे उपलब्ध हैं ? मेरा अभिप्राय हीरों की खानों की क्षमता से है ।

श्री शाह नवाज खा : जिस विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का मैंने उल्लेख किया है उसमें कहा गया है कि पन्ना हीरा खान से हीरों का उत्पादन 43,000 कैरट प्रतिवर्ष बढ़ने की पूरी सम्भावना है और अन्वेषण जारी हैं । यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है । हम हीरों के लिये नये क्षेत्र की खोज कर रहें है । परन्तु यह कहना अत्यन्त कठिन है कि इस क्षेत्र में कितने हीरे उपलब्ध होंगे । यह बात चल रही खोज की प्रगति पर निर्भर करती है । यह एक धीमी प्रक्रिया है । खुदाई और नमूनों की जांच करनी होती है। यह सभी कार्य करने होते है जोकि धीमी प्रक्रिया है ।

एक माननीय सदस्य : क्या वह एक हीरा मुझे भेंट करेंगे ?

श्री शाह नवाज खां : माननीय सदस्य स्वयं एक हीरा हैं ।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : मैं जानना चाहता हू कि क्या मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश में विशेषतः कान्नूल जिले के रामलकोटा और वज्रकरूर में सर्वाधिक हीरे पाए जाते हैं और क्या वहां विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है और उन खानों को खोजने का कार्य किया जा रहा है ?

श्री शाह नवाज खां : जी हां हमें पता है कि आंध्र प्रदेश में हीरे हैं । भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग उन क्षेत्रों की जांच कर रहा है।

श्री आर० वी० बडे : राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रबन्धकों द्वारा कब तक कार्य बन्द करने की सम्भावना है और उससे कितने श्रमिक प्रभावित होगें ।

श्री शाह नवाज खां : प्रबन्धकों द्वारा काम बंदी का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री आर० वी० बडे : भाग (ग) के उत्तर में उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा प्रबन्ध काम बन्द किया जा रहा है । मैं उसकी सम्भावित तिथि जानना चाहता हूं ।

श्री शाह नवाज खां : इस खान के कार्य को बढ़ाने के बारे में जाच कार्य चल रहा है। कार्य में 18 मास से दो वर्ष लगने की सम्भावना है । और अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अध्ययन किया जा रहा है और यदि यह अनुमोदित किया जाता है तो इसे कार्यान्वित किया जायेगा । अन्वेषण कार्य में लगे व्यक्तियों को अन्य क्षेत्रों में अन्य कार्य पर नियुक्त किया जायेगा ।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आंध्र प्रदेश के तेलंगाना जिले के महबूबनगर में हीरों के भण्डार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छी जानकारी है। मंत्री महोदय इसे नोट करलें।

बोनस फार्मूला के एक खंड के सम्बन्ध में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को असहमति

*69. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सरकार का ध्यान "खाडिलकर फार्मूला" नाम से जाने वाले नये बोनस फार्मूले की एक खण्ड की ओर दिलाया है जिससे वह सहमत नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसको बदलने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) से (ग). सरकार द्वारा स्थापित की गई बोनस पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट के लम्बित रहने तक यह फार्मूला वर्ष 1970-71 के लिए बोनस दावों का क्रमिक अग्रिमों के भुगतान के माध्यम से निपटान करने हेतु, एक तदर्थ अंतरिम व्यवस्था के रूप में था। सरकार को अभिवेदन प्राप्त हुए थे कि श्रमिकों से अग्रिमों की वसूली नहीं की जानी चाहिए। बोनस भुगतान के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति बोनस भुगतान (संशोधन) अध्यादेश, 1972 में सन्निहित है। सरकार ने नियोजकों के केन्द्रीय संगठनों से अनुरोध किया है कि वे अपने घटकों को यह परामर्श देने पर विचार करें कि वे श्रमिकों की तदर्थ फार्मूले के अनुसार दिए गए अग्रिमों की सूचना पर जोर न दें।

श्री भान सिंह भौरा : क्या कारण हैं कि संगठनों को लिखा गया है कि वह अपने घटकों को परामर्श दें कि अग्रिमधन की वापसी पर जोर न दें ? उन्होंने नियोक्ताओं को क्यों नहीं लिखा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : नये संकल्प का एक भाग तो यह है कि तदर्थ सूत्र के अनुसार पुराने अग्रिम घन की वसूली न की जाये। इसलिये यह अब केवल इच्छा का प्रश्न नहीं है। यह निदेश न होकर परामर्श ही है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रायः सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों और मन्त्री महोदय से उम्मीद रखी थी कि नया बोनस अध्यादेश जो कुछ ही श्रमिकों पर लागू है, उसे सभी सरकारी प्रतिष्ठानों जैसे रेलवे, डाक-तार और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू किया जाये ? क्या सरकार ने अध्यादेश के जारी होने के पश्चात् इस पहलू पर विचार किया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : दो प्रतिवेदन बोनस पुनरीक्षा समिति को भेजे गये थे। दोनों प्रतिवेदनों में न्यूनतम बोनस को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत करने को कहा गया था। अन्य निदेश पदों पर बोनस पुनरीक्षा समिति विचार कर रही है तथा उनपर प्रतिवेदन देना उनका कार्य है।

श्री ए० पी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि बोनस पुनरीक्षा समिति के अंतरिम प्रतिवेदन में भी कम से कम सभी केन्द्रीय श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के रेलवे, डाक तार, प्रतिरक्षा उत्पादन और भारत सरकार के मुद्रणालयों को औद्योगिक कर्मचारियों को न्यूनतम $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत बोनस दिया जाये ? यदि ऐसा है तो सरकार ने अध्यादेश जारी करने से पूर्व ही क्यों नहीं विचार किया गया, क्या वह इस पर अब विचार करेंगे ।

श्री आर० के० खाडिलकर : कार्मिक संघ के नेता द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का यह अंश निदेश पदों में सम्मिलित नहीं हैं । इसलिये इसे सिफारिश के रूप में न लिया जाये ।

श्री ए० पी० शर्मा : इस समय निदेश पदों का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि हम बोनस पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं । यदि सरकार यह व्यवस्था देती है कि यह बोनस पुनरीक्षा समिति के निदेश पदों में नहीं है, तो भी अन्य व्यक्तियों को उसके अन्तर्गत लिया गया है जबकि इसे पूर्व के बोनस अधिनियम के अंतर्गत नहीं लिया गया था ।

श्री आर० के० खाडिलकर : यदि माननीय सदस्य प्रतिवेदन के इस भाग का अध्ययन करेंगे तो वह पायेंगे कि उनके द्वारा व्यक्त विचारों को जिनमें व्यापक रूप से इनको लागू किया जाना है के अलावा दूसरी रिपोर्ट एकदम निदेश पदों के अनुसार ही है । जहां तक दूसरे पहलू का प्रश्न है, जैसा कि मैंने बताया है, बोनस पुनरीक्षा समिति ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है । समिति अभी भी बैठी है । जब विस्तृत एकमत सिफारिशें हमें भेजी जायेंगी तब हम उस पर ध्यान देंगे ।

Shri Ram Singh Bhai Verma : Is the Home Minister aware the Bonus for 1970 distributed as per Khadilkar farmula is being recovered from these of the employees who are leaving their jobs. That amount has not been given under Khadilkar farmula, which is now being deducted from thier wages. That amount has not been said to them under Khadilkar farmula. What are his view in this regard ?

श्री आर० के० खाडिलकर : कुछ ऐसे मामलों की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है और हमने मंत्रालय की ओर से नियुक्तियों की स्थिति स्पष्ट कर दी है और उन्हें बता दिया है कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार ने पहले ही निर्णय कर लिया है कि 8·33 प्रतिशत का न्यूनतम बोनस तथाकथित सरकार के विभागीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उसके परिणामों पर विचार किया है और ऐसे निर्णय से पैदा होने वाले भेदभाव, अर्थात् जबकि मौड्रन बेकरी आदि सरकारी प्रतिष्ठानों में डबलरोटी बनाने पर लगे कर्मचारियों को इस बोनस के लिये पात्र हैं, जबकि श्री शुक्ल के आयुध कारखानों में नियुक्त कर्मचारी, जो सेनाओं के लिये उपकरण गोला बारुद बनाते हैं, बोनस के पात्र नहीं हैं । क्या उन्होंने सरकार के इस निर्णय से उत्पन्न इस उपहासास्पद स्थिति पर विचार किया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने इसे कई बार स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक इन प्रतिष्ठानों का प्रश्न है यह वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र में आते हैं । समय समय पर वेतन आयोग उनके

वेतनमानों, सेवा की शर्तों; का अध्ययन करता है तथा सभी पहलुओं पर अपनी सिफारिश करता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वेतन आयोग के समक्ष बोनस का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री ए० पी० शर्मा : मंत्री महोदय को अवश्य बताना चाहिए कि क्या वेतन आयोग के निदेश पदों में बोनस सम्मिलित है ।

Mr. Speaker : Why do you agree ?

श्री ए० पी० शर्मा : बहस का सवाल यह नहीं है । मैं तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त जानना चाहते हैं कि क्या बोनस का प्रश्न निदेशपदों में है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री ए० पी० शर्मा : उन्हें बताना चाहिए कि क्या यह निदेश पदों में सम्मिलित है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसे सम्मिलित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री राजा कुलकर्णी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन वस्त्र मिलों के कर्मचारियों, जिन्हें सरकार ने अधिकार में ले लिया है, के वर्ष 1970-71 के बोनस का विवाद हल हो गया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक 1970-71 के बोनस का प्रश्न है जब तक वह कोई विशेष मामला न बताए······

श्री राजा कुलकर्णी : उन वस्त्र मिलों जिन्हें सरकार ने अधिकार में ले लिया है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : उन्हें अध्यादेश द्वारा लिया गया है ।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि एक वर्ग के कर्मचारियों को बोनस के लाभ से अलग रखकर उक्त वर्ग के कर्मचारियों के प्रति भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जा रहा है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि लगभग सभी श्रमिक संगठनों ने सरकार की भेदभाव की नीति का विरोध किया है ? ऐसे आरोप देश भर में लगाए जा रहे हैं । रेलवे मैन फेडरेशन 15 दिसम्बर, को संसद भवन के सामने एक भारी प्रदर्शन सरकार की नीति के विरुद्ध कर रही है । इन सब बातों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी । इन लाभों को सभी सरकारी प्रतिष्ठानों को कर्मचारियों को भी देगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है । मैं चाहूंगा कि सदस्य पहले बोनस अयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करें जिसके आधार पर बोनस योजना तैयार की गई थी । इसके बाद, वे स्वयं इस बात को महसूस करेंगे कि यह बोनस योजना के जो अधिकार से बाहर है । हम एक बोनस योजना पर विचार कर रहे हैं, जो बोनस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है । यह तथ्य भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

Shri Damodar Pandey : The hon'ble Minister has said two Contradictory things, which are confusing us. First, he said that the workers of Centrai Government industrial Undertaking were note included in the terms of reference and therefore, they can not

get the bonus and secondly, he has stated that the matter is under Consideration of the Bonus Committee. Now the Question is as to how the matter is under the Consideration of the Committee, when it was not included in the terms of reference. If it is under its consideration, then it was in the terms of reference and if so, the recommendation of the worker's representatives should be accepted.

श्री आर० के० खाडिलकर : इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न का उत्तर देते हुए, मैंने बताया था कि मजदूर संघ नेताओं ने रिपोर्ट में जो अभिमत व्यक्त किये हैं, वे योजना के अधिकार-क्षेत्र से बाहर हैं। बोनस समिति अभी भी बैठी हुई है और अन्तिम रिपोर्ट अभी हमारे सामने आनी है। जैसा कि मैंने बताया, वे सामान्य अभिमत थे, मैं उन्हें सिफारिश नहीं मान सकता, क्योंकि वे निदेश पदों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया था कि तथाकथित विभागीय कर्मचारी वेतन आयोग के अन्तर्गत आते हैं, जो वेतनमानों आदि की जांच करता है। इसके बाद, हमने पूछा कि क्या बोनस योजना का प्रश्न वेतन आयोग को सौंपा गया है, जिसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि यह प्रश्न वेतन आयोग को वेतन आयोग को नहीं सौंपा गया है। वह वेतन आयोग का उल्लेख करके सदन को गुमराह क्यों कर रहे हैं ?

श्री ए०पी० शर्मा : उन्होंने तीन परस्पर विरोधी बातें कही हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक उत्तर में आपने बताया कि वह निदेश पदों के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है और दूसरे उत्तर में आप कहते हैं कि इस पर विचार किया जा रहा है। सदस्य जानना चाहते हैं कि विचार किस बात पर हो रहा है।

श्री आर०के० खाडिलकर : वे वेतन आयोग के अन्तर्गत आते हैं और उनकी जो भी मांगें होंगी, उन पर वेतन आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

श्री ए० पी० शर्मा : श्रीमान् जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाने देंगे। मेरा एक निवेदन है। मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह विषय वेतन आयोग के निदेश-पदों में शामिल नहीं है। वह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : श्रीमान् जी, आप इस बारे में आधे घन्टे की चर्चा की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो अनुमति देने में मुझे एतराज नहीं है।

श्री सेझियान : आधे घंटे की चर्चा में केवल दो अथवा तीन व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं। मैं मन्त्री महोदय से श्री इन्द्रजीत गुप्त के उस प्रश्न के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं जिसमें उन्होंने पूछा है कि वेतन आयोग के निर्देशपदों में यह विषय शामिल था अथवा नहीं ? उन्हे स्पष्ट रूप से "हां" अथवा "नहीं" हैं उत्तर देना चाहिए। अन्य निर्देश-पदों का उल्लेख करने का कोई अर्थ नहीं।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने यह कभी नहीं कहा कि निर्देश-पदों में बोनस का प्रश्न शामिल है। जैसा कि मैंने बताया —वे वेतन आयोग के अन्तर्गत आते हैं—निर्देश-पद कुछ भी हों।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अन्य वेतन......

श्री एस० एम० बनर्जी : केवल एक प्रश्न......

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी खड़े हुए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस तरफ का ध्यान रखना है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री रेड्डी सदैव मालिकों का पक्ष लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह काफी समय से खड़े हो रहे हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या खेतीहर मजदूरों, संसद सदस्यों और देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिये बोनस की व्यवस्था करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि 19 अक्तूबर को......

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है......

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में एक अलग प्रश्न का नोटिस दे सकते हैं। निस्सन्देह रूप से इसका उत्तर दिया जायेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं ? आप किस लिए बोनस लेना चाहते हैं ?

श्री एम० एम० बनर्जी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि 19 अक्तूबर को रेल कर्मचारी, प्रतिरक्षा, डाक तार और अन्य कर्मचारियों के सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठन प्रधान मन्त्री के निवास स्थान के बाहर विराट प्रदर्शन करना चाहते थे, परन्तु प्रधान मन्त्री के अनुरोध पर उस प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने बोनस के बारे में शिष्टमण्डल से भेंट करना स्वीकार कर लिया था और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने प्रधान मन्त्री से भेंट की थी और एक ज्ञापन दिया था। उन्होंने मामले पर विचार करने का वचन दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है। प्रधान मंत्री ने भी यह मससूस किया कि भेदभाव हो रहा है...

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप कृपया मुझे केवल चौथाई मिनट तो बोलने दें।

श्रीमान् जी, यह एक विरोधाभास ही है कि माडर्न बेकरीज में "माडर्न ब्रेड' का निर्माण करने वाले कर्मचारियों को तो बोनस मिलता है, परन्तु टैंकों का निर्माण करने काले कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलता। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस ज्ञापन का क्या हुआ, क्या प्रधान मंत्री ने वह ज्ञापन उन्हें भेजा है और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : कर्मचारियों के प्रतिनिधि-मण्डल और प्रधान मंत्री के बीच जो बातचीत हुई, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर प्रधान मन्त्री ने यह कहा है कि वह इस मामले पर विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से वह इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

पाकिस्तानी विस्थापितों की वापसी

*70. **प्रभुदास पटेल** :
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब सभी पाकिस्तानी विस्थापित व्यक्ति अपने देश चले गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उनमें से कितने अभी भारत में हैं ;

(ग) क्या 13,000 शरणार्थियों में से कुछ शरणार्थियों ने भारत में रहने वाले की इच्छा व्यक्त की है, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या भारत ने उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 84,000 व्यक्ति।

(ग) जी हां, किन्तु यथार्थ संख्या ज्ञात नहीं है।

(घ) जी नहीं।

श्री प्रभुदास पटेल : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जब प्रधान मंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए गान्धी नगर गई थीं, तब उन्हें विस्थापित लोगों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था और यदि हां, तो उस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बाल गोबिन्द वर्मा : हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री प्रभुदास पटेल : उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बाल गोबिन्द वर्मा : हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

Shri M. S. Purty : I would like to know from the hon'ble Minister as to how long would it take to send back all the displaced persons ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के खाडिलकर) : युद्ध के दौरान विस्थापित व्यक्ति विदेशी नागरिक हैं, अतः वापस भेजने के लिए हमें उन्हें राजी करना होगा ; उन्हें इसके लिये बाध्य करना कठिन है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि वे कब लौटेंगे।

हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा का अंशदान न दिया जाना

*71. **डा० सरदीश राय** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग

कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धकों ने कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान की तीन लाख रुपये की राशि का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम को नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन अंशदानों की वसूली करना कर्मचारी राज्य बीमा निगम की जिम्मेदारी हैं। निगम ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बाबत देय जिन रकमों की अदायगी में चूक की गई है, उनकी वर्तमान राशि 2.53 लाख रुपये है।

(ख) 1.94 लाख रुपये की वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही की जा चुकी है। बकाया राशि के लिए कानूनी कार्यवाही अभी नियत नहीं है, परन्तु कारण बताओं नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

डा० सरदीश राय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इसी कम्पनी हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कर्मचारियों के परिश्रम से अर्जित भविष्य निधि अंशदान को नष्ट कर दिया है और काआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फंड की 18 लाख रुपए की निधि का दुरुपयोग किया है तथा कर्मचारी राज्य बीमा निधि में अंशदान नहीं दिया है ; कर्मचारियों ने उच्चतम अधिकारियों को तथा श्रम मंत्री को एक ज्ञापन दिया है परन्तु उसका कोई परिणाम अभी तक नहीं निकला है; और कर्मचारी राज्य बीमा निधि में अंशदान न दिये जाने के कारण कर्मचारियों के चिकित्सा कार्ड रद्द हो गये हैं और उन्हें चिकित्सा नहीं मिल पा रही और उनमें से कुछ मर गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : प्रश्न का संबन्ध कर्मचारी राज्य बीमा की देय राशि से है। यदि कुछ और भी देय हैं अथवा कम्पनी के स्वामी के कुछ और भी कदाचार हैं, तो मुझे उसके संबन्ध में नोटिस अपेक्षित है।

डा० सरदीश राय : मेरा प्रश्न है कि क्या कमंचारी राज्य बीमा के चिकित्सा कार्ड रद्द कर दिये गये हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मुझे नोटिस अपेक्षित है। मुझे पूछताछ करनी पड़ेगी क्या कार्ड, वसली प्रक्रिया के आरम्भ होने के बाद रद्द किये गये थे।

डा० सरदीश राय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अंशदान की अदायगी के अभाव में चिकित्सा कार्ड रद्द किये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने समझा है, उन्हें इसकी पूछताछ करनी पड़ेगी।

श्री समर मुखर्जी : यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। इन सभी तथ्यों के बारे में मैंने स्वयं परिवहन और नौवहन मन्त्री को लिखा है वे सभी तथ्य जिनका डा० सरदीश राय ने उल्लेख किया है। यह सभी तथ्य हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कर्मचारी राज्य बीमा की राशि की

वसूली प्रारम्भ की है। इस प्रकार कई व्यक्ति इन सुविधाओं के बन्द होने के कारण मर रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं यह सूचना दूंगा। मुझे ठीक तारीख का पता नहीं है।

श्री समर मुखर्जी : मेरा एक निवेदन है। क्योंकि कई व्यक्ति मर गये हैं क्या मन्त्री महोदय न केवल कर्मचारी राज्य बीमा के देय राशि की तथा इन सभी पहलुओं की जांच करने का कष्ट करेंगे ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता है कि जैसा उन्होंने मुझे सूचित किया है, यह गम्भीर मामला है, मैं तुरन्त कार्यवाही करूंगा।

बंगला देश सहायता सामान के खुले बाजार में पहुंच जाने के समाचार

+

*73 **श्री आर० पी० उलगनम्बी :**

डा० कर्णी सिंह :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के विभिन्न नगरों के खुले बाजार में बंगलादेश सहायता-सामान के पहुंच जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) पत्रों में कुछ समाचार छपे हैं जिनमें यह आरोप लगाया है कि भारतीय रेड क्रास सोसाइटी और ओक्सफाम द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों के लिए जो सामग्री प्राप्त की गई थी वह बाजार में पहुंच गई है। भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के अध्यक्ष ने इन आरोपों से इनकार किया है। तथापि, ओक्सफाम के राहत-सामान के बाहर पहुंचने तथा कुछ और शिकायतों के बारे में छान-बीन की जा रही है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : विदेशों से कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है और सहायता की कुल कितनी राशि संबद्ध व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हुई है ? कुल कितनी राशि बंगला देश के विस्थापितों को नहीं पहूंची है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : हमें नोटिस अपेक्षित है। मैंने यह सूचना कई अवसरों पर दी है।

श्री जी० विश्वनाथन : आप इसे अब भी दे रहे हैं।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : विदेशों से प्राप्त ऐसी विदेशी सहायता के बारे में—**(अंतरबाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतः मंत्री मंडल स्तर के मंत्री उत्तर देते है न कि उप मंत्री। परन्तु यहां बात उलटी है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : हमें यह सूचना मिली है। रेड क्रास ने विभिन्न विदेशी स्रोतों से सहायता प्राप्त की है उन्होंने 30 करोड़ रुपए की वस्तुएं प्राप्त की है जिसमें से 11 करोड़ रुपए

बंगला देश के विस्थापितों पर व्यय हुआ, 14 करोड़ रुपए की वस्तुएं बंगला देश भेज दी गई है। उनके पास 5 करोड़ की वस्तुएं पड़ी हुई है क्योंकि उन्होंने इसे बंगला देश के लिये रखा है, यही प्रश्न है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मेरा दूसरा प्रश्न—

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझा था आप पहले ही दूसरा प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : बंगला देश के विस्थापितों को कुल कितनी राशि नहीं पहुँची ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जैसा कि मैंने बताया इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी को 30 करोड़ रुपए की वस्तुएं प्राप्त हुई है। उनमें से 11 करोड़ रुपये बंगला देश के विस्थापितों को दिये गये है। 14 करोड़ रुपये का माल बंगला देश भेज दिया गया है। यह स्थिति है। शेष 5 करोड़ रुपये उनके पास पड़े हुए हैं।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : जांच किस प्रकार की जायेगी ? क्या यह जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा होगी अथवा विभागीय जांच होगी अथवा यह कोई आयोग है ? यह जांच किस प्रकार की है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : सरकार प्राप्त हुई शिकायतों पर विचार कर रही है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि जांच की जायेगी ? जांच किस रूप में होगी ? क्या यह न्यायिक जांच होगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं आपकी अनुमति से स्पष्ट करता हूँ। इन मामलों को, शिकायतें प्राप्त होते ही इण्डियन रेड क्रास के साथ उठाया गया था। उन्होंने इन आरोपों की जांच आरम्भ की थी। मेरे पास यही सूचना है। विभागीय... **(अन्तरबाधाएं)**

श्री आर० पी० उलगनम्बी : आप कहते हैं कुछ जांच की जा रही है। कैसी जांच ?

श्री दीनेश चन्द्र गोस्वामी : पता चला है कि सहायता सामग्री उन व्यक्तियों के पास नहीं पहुंची जिनके लिये यह अपेक्षित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सहायता सामग्री को खुले बाजार में बिक्री से रोकने के लिये कोई विधायक कार्यवाही की जायेगी ? वह क्या करना चाहते हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी के कुछ सहायता सामान का खुले बाजार में बिकने का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्य बात यही है। यही मुख्य आरोप है। वह जांच कर रहे हैं कि कितना माल बाजार में पहुंचा है। मैं इस बारे में नहीं जानता। इसलिये जब तक रेड क्रास हमें प्रतिवेदन नहीं भेजते हमारा कोई कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री समर गुह : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस शर्त पर कि यह एक लाइन का प्रश्न होगा क्योंकि प्रश्नों के लिये बहुत थोड़ा समय बचा है।

श्री समर गुह : मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय सहायता सामग्री का ही नहीं है अपितु सभी स्रोतों से प्राप्त सहायता सामग्री का है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में छपे विभिन्न समाचारों की ओर दिलाया गया है कि सहायता सामग्री के उपयोग में भ्रष्टाचार, कदाचार बरता गया है और इसके लिये एक वरिष्ठ अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है ; और यदि हां, तो क्या सरकार ने भेजी गई पूरी सहायता सामग्री का लेखा जोखा लिया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : हमें कुछ शिकायतें मिली थी। सारा मामला पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप दिया गया है और उन्होंने कार्यवाही की है, और जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं उल्लेख किया है एक वरिष्ठ अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है ?

श्री पीलू मोदी : कितने मंत्री।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दुर्गापुर में मिश्र धातु इस्पात संयंत्र में उत्पादन बढ़ाना

*6?. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर में मिश्र धातु इस्पात संयंत्र में मिश्र धातु इस्पात के उत्पादन को न बढ़ाने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या संयंत्र के कर्मचारियों और अधिकारियों ने सरकार के निर्णय की निन्दा करते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) एलाय स्टील्ज एक्जीक्यूटिवज एसोसिएशन के कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक परचा जारी किया है जिसमें मिश्र इस्पात कारखाने की बेदाग इस्पात की क्षमता को न बढ़ाने के सरकार के निर्णय का विरोध किया गया है।

इण्डोचीन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग

*6 3 **श्री सी० के० जाफर शरीफ** :

श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में केनेडा के प्रतिनिधिमण्डल ने इण्डो-चीन सम्बन्धी 1954 के जेनेवा समझौते के अधीक्षण के लिए जिम्मेदार त्रि-सदस्यीय निकाय की "चिरकालिक अकर्मण्यता" के लिए भारत तथा पोलैण्ड को उत्तरदायी ठहराया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत सरकार कनाडा द्वारा लगाए गए आरोप को स्वीकार नहीं कर सकती। वियतनाम में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उनमें अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण एवं अधीक्षण आयोग की तथाकथित "अकर्मण्यता" स्वाभाविक थी और इनके लिए न तो भारत को और न पोलैंड को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

हिन्द महासागर में रूसी नौसैनिक जहाज

*72. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में रूसी नौसैना के जहाजों की उपस्थिति बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) हिन्द महासागर को विदेशी शक्तियों से मुक्त रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सोवियत संघ सहित विभिन्न बड़ी शक्तियों के नौसैनिक जहाज हिन्द महासागर का उपयोग करते रहे हैं। सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि हिन्द महासागर में सोवियत नौसैना के जहाजों की संख्या बढ़ रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने हिन्द महासागर को बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता से मुक्त रखने के लिए अपने विचार पहले ही व्यक्त कर दिए हैं। लुसाका घोषणा को सम्बन्धित शक्तियों के ध्यान में लाया गया है। हम भी संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली के 1 दिसम्बर 1971 के प्रस्ताव के सह-प्रयोजकों में से एक हैं, जिसमें सभी शक्तियों से हिन्द महासागर को एक शान्ति क्षेत्र रखने के लिए कहा गया था।

कोयला खान श्रमिकों के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

*74. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री राम प्रकाश :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खान श्रमिकों के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्णय किया है और यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ख) उपरोक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में निर्णय सरकार के तारीख 21 जुलाई, 1967 के संकल्प में घोषित किए गए थे जिनके अनुसार संकल्प के पैरा 4 में उल्लिखित सिफारिशें 15.8.1967 से लागू किए जाने हेतु स्वीकार की गई थीं।

(ख) सूचना मिली है कि 82.2% श्रमिकों के सम्बन्ध में ये सिफारिशें पूर्णता और 14% श्रमिकों के बारे में आंशिक रूप में कार्यान्वित की जा चुकी हैं। जहां कहीं ऐसा नहीं किया गया है, वहाँ संबंधित नियोजकों को इन सिफारिशों को लागू करने के लिए मनाने हेतु प्रयास जारी है।

निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजूरी

*75. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया हिन्दुस्तान कन्स्ट्रशन वर्कर्स यूनियन की फैडरेशन से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजूरी निश्चित करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने निर्माण श्रमिक संघों की मांग के अनुसार न्यूनतम दैनिक मजूरी निश्चित कर दी है ; और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) और (ख). जी हाँ। निर्माण श्रमिकों की विद्यमान वेतन दरों के पुनरीक्षण हेतु अपने सुझाव देते हुए संघ ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिससे सम्बन्धित प्रस्ताव मसौदा, 20 मई, 1972 को अधिसूचित किया गया था।

(ग) अधिसूचित मसौदा प्रस्तावों सम्बन्धी सुझाव/आक्षेप प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार सलाहकार बोर्ड से सलाह करके अन्तिम रूप दिया जाएगा।

Setting up of an Iron Ore Plant at Ballia, U. P.

*76. SHRI SARJOO PANDEY : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to set up an iron are plant at Ballia, Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the time by which it would be set up and the expenditure to be incurred thereon and the number of persons who will be provided employment there ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI S. MOHAN KUMARAMAGALAM) : (a) and (b). Government have no proposal for the setting up of an iron ore plant at Ballia in Uttar Pradesh.

बेल्लारी तथा हास्पेट से निर्यात हेतु निकाला गया लौह अयस्क

*77. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में बेल्लारी तथा हास्पेट क्षेत्र से निर्यात हेतु कितना लौह अयस्क निकाला गया ; और

(ख) इन वर्षों में मद्रास तथा करबार बेलिकिरी पत्तनों से कितनी मात्रा में अयस्क का निर्यात किया गया ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा 1970-71 और 1971-72 के वर्षों के दौरान बेलारी/होस्पेट क्षेत्र से

निर्यात के लिए उपाप्त और मद्रास, करवार और बेलिकेरी के पत्तनों से निर्यातित लौह अयस्क की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं :—

(क) उत्पादन	(मात्रा लाख टनों में)
1970-71	30.70
1971-72	37.30

(ख) निर्यात

पत्तन	1970-72 (मात्रा)	1971-72 (मात्रा)
मद्रास	21.00	20.00
करवार	2.60	2.80
बेलिकेरी	2.60	2.50

केरल में बडगरा के निकट पारे की उपलब्धता के बारे में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था का प्रतिवेदन

*78. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बडगरा के निकट पारे की उपलब्धता के बारे में भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण संस्था की जाँच सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र में पारे के निक्षेपों के लिए तापीय सर्वेक्षण करने के प्रस्ताव पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग). जी, नहीं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने केरल में कोजीकोडे जिले के बादागारा क्षेत्र के समीप के पास प्राप्ति स्थलों के लिए प्रारंभिक अन्वेषण संपूरित किए हैं और रिपोर्ट तैयार की जा रही है ; अन्वेषण से इस क्षेत्र में किसी आशाजनक क्षेत्र का पता नहीं चला है।

क्योंकि आरंभिक अन्वेषणों से किसी आशाजनक क्षेत्र का पता नहीं चला है अत: इस समय तापीय सर्वेक्षण करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

हांगकांग में भारतीय आयुक्त के लिए मकान का अधिक किराया

*79. **श्री हरि किशोर सिंह :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांगकांग स्थित भारतीय आयुक्त को 12,000 रुपये प्रति मास किराये पर रिहायशी स्थान लेने का अधिकार दिया गया है जैसा कि दिनांक 28 सितम्बर, 1972 के "इंडियन एक्सप्रैस" नई दिल्ली में समाचार छपा है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या उक्त आयुक्त ने मकान के फर्नीचर आदि के लिए 84,000 रुपये की मांग की है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) कमिश्नर के लिए 13040 रु० मासिक किराए की दर से एक नया मकान हाल ही में किराए पर लेना पड़ा था क्योंकि जिस घर में वह पहले रह रहे थे, वह उसके मकान मालिक ने बेच दिया था और खरीदकर स्वयं उस मकान में रहना चाहता था।

(ख) चूंकि पुराने मकान का अधिकांश फर्नीचर मकान मालिक का था, इसलिए कमिश्नर ने नए फर्नीचरविहीन मकान के लिए फर्नीचर 48,000 रु० की लागत से खरीद लिया है।

राजनैतिक मामलों में पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति को विरोध-पत्र

***80. श्री पी० गंगादेव :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति के प्रवक्ता द्वारा बंगला देश में बीमार और जख्मी पाकिस्तानी सैनिकों को पाकिस्तान भेजने में भारत द्वारा देर किए जाने के आरोप के बारे में जेनेवा से प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) सरकार इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है कि अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति ने, जो कि राजनीतिक न होकर एक मानवतावादी निकाय है, पक्षतापूर्ण तथा तथ्यात्मक दृष्टि से गलत बयान जारी किया है। 26 सितम्बर, 1972 को हमारे सरकारी प्रवक्ता ने एक वक्तव्य द्वारा इसका खण्डन किया है। बंगला देश सरकार की सहमति से भारत सरकार गम्भीर रूप से घायल सभी पाकिस्तानी युद्धबंदियों तथा नागरिकों का देश प्रत्यावर्तन पहले ही कर चुकी है। जब भी गम्भीर बीमारी के नए मामले नजर में आते हैं, भारत सरकार बंगला देश को सहमति से उनके प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक कार्यवाही करती है।

Indian Batallion attacked by Pakistani forces in Hazipur sector

601. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of DEFENCE be pleased to State :

(a) whether Pakistanis had besieged a batallion of Indian army and attacked in Hazipur sector on the 3rd September, 1972; and

(b) if so, the loss of life and property sustained as a result thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No. Sir. (b) Does not arise.

Removal on Employees of Premier Automobiles from service

603. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of Labour and Rehabiliation be pleased to state :

(a) whether 6,000 employees of the Premier Automobiles have been removed from service ; and

(b) if so, the period for which these employees remained unempleyed and the number of employees, who have not been absorbed so far?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). The matter falls in the State sphere.

सिविलियन स्टोर कीपरों की तैनाती पर किया गया व्यय

604. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिविलियन स्टोरकीपरों की वायु मुख्यालय से यूनिटों में तथा यूनिटों से वायु मुख्यालय में तैनात करने पर सरकार को प्रति वर्ष कितना धन व्यय करना पड़ता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी आवासों में निजी संस्थायें

605. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कर्मचारी आवास के लिए उन्हें दिये गये सरकारी आवासों से निजी संस्थाएं चला रहे हैं और उनमें शिक्षण का माध्यम केवल अंग्रेजी ही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए बने नियमों के अनुसार ऐसा किया जा सकता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है। यह एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) जी नहीं ; यदि आवास को अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाना हो तो सरकार की विशिष्ट मंजूरी की आवश्यकता होती है।

नई दिल्ली होस्टल में एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी द्वारा कथित आत्म हत्या

606. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सटर्नल अफेयर्स होस्टल नई दिल्ली में रहने वाला एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हाल ही में अपने निवास स्थान पर मृत पाया गया था और उसका शव उसके कमरे में लगे छत के पंखे से लटका हुआ था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई थी ; यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या और अधिक तथ्यों की जानकारी के लिए सरकार का विचार एक उच्च स्तरीय जांच कराने का है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारतीय विदेश सेवा का एक अधिकारी श्री राय साहब सिंह एक्सटर्नल अफेयर्स होस्टल के अ०ने कमरे में 11-10-1972 को मरा पड़ा पाया गया। इसकी गर्दन में चादर का एक सिरा बंधा हुआ था और उसका शरीर छत के पंखे से लटक रहा था।

(ख) चूंकि यह अप्राकृतिक मृत्यु का मामला था, इसलिए इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को तत्काल दी गई जिन्होंने उसकी जांच-पड़ताल का काम हाथ में ले लिया। इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :—

"श्री सिंह को मांडले-स्थित हमारे कौंसलावास में उन्नति पर स्थानातंरण के आदेश दिए गए थे। वह अपने परिवार के साथ छुट्टी बिताकर दिल्ली वापस आ गए थे और 4-10-72 को एक्सटर्नल अफेयर्स होस्टल में रहने के लिए चले गए थे। 11 तारीख को सबेरे कमरे के बहरे ने जब दरवाजे पर खटखटाया तब उस दरवाजे में अन्दर से ताला बन्द मिला। बाद में सवेरे जब सफाई के लिए जमादार वहां गया था वह कमरा अन्दर से तब भी ताला बन्द था और खटखटाहत का कोई उत्तर नहीं मिला। होस्टल के केयर टेकर को इसकी सूचना दी गई थी और जब उसने रोशनदान से झांककर देखा तो श्री सिंह का शरीर छत के पंखे से लटका हुआ था। यह बात इस मंत्रालय के अधिकारियों को बता दी गई और वे घटनास्थल पर तत्काल पहुँच गए। पुलिस अधिकारियों को सूचना दे दी गई थी और उन्होंने स्थिति को हाथ में लिया और आवश्यक पूछताछ आरम्भ कर दी। उन्होंने शवपरीक्षण के लिए शरीर भेज दिया और उसकी रिपोर्ट यह थी कि लटकने के कारण दम घुट जाने से मृत्यु हुई है। चूंकि पुलिस अधिकारियों को इसमें किसी तरह की गड़बड़ी का कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इस मामले को समाप्त कर दिया। मृत शरीर यू० पी० से श्री सिंह की पत्नी के आने तक मुर्दाघर में रख दिया गया। पत्नी के आ जाने के बाद, 13-10-72 को शव का दाह-संस्कार करने की सभी सुविधाएं दे दी गई।

(ग) चूंकि यह आत्म हत्या का मामला था, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने मामला समाप्त कर दिया है। इसलिए इस मामले में विदेश मंत्रालय द्वारा उच्च स्तरीय जाँच करने का प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में प्रोटोटाइप टेलीविजन रिसीवर का बनाया जाना

607. **श्री बेकेरिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के इलेक्ट्रानिक्स प्रभाग द्वारा प्रोटोटाइप टेलीविजन रिसीवर बनाया गया है और उसके निर्माण के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने टेलीविजन रिसीवर के निर्माण के लिए लाइसेंस देने के बारे में क्या निर्णय लिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारत बंगला देश संयुक्त कमान के सम्मुख आत्म-समर्पण

608. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री बेकेरिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत की हिरासत में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत बंगला देश संयुक्त कमान के सम्मुख आत्म-समपर्ण किया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने से पहले बंगला देश सरकार से परामर्श किया गया था ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पूर्वी क्षेत्र से भारत में बन्दी पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों ने भारत बगला देश की संयुक्त कमाण्ड के समक्ष समर्पण किया ।

(ख) पूर्वी क्षेत्र से सम्बन्धित पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को लौटाने के हर मामले में बंगला देश सरकार की सलाह ली गई है ।

विदेशों में भारतीय मिशनों का कार्यकरण

609. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "वीकली राउन्ड टेबल" में श्री पी० रतनम द्वारा लिखित एक लेख की ओर ध्यान दिया है जिसमें हमारे विदेशी मिशनों के कार्यकरण की कुछ सामान्य कमियाँ बताई गई है तथा उनको सुधारने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) विदेश मिशनों के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस लेख में व्यक्त अधिकांश विचार तथ्यों पर आधारित नहीं है ।

(ग) विदेश स्थित मिशनों के कार्यों की मंत्रालय द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है तथ विदेश सेवा निरीक्षकों की टीम द्वारा समय-समय पर मौके पर जाकर मिशनों का निरीक्षण भी किया जाता है । इसमें जब कभी कोई त्रुटि देखी जाती है तो उसके प्रतिकार के लिए उपाय किए जाते हैं । मिशनों में काम कर रहे अधिकारियों तथा मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हमेशा विचारों के आदान-प्रदान होते रहते हैं तथा मिशन में कार्य कर रहे कोई अधिकारी जब मुख्यालय के दौरे पर आते हैं, तो सभी सम्बद्ध व्यक्ति उनसे विचार विमर्श करते हैं और इस तरह उनकी यात्रा का सर्वाधिक लाभ उठाया जाता है । इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न क्षेत्रों

के भारतीय मिशन-प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसी उद्देश्य से हाल ही में एशिया स्थित सभी भारतीय मिशनों के प्रमुखों का एक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था।

विदेश सेवा में अधिकारियों के चयन तथा पदोन्नति का आधार योग्यता एवं कठिन परिश्रम है क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा चयन किया जाता है तथा एक निश्चित अवधि तक अधिकारी के कार्य के मूल्यांकन के पश्चात् नियमित रूप से गठित विभागीय पदोन्नति समिति तथा विदेश सेवा बोर्ड द्वारा पदोन्नति की जाती है और जब कभी नियमों के अनुसार आवश्यक हुआ तो संघ लोक सेवा आयोग से भी परामर्श लिया जाता है। किसी भी दुष्कर कार्य को कुशलतापूर्वक सम्पादित करने की योग्यता भारतीय मिशनों ने दिखलाई है तथा पाकिस्तान के साथ हाल के संघर्ष में और युद्धोत्तर घटनाओं में उन्होंने प्रशंसनीय भूमिका निभाई है।

विदेशों में नए सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना

610. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद् विदेशों में कुछ नये सांस्कृतिक केन्द्र खोलना चाहती है जिससे भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के सम्बन्ध में जानकारी दी जा सके ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध-परिषद ने सुवा (फिजी) तथा सान फ्रांसिस्को में पहले ही भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र खोल दिए है और वह जार्ज टाउन (गुयाना) में एक केन्द्र खोलने जा रही है। परिषद् निकट भविष्य में लीमा (पेरू) और बंगकाक (थाईदेश) में सांस्कृतिक केन्द्र खोलने का इरादा कर रही है। अन्य देशों में केन्द्र खोलने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रों के कार्य कलापों में ऐसे स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से पत्रिकाओं, पुस्तकों का वितरण, फिल्मों और स्लाइडों का प्रदर्शन, भारत पर पुस्तकालय चलाना और भारतीय संगीत टेपों और रेकार्डों की लाइब्रेरी चलाना, भाषणों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नृत्य और संगीत कक्षाओं तथा अन्य कार्यों का प्रबन्ध करना शामिल है जिनका उद्देश्य आतिथेय देश के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान करना है।

(ग) प्रत्येक केन्द्र के लिए अभी लगभग 3 लाख रुपये के औसत वार्षिक आबंटन की व्यवस्था का विचार है।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए इण्डियन रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्राप्त सहायता

611. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगलादेश के शरणार्थियों को राहत देने के लिए इण्डियन रैडक्रास सोसायटी को विदेशों से कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जैसा कि सोसायटी ने सूचित किया है भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तात (अब बंगला देश) के शरणार्थियों को राहत देने के लिए इण्डियन रेडक्रास सोसायटी को विदेशों से प्राप्त सहायता का अनुमानित मूल्य लगभग 25 करोड़ रुपये है ।

विशाखापतनम और हैण्डलिंग प्लान्ट एम्पलायीज एसोसिएशन की मांगों सम्बन्धी प्रतिवेदन

612. **श्री समर मुखर्जी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को विशाखापत्तनम और हैंडलिंग प्लान्ट एम्पलायीज एसोसिएशन के मांग पत्र के सम्बन्ध में समझौता प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) समझौता असफलता की रिपोर्ट में निदर्शित किया गया कि अनौपचारिक विचार-विमर्श के दौरान 41 मांगों में से 21 पर मतैक्य हुआ था । शेष 20 मागों के सम्बन्ध में, रिपोर्ट में प्रबन्ध मंडल और संघ के मतों का उल्लेख किया गया ।

(ग) विशिष्टता के आधार पर 20 अनिर्णीत मांगों की सरकार द्वारा जांच की गयी, लेकिन उनमें से किसी को भी न्याय-निर्णय के लिये निर्देशित करने हेतु उपयुक्त नहीं समझा गया था । तदनुसार, 7 अक्तुबर, 1972 को, विवाद के पक्षों को सूचित कर दिया गया था ।

पिछले गणतंत्र दिवस की परेड में स्कूलों द्वारा भाग लेना

613. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले गणतन्त्र दिवस की परेड मे भाग लेने वाले स्कूलों को अन्तिम दिन की परेड में भाग लेने से केवल इसलिये निकाल दिया गया कि उन स्कूलों के बच्चों ने उन्हें दिये गये जलपान के बारे में शिकायत की थी ;

(ख) क्या स्कूल के बच्चों को सुबह सवेरे से दोपहर तक परेड में मीलों तक भाग लेने के पश्चात् भूखे रखा गया था ; यदि हा, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उनका मंत्रालय उन अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगा जो छात्रों को हुई कठिनाई के लिए जिम्मेदार थे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् । गणतन्त्र दिवस की परेड में से बच्चों को इण्डिया गेट पर निकाल दिया गया था और उन्हें नेशनल स्टेडियम में ले जाया गया जहां उन्हें जलपान दिया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती के कार्यों की जांच

614. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री के० बालदन्डायुतम :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड भद्रावती के कार्यों की जाँच करने के लिये एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के निदेश पद क्या हैं और इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मैसूर सरकार ने कम्पनी के कार्यकरण के बारे में लगाये गये कुछ आरोपों की जांच के आदेश दिये हैं। यह जांच भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मत्रालय के सचिब श्री आ० सी० दत्त द्वारा की जा रही है।

(ख) विचारार्थ विषय इस प्रकार है :—

(1) साधारण इस्पात विस्तार योजना तथा मिश्र और विशेष इस्पात प्रायोजना में इसके परिवर्तन की योजना-उनके आयोजन, निष्पादन और कार्यकरण के सभी पहलुओं की जांच करना और उन पर अपनी रिपोर्ट देना, पूंजीगत लागत में अधिक वृद्धि होने, कार्यान्वियन में विलम्ब, क्षमता का कम उपयोग, मिश्र और विशेष इस्पात एकक में हो रही भारी हानियों के कारणों का पता लगाना और विभिन्न स्तरों पर कम्पनी के हितों की रक्षा न करने के लिए उत्तरदायित्व निश्चित करना।

(2) वर्ष 1965-66 से लेकर किये गये खरीद और बिक्री के बड़े-बड़े सौदों की जा मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि० के लिये अहितकर सिद्ध हुये हैं और जिनके बारे में प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट, लेखा परीक्षा रिपोर्टों और मैसूर सरकार के वित्तीय सलाहकार श्री ए० आर० शिराली द्वारा 1971 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है और जिस पर उत्तरदायी ठहराने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है, की जांच करना और रिपोर्ट देना।

(3) कम्पनी के कार्यकरण में लाभदायिकता में सुधार करने के उद्देश्य से उचित क्रय तथा विक्रय नीतियों के बारे में सुझाव देना, तैयार उत्पादों के मूल्यन के प्रश्न पर विचार करना और वर्त्तमान मूल्यन नीति की अपर्याप्ताओं तथा त्रुटियों को स्पष्ट रूप से बताना और वर्तमान मूल्यन नीति में सुधार करने के लिए सुझाव देना।

(4) मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि० की कार्मिक नीतियों के बारे में रिपोर्ट देना और उच्च पदों जब और जैसे ही वे खाली हों को भरने के उपाय सुझाना।

(5) कार्यभार को देखते हुये कारखाने के कर्मचारी-ढांचे के प्रश्न पर विचार करना। रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है।

बैलाडिला में गुलेली बनाने का संयंत्र

615. **श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या इस्पत और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में लौह अयस्क चूर्ण जमा हो रहा है और उसका इस समय किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या बैलाडिला में उपरोक्त अयस्क के उपयोग के लिये गुलेली बनाने का संयंत्र लगाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है और संयंत्र के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल इस समय प्रस्ताव का परीक्षण कर रहा है।

श्रमिक प्रबन्धक सम्बन्ध सुधारने की योजनाएं

616. **श्री डी० डी० देसाई : क्या श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय श्रमिक प्रबन्ध सम्बन्ध सुधारने के लिये दीर्घकालीन योजनाओं पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) : जी, हां।

(ख) सरकार का विचार, यथाशीघ्र, औद्योगिक सम्पर्कों से सम्बन्धित एक विस्तृत विधेयक पेश करने का है जिसके अन्तर्गत विवादों को हल करने के लिये तंत्र और कार्य-पद्धति, हड़ताल/तालाबन्दी के लिये कार्य-पद्धति, मजदूर संघों की मान्यता, मजदूर संघ कानून आदि से संबन्धित मामले शामिल होंगे। इस सम्बन्ध में ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती में तालाबन्दी

617. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**
श्री जी० वाई कृष्णन :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती में तालाबन्दी चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार को इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां। मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि० भद्रावती में 19 सितम्बर, 1972 के प्रातः 7 बजे से 27 सितम्बर, 1972 के प्रातः 7 बजे तक तालाबन्दी रही थी।

(ख) 18 सितम्बर, 1972 को कम्पनी के कर्मचारियों ने मंहगाई भत्ते में वृद्धि से संबधित अपनी मांग के बारे में, वरिष्ठ अधिकारियों का घेराव किया तथा उन पर आक्रमण किया। उन्होंने कम्पनी की सम्पत्ति को भी नष्ट किया तथा गैरकानूनी हाजिर-हड़ताल कर दी। अतः प्रबन्धकों को बाध्य होकर तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी। तालाबन्दो के परिणामस्वरूप उत्पादन में लगभग 125 लाख रुपये की हानि हुई।

युगांडा से एशियाई मूलक व्यक्तियों के निष्कासन से उत्पन्न समस्याओं का हल करने के बारे में अमरीकी देशों से की गई अपील

619. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगांडा से एशियाई मूलक व्यक्तियों के निष्कासन से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिये अफरीकी देशों से की गई अपील का उन पर कोई अनुकूल प्रभाव हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से ; और

(ग) युगांडा स्थित एशियाई मूलक व्यक्तियों को विमान द्वारा लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उपविदेश मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) इस मामले में भारत सरकार ने अफ्रीकी सरकारों से कोई अपील नहीं की परन्तु कई अफ्रीकी सरकारों को यह बता दिया गया है कि युगांडा द्वारा किये जा रहे जातीय भेदभाव एवं अमानवीय निष्कासन का, जातीय भेदभाव के विरुद्ध एवं मानव स्वतंत्रता के लिये साथ साथ लड़े संघर्ष के कारण विकसित अफ्रो-एशियाई एकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

(ग) अपने नागरिकों की परिसम्पत्तियों के प्रत्यावर्तन तथा वसूली की उचित तथा न्याय संगत शर्तें प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। इस उद्देश्य से हम सभी उपलब्ध साधनों के माध्यम से अपना प्रयास जारी रखेंगे।

भारी इन्जिनियरिंग निगम, राँची को हुई हानि

620. **श्री बख्शी नायक** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम रांची को हाल ही में कई करोड़ रुपये की हानि हुई है ;

(ख) क्या इतनी भारी हानि के कारणों के सम्बन्ध में जांच की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 31 मार्च, 1972 तक भारी इंजीनियरी निगम को कुल 89.19 करोड़ रुपये की हानि हुई है। पिछले कुछ वर्षों की हानि का व्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	करोड़ रुपये
1967-68 तक	26.07
1968-69	14.66
1969-70	18.18
1970-71	14.43
1971-72 (अस्थायी)	15.85

(ख) और (ग) परिचालन के प्रारम्भिक षों के भारी इंजीनियरी निगम के आकार प्रकार की प्रायोजनाओं में भारी लागत तथा लंबी जेस्टेशन अवधि के कारण घाटा होता ही है। कुछ सीमा तक कारखाने में घाटे का कारण उत्पादन में धीमी गति से वृद्धि है जिसके कई कारण हैं। इन कारणों में इन वर्षों में प्रबन्ध में त्रुटियां तथा असंतोषजनक मालिक मजदूर सम्बन्ध भी शामिल हैं। घाटे के कारणों में ब्याज का भारी बोझ, मूल्य ह्रास तथा ऊपरी खर्च भी शामिल हैं।

सामग्री का प्रबन्ध तथा उत्पादन नियंत्रण में सुधार करने, लक्ष्योण्मुख कार्यक्रमों को पूरा करने तथा प्रबन्धकों की कुशलता तथा कर्मचारियों की उत्पादन-क्षमता में सुधार करने के लिये कई प्रकार के उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं। निगम के कार्य की समय समय पर समीक्षा करने के लिये मंत्रालय में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है इससे उत्पादन में आने वाली रुकावटों का पता लगाने में मदद मिली है।

इन उपायों के फलस्वरूप 1971-72 में निगम के कार्य में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और अगले दो वर्ष में काफी सुधार होने की आशा है।

हिन्दालको को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली सप्लाई न किये जाने के कारण एल्युमिनियम का आयात

622. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को सात करोड़ रुपये का एल्युमिनियम आयात करना पड़ा था क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और हिन्दालकों के बीच दर सम्बन्धी विवाद के कारण उक्त सरकार ने कम्पनी को बिजली सप्लाई नहीं की और यह कम्पनी बन्द पड़ी रही ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस विवाद में हस्तक्षेप करने का है जिससे कि दुर्लभ विदेशी मुद्रा बचाई जा सके ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, नहीं।

(ख) हिन्दालको और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य कम्पनी के विस्तारण कार्यक्रम के लिये विद्युत की आपूर्ति के सम्बन्ध में विवाद है न कि उसकी विद्यमान क्षमता के लिये। केन्द्रीय सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है।

लैटिन अमरीकी देशों के भारत में मिशन और भारत के इन देशों में मिशन

623. **श्री डी० पी० जडेजा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन लैटिन अमरीकी देशों के मिशन हैं ; और

(ख) लैटिन अमरीकी देशों में भारतीय मिशनों का देश-वार दर्जा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) देशों के नाम :—

अर्जेन्तीना, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया, क्यूबा, मेक्सिको, पेरू, ट्रिनीडाड एण्ड टोबैगो, उरुग्वे और वेनेजुएला।

(ख) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

लातीन अमरीकी देशों में भारतीय राजनयिक मिशन एवं उनका दर्जा

क्रम सं०	देश	दर्जा	टिप्पणी
1.	अर्जेन्तीना	राजदूतावास स्तर का	राजदूत साथ ही साथ पराग्वे और उरुग्वे के राजदूत के रूप में भी प्रत्यायित है।
2.	ब्राजील	राजदूतावास स्तर का	राजदूत साथ ही साथ वेनेजुएला और बोलीविया के राजदूत के रूप में भी प्रत्यायित हैं।
3.	चिली	राजदूतावास स्तर का	राजदूत साथ ही साथ कोलम्बिया इक्वाडोर और पेरु में भी राजदूत के रूप में प्रत्यायित है।
4.	क्यूबा	राजदूतावास स्तर का	मेक्सिको में आवासी राजदूत क्यूबा में रह रहे परामर्शदाता/सीकीए।
5.	गुयाना	हाई कमीशन स्तर का	

क्रम सं०	देश	दर्जा	टिप्पणी
6.	मेक्सिको	राजदूतावास स्तर का	राजदूतावास साथ ही साथ क्यूबा, पानामा और निकारगुवा में भी प्रत्यायित हैं। पनामा में शीघ्र ही एक आवासी मिशन स्थापित होने को है तथा राजदूत की नियुक्ति हो चुकी है।
7.	पेरु	राजदूतावास स्तर का	सान्तियागो (चिल्ली) में आवासी राजदूत लीमा(पेरु) में परामर्शदाता/कार्यदूत रहते हैं।
8.	ट्रिनीडाड एंड टोबैगो	हाई कमीशन स्तर का	हाई कमिश्नर साथ ही साथ जमैका और बारबाडोस के हाई कमिश्नर के रूप में भी प्रत्यायित हैं।
9.	बेनेजुएला	राजदूतावास स्तर का	ब्राजिलिया (ब्राजील) में आवासी राजदूत कैराकस (बेनेजुएला) में परामर्शदाता/कार्यदूत रहते हैं।

भारत में पनडुब्बी का निर्माण करना

624. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री मान सिंह भौरा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पनडुब्बियों के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). सरकार की यह नीति है कि जहां तक सम्भव हो विभिन्न प्रतिबन्धों को देखते हुए अधिक सीमा तक स्वदेशी उत्पादन पर, निर्भर किया जाय। भारत में पनडुब्बियों का उत्पादन भी हमारी आत्म निर्भरता प्राप्त करने की सम्पूर्ण योजना का एक अंग है। इस सम्बन्ध में विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस विषय पर कोई विशिष्ट सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का विस्तार

625. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के विस्तार-कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस कार्यक्रम पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). सार्वजनिक क्षेत्र के चार सर्वतोन्मुखी इस्पात कारखानों में से भिलाई और बोकारों के विस्तार कार्यक्रम को चतुर्थ योजना इस्पात विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है । भिलाई की इसके वर्तमान 25 लाख पिण्ड टन की वार्षिक क्षमता को 40 लाख टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

बोकारो का इसके प्रथम चरण की 17 लाख पिण्ड टन की क्षमता को 25 लाख टन और फिर दूसरे चरण के साथ साथ 40 लाख टन तफ बढ़ाया जा रहा है ।

इन दो कारखानों का 40 लाख टन से आगे विस्तार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे कारखानों का विस्तार विचाराधीन है ।

(ग) भिलाई के विस्तार की विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो द्वारा तैयार की जा रही है । अनुमानित लागत का पता विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट के मिलने पर ही लगेगा ।

बोकारो के दूसरे चरण पर व्यय का अनुमान 19 65 में तैयार की गई विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन व्यूरों द्वारा अद्यतन कर दिए जाने पर ही लग सकेगा ।

बर्मा से वापस आये भारतीयों का पुनर्वास

626. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में पुनर्वास के इच्छुक बर्मा से वापस आने वाले भारतीयों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) इन स्वदेश लौटने वालों को दुकानें तथा स्टाल आवंटित करने, व्यवसाय अथवा व्यापार के लिए लाइसेंस-परमिट देने जैसी क्या-क्या सुविधाएं राज्यवार प्रदान करने की पेशकश की गयी है ; और

(ग) उनका शीघ्र संतोषजनक पुनर्वास कराने की दिशा में प्रत्येक राज्य ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों को, जहां तक सम्भव हो, सम्पूर्ण भारत वर्ष में उनके मूल राज्यों में बसाया जा रहा है । 1, 96, 488 व्यक्ति जो बर्मा से स्वदेश पहुंच चुके हैं, उनकी 4.11.1972 तक की स्थिति का राज्य-वार विभाजन संलग्न विवरण—I में दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी—3706/72]

(ख) बर्मा से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को विभिन्न राज्यों में व्यापार ऋण, रोजगार, कृषि भूमि के आबंटन, कारोबार के स्थान आदि के आबंटन के रूप में दी गई सुविधाएं संलग्न विवरण—II में दिखाई गई हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी—3706/72]

(ग) स्वदेश लौटे व्यक्तियों को शीघ्र संतोषजनक पुनर्वास देने के लिये जो उपाय किये गए हैं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण—III में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी—3706/72]

युगांडा से लौट कर आए व्यक्तियों को राहत देना

627. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री वी० मायावन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगांडा से लौट कर आये लोगों को तुरन्त राहत देने के लिए केन्द्रीय पुनर्वास विभाग ने कोई व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) जी, हां।

(ख) अन्य किसी देश द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई है।

(ग) वायुयान या जलयान द्वारा पहुँचने पर स्वदेश लौटे व्यक्तियों से भारत सरकार के अधिकारी मिलते हैं। निर्धारित दर पर उनको दिए जाने वाले 14 दिन के भत्ते के अतिरिक्त, उनके आवास, चिकित्सा सहायता और बम्बई/दिल्ली में तथा बम्बई/दिल्ली से उनके अपने-अपने मूल स्थानों तक होने वाला सभी परिवहन खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

भारतीयों का युगांडा से निष्कासन

628. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई मूलक व्यक्तियों को युगांडा से निष्कासित करने सम्बन्धी युगाँडा सरकार के निर्णय के फलस्वरूप कितने भारतीय स्वदेश लौटे हैं ;

(ख) क्या इन भारतीयों को अपना सामान नकदी तथा अन्य आभूषण अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी गई थी ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भारत सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) जो भारतीय राष्ट्रिक अभी भारत लाये जाने हैं, उनकी संख्या क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 7 नवम्बर, 1972 तक भारत मूल के 7,245 व्यक्तियों को उगाँडा से भारत में प्रवेश मिला है।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने उगांडा सरकार से हमेशा यह निवेदन किया है कि निष्कासित व्यक्तियों को अपना सभी सामान अपने साथ लाने की अनुमति मिलनी चाहिए। उगांडा सरकार ने हरेक परिवार को 50 पौंड नकद तथा 450 पौंड मूल्य का निजी और घरेलू सामान जिसका वजन 200 किलो से अधिक नहीं हो, ले जाने की अनुमति दी थी। लेकिन उगांडा के सुरक्षा अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा ऐसे निष्कासित व्यक्तियों के नकद धन एवं निजी सामानों की चोरी तथा अपयोजन की रिपोर्ट मिली है। जहां कहीं भारतीय नागरिक के साथ ऐसा हुआ है वहां भारत सरकार ने कड़ा विरोध-पत्र भेजा है और सरकार के हस्तक्षेप से कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति भी की जा रही है।

(घ) वर्तमान सूचना के अनुसार ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक उगांडा में नहीं है जिसे निश्चित तारीख तक उगांडा छोड़ने का आदेश दिया गया था। उगांडा सरकार द्वारा लगभग 500 से 600 भारतीय नागरिकों को उगांडा में रहने की छूट मिली थी और वे वहीं हैं।

युगाँडा से एशियाई व्यक्तियों के निष्कासन से उत्पन्न स्थिति को संयुक्त राष्ट्र में उठाना

629. **श्री के० लकप्पा :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई व्यक्तियों के युगांडा से निष्कासन से उत्पन्न स्थिति का प्रश्न राष्ट्र संघ में उठाने का निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या भारत ने समस्या को हल करने हेतु संयुक्त राष्ट्र को कोई प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के कार्यालय का सैगोन से हनोई स्थानान्तरित किया जाना

630. **श्री के० लकप्पा :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वियतनाम सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के कार्यालय को हनोई स्थानान्तरित कर दिया गया है, क्योंकि सैगोन ने उसके सदस्यों और कर्मचारियों के बीजा-पत्रों का नवीकरण करने से इन्कार कर दिया था ;

(ख) क्या दक्षिण वियतनाम सरकार ने भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के साथ बुरा व्यवहार किया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण वियतनाम की सरकार ने अवरोधात्मक रुख अपना कर अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग के भारतीय सदस्यों के मार्ग में अनेक बाधा खड़ी कीं और 30 सितम्बर, 1972 से आगे के लिए उनकी वीजा की अवधि बढ़ाने से इन्कार कर दिया।

(ग) भारत सरकार ऐसे सभी भेदभावपूर्ण उपायों की भर्त्सना करती है जिनसे 1954 के जेनेवा समझौते का उल्लंघन होता हो।

सुचेतगढ़ में हुई नियंत्रण रेखा के रेखांकन संबंधी भारत-पाक वार्ता में प्रगति

631. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर की नियंत्रण रेखा के रेखांकन के बारे में भारत और पाकिस्तान के सेनापतियों के बीच सुचेतगढ़ में हुई वार्ता में प्रगति धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है ; और

(ग) क्या इस विलम्ब से शिमला समझौते को भारी धक्का लग रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमान्। रेखांकन के सम्बन्ध में वार्ता की प्रगति असम्भावित रूप से धीमी रही है।

(ख) वर्तमान वास्तविकताओं में समन्वय/अनुकूलन की मनोवृति से भिन्न, विलम्ब के उत्तरदायी मुख्य कारण—

(i) छम्ब से परथापुर लगभग 766 किलोमीटर तक फैली हुई नियन्त्रण रेखा की लम्बाई।

(ii) क्षेत्र का कठिन स्वरूप।

(iii) किसी भी पक्ष की ओर से दावा किए गए क्षेत्र का उसी स्थान पर सर्वेक्षण तथा निरीक्षण।

(iv) वरिष्ठ मिलिट्री कमांडरों के चर्चाधीन कुछ क्षेत्रों तक पहुंचाने में कठिनाई।

(ग) जी हां, श्रीमान् ! नियंत्रण रेखा के सीमांकन के कार्य में विलम्ब ने शिमला समझौता में व्यक्त किए गए समय अथवा उस समझौते के समय व्यक्त किए गये समय को अव्यवस्थित कर दिया है।

काश्मीर के कोटली सेक्टर में गोली चलाने का भारतीय सेना पर आरोप

632. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया है कि 30 सितम्बर, 1972 को काश्मीर के कोटली सेक्टर में भारतीय सैनिकों ने गोलियां चलायी थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस आरोप का खंडन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख). जी हां, श्रीमन ।

(ग) बाद में आपस में 1 अक्तूबर, 1972 से युद्धविराम करने का निश्चिय किया गया था ।

लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारियों की संख्या में कमी करना

633. **श्री राम भगत पास्वान :**

श्री दशरथ देव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारियों की सख्या में कमी करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या अन्य विदेशी मिशनों में इस प्रकार की कमी करने का विचार है ; और

(ग) किस सीमा तक कमी करने का विचार है तथा इस निर्णय की क्रियान्विति में कितना समय निर्धारित किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) उस सीमा तक जहां तक उनके वतमान कार्यभार के औचित्य के अनुसार की जा सकती है ।

(ग) मार्च 1973 तक भारत के हाई कमीशन, लन्दन में 165 पदों को कम करने का विचार है ।

विजयनगरम और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्रों में अधिक उत्पादन

634. **श्री राम भगत पास्वान :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्ताविक विजयनगरम और विशाखापतनम इस्पात संयन्त्रों के लिये अधिक उत्पादन क्षमता की योजना बनाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन दो संयन्त्रों के लिये कितना उत्पादन क्षमता की योजना बनाई गई है ; और

(ग) इन संयन्त्रों को कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). विशाखापत्तनम तथा विजयनगरम इस्पात कारखानों की पूंजीगत तथा परिचालन लागत को कम करने की संभावनाओं की जांच करने के लिए गठित किए गए एक अध्ययन दल ने अक्तूबर 1972 में सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में इन कारखानों के लिए अधिक क्षमताओं की सिफारिश की है। अध्ययन दल की रिपोर्ट विचाराधीन है और इन कारखानों में से प्रत्येक की क्षमता के बारे में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

(ग) सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तकनीकी अर्थिक शक्यता प्रतिवेदनों के अनुसार आन्तरिक स्रोतों से संयन्त्र और उपस्कारों की अधिकतम आपूर्ति से ये कारखाने लगभग 8 वर्ष में उत्पादन करना आरम्भ कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश में स्थित रायखडिया खान में उत्पादन

635. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश स्थित रायखड़िया खान में उसकी क्षमता का केवल 40 प्रतिशत ही उत्पादन किया जा रहा है ; जबकि उसकी उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 11,000 केरट से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) इसकी उत्पादकता को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, हां।

(ख) अपर्याप्त उपलभ्य राशियों, प्रतिसैंकड़ा धनमीटर कैरेटों की वसूली की निम्नतर प्रतिशतता, परामर्शदाताओं द्वारा अतिभार संचलन उपकरण का अवप्राक्कलन और उपयोगीकरण संयंत्र के निम्न कार्य निषादन के कारण निम्न उत्पादन हुआ है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

Delay by Pakistan in Implementation of Simla Agreement

*636. **Shri Narendra Singh :**
Shri Ram Shekhar Prasad Singh :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Pakistan has implemented the Simla Agreement ;

(b) if not, the reasons therefor and the clauses on which the implementation has been stalled ; and

(c) the reaction of Government of India thereto and the steps taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). The Simla Agreement is in the process of being implemented. Some delay

has taken place over the question of delineation of the line of control in Jammu and Kashmir. Moreover, the Pakistan's continued non-recognition of Bangladesh, which has prevented that Government's participation in talks, has held up progress on the issue of repatriation of Pakistani POWs and civilian internees who surrendered to the joint Indo-Bangladesh Command.

(c) Government hope that Pakistan will view these matters in a realistic and constructive manner to expedite the normalisation of relations and the establishment of durable peace in the sub-continent in terms of the Simla Agreement.

Bonus Review Committee Report

637. **Shri Narendra Singh :**
Shri Jharkhande Rai :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Bonus Review Committee has submitted its reports to the Government ;

(b) if so, the main features thereof and the action taken in this regard ; and

(c) the name of other categories of employees, besides industrial employees, who are proposed to be given bonus ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). The Bonus Review Committee submitted their interim findings in two separate reports on the terms of reference relating to the raising of the minimum bonus payable under the Payment of Bonus Act, 1965. Copies of the Committee's reports and Government's resolution thereon have been placed on the Table of the Sabha on 13th November, 1972.

(c) It is not proposed to make any additions in the categories of emloyees who are entitled to Bonus under the Payment of Bonus Act, 1965.

Comments in Soviet Newspaper 'Izvestia' supporting Uganda action of expelling Asians

638. **Shri Narendra Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether in its 5th August issue, Izvestia, a Soviet official newspaper, commenting on the expulsion of the persons of Asian origin stated that this action on the part of Uganda was meant to strengthen their Sovereignty and economic independence ; and

(b) Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) In this article the writer described President Idi Amin's (decision 'to banish from the country within three months individuals possessing British passports without citizenship of the Republic' as 'concrete measures towards consolidating its sovereignty and economic independence.

(b) In the Government's view it is the right of every sovereign government to allow or not to allow foreigners to live in its country but our Government do not think that such decisions should be based on racial grounds or that expulsions should be caried out in summary, harsh and in humane ways.

बंगलादेश में भारतीय सेना की उपस्थिति के सम्बन्ध में चीनी आरोप

639. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या विदेश मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बार-बार भारत पर यह आरोप लगाया है कि अभी भी भारतीय सेना बंगला देश में है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 25 अगस्त 1972 को संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश के लिए बंगला देश के आवेदन पर विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए चीन के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि बंगला देश से भारतीय सेना पूर्ण रूप से वापस नहीं बुलायी गई है ।

(ख) जैसा कि सबको मालूम है भारतीय सेना बंगला देश से 15 मार्च को यानी हम लोगों की तै की हुई 25 मार्च की निश्चित तारीख से पूर्व ही चली आई। संयुक्त राष्ट्र की बहस में हमने चीन द्वारा लगाए गए इस बेबुनियाद आरोप का खंडन किया है ।

भारत स्थित तिब्बती शरणार्थियों की चीन विरोधी कथित गतिविधियां

640. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत पर भारत स्थित तिब्बती शरणार्थियों का चीन विरोधी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारत सरकार ने ऐसी किसी कार्यवाई के लिए तिब्बती शरणार्थियों का उपयोग नहीं किया और चीन का यह आरोप निराधार तथा अनुचित है ।

न्यूनतम बोनस के प्रावधान में विभाग चालित वाणिज्यिक उपक्रमों का शामिल न किया जाना

641. **श्री मान सिंह भौरा** :
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम बोनस के प्रावधान में विभाग चालित वाणिज्यिक उपक्रमों के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नए बोनस प्रावधानों में इन उपक्रमों के कर्मचारियों के शामिल न किए जाने के कारण उनमें भारी रोष फैला है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में किए गए निर्णय पर पुनः विचार करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 32 (iv) ऐसे कर्मचारियों को जो ऐसे संस्थान में नियोजित हों जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत प्राधिकरण के किसी विभाग द्वारा या उसके अधिकार के अन्तर्गत किसी उद्योग में लगे हों, अधिनियम की सीमा से अलग कर देती है ;

(ग) इस प्रकार के कर्मचारियों के अधिनियम की सीमा के अन्तर्गत उन्हें शामिल किए जाने के लिए अभिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) सरकार ने निर्णय लिया है कि बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान स्थिति को फिलाहाल जारी रखा जाए।

अमरीकी दूतावास द्वारा युद्ध बन्दियों को भागने में मदद देना

642. **श्री प्रभु दास पटेल :**
श्री धन शाह प्रधान :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अक्तूबर, 1972 हिन्दुस्तान टाइम्स में 'अमरीकी दूतावास द्वारा युद्ध बन्दियों को भागने में मदद दी गई' शीर्षक से प्रकाशित समासेचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो यह समाचार किस सीमा तक सत्य है ; और

(ख) क्या जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाई की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने यह समाचार देखा है परन्तु इसकी जानकारी नहीं है कि कैपटन इकरामउल मजीव सहगल ने कलकत्ता में अमरीकी मिशन से कोई सहायता प्राप्त की।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश से पुराने शरणार्थी परिवारों का वापस आना

643. **श्री बनमाली पटनायक :**
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने शरणार्थी परिवारों में से कुछ परिवार जो पुनर्वास हेतु बंगला देश गये थे, पिछले छः महीनों के दौरान भारत वापस लौट आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) यह निश्चय किया गया था कि भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से जो व्यक्ति 25 मार्च, 1971 से पूर्व भारत आ गए थे और जो बंगला देश के स्वतन्त्र होने पर बंगलादेश वापस चले गए थे, उन्हें उस देश में नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वे उस देश के राष्टिक नहीं हैं।

(ग) भारत सरकार ने उपयुक्त श्रेणी के शरणार्थियों को उचित संस्थापन के उपरान्त वापिस लेने का निश्चय किया है। इन व्यक्तियों को रायपुर (मध्य प्रदेश) के निकट केन्द्रीय शिविर,—माना में भेजा जा रहा है जहां उन्हें इस समय राहत सहायता दी जा रही है।

अमरीका द्वारा की गई बमबारी के कारण हनोई स्थित भारतीय मिशन का क्षतिग्रस्त होना

644. **श्री बनमाली पटनायक :**

श्री डी० के० पण्डा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर 1972 में अमरीका द्वारा की गई बमबारी के परिणामस्वरूप हनोई स्थित भारतीय मिशन क्षतिग्रस्त हो गया था ;

(ख) क्या अमरीका सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ। 11 अक्तूबर को अमरीका के हनोई पर हमले से राजदूतावास क्षतिग्रस्त हुआ। इससे छतों, दीवारों और दरवाजों पर दरारें पड़ गई तथा एक कमरा स्थानीय निर्माण विभाग द्वारा असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। एक दर्जन से अधिक खिड़कियों के शीशे टूट गए।

(ख) 12 अक्तूबर को हमने नई दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूतावास को विरोध-पत्र भेजा।

(ग) अमरीकी कार्यनायक ने इस बमबारी को दुर्भाग्यपूर्ण एवं अनजाने में हुई बताया और भारतीय सम्पत्ति को हुए नुकसान पर खेद प्रकट किया।

भारत की हिरासत में पाकिस्तानी असैनिकों और सैनिकों पर किया गया व्यय

646. **डा० कर्णी सिंह :**

श्री के० सूर्यनारायण :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की हिरासत में पाकिस्तानी सैनिकों तथा असैनिकों को अक्तूबर 1972 तक दिये गये राशन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं पर, अलग अलग, कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ख) क्या पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर किये जाने वाले व्यय को बांटने के प्रश्न पर बंगला देश और भारत के बीच कोई बातचीत हुई है और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दियों को आल इंडिया रेडियो सुनने की सुविधाएं उपलब्ध हैं और यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 30.9.72 तक पाकिस्तानी युद्धबन्दियों (सुरक्षात्मक दृष्टि से पकड़े गए सिविलियनों सहित) पर कुल वास्तविक व्यय इस प्रकार है :—

1. राशन	2,97,98,000 रु०
2. भत्ते	1,28,14,000 रु०
3. अन्य सुविधाएं	31,000 रु०

(ख) जी हां, श्रीमन्

(ग) जी हाँ, श्रीमन् ।

कलकत्ता में इस्पात चुराने वाले गिरोह का पता लगना

647. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री आर० के० सिन्हा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कलकत्ता में इस्पात चुराने वाले गिरोह का पता लगाया है ;

(ख) क्या कुछ प्रमुख उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जो इस्पात को काले बाजार में अधिक मूल्य पर बेचते थे, यदि हाँ, तो इस गिरोह में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या इस गिरोह में कुछ अधिकारियों का ही हाथ है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अब तक कलकता में कुछ फर्मों और व्यक्तियों द्वारा इस्पात के दुरुपयोग के सम्बन्ध में 15 मामले पकड़े है । इनमें से 8 मामलों में आरोप पत्र फाइल कर दिए गए हैं, 3 को काली सूची में रखने की सिफारिश की गई है और शेष 4 मामलों की जाँच की जा रही है । इनमें से एक मामले की छानबीन के दौरान कुछ व्यक्तियों के कार्यालयों और निवास स्थानों की तलाशी ली गई और पकड़े गए कागजातों की छानबीन से 38 बनावटी फर्मों का पता चला । इनकी आगे छानबीन की जा रही है । इस सम्बन्ध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीसरा व्यक्ति जिस पर शक है फरार बताया जाता है ।

(ग) इन मामलों की छानबीन से पता चलता है कि इन में किसी सरकारी कर्मचारी का हाथ नहीं है ।

भारतीय वायु सेना के विमानों की दुर्घटनाएं

648. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में महीनेवार भारतीय वायुसेना के कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए ;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे और प्रत्येक मामले में की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). उपरोक्त अवधि में भारतीय वायु सेना के कई वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे । प्रत्येक दुर्घटना की छानबीन के लिए बनाई गई जांच अदालत के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई और प्रतिकारी उपाय किये जाते हैं । किसी प्रकार का और अधिक विवरण देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी और उन पर होने वाला वार्षिक व्यय

649. **श्री दशरथ देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं ; और

(ख) कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं तथा उन पर कितना वार्षिक खर्चा होता है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1 जुलाई 1972 को लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन में पदों की संख्या 615 थी । वार्षिक खर्च लगभग 2.50 करोड़ रुपये है ।

गोदी श्रमिकों की अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए विधान

650. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी श्रमिकों के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कानून की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसे कब तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि गोदी कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वस्थ्य और कल्याण के लिए एक व्यापक अधिनियम अधिनियमित किया जाना चाहिए जिसमें भारतीय गोदी श्रमिक विनियमन, 1948 और गोदी श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) योजना, 1961 की विभिन्न धारायें एक साथ लाई जाएं । उचित विधान निर्मित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

मजदूर संघों को मान्यता

651. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघों को मान्यता देने के बारे में कोई सर्वसम्मत फार्मूला तैयार करने के लिए कोई अग्रसर प्रयास किये गये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). तीन केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन एक स्वीकृत फार्मूले की पुष्टि नहीं कर सके हैं । इस विषय पर अब तक हुए विचार-

विमर्श और व्यक्त किए गए मतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार अब औद्योगिक सम्पर्कों पर एक विधान अग्रानयन करने का प्रस्ताव रखती है।

छोटे औजार बनाने वाले उद्योग को हाई स्पीड स्टील की अपर्याप्त सप्लाई

652. **श्री सरजू पांडे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हार्ड स्पीड स्टील की अपर्याप्त सप्लाई के कारण छोटे औजार बनाने वाले उद्योग की क्षमता का केवल 60 से 70 प्रतिशत तक उद्योग होता है ;

(ख) क्या ऐसोसिएशन आफ स्माल टूल मेन्यूफेक्चरर्स ने सरकार से कुछ और समय के लिए हाई स्पीड स्टील आयात करने की अनुमति मांगी है क्योंकि देश में इसकी सप्लाई अर्प्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). स्पष्ट है कि छोटे औजारों के निर्माता देशीय मिश्र-इस्पात उत्पादकों को आर्डर नहीं देना चाहते, जो आर्डरों की कमी की शिकायत कर रहे है। छोटे औजारों के निर्माताओं के संघ को सूचित किया गया है कि जब तक वे देशीय उत्पादकों को उचित मात्रा में आर्डर नहीं देते, तब तक आयात के लिए उनकी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता।

रोगी और घायल पाकिस्तानी युद्धबन्दियों की वापसी के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति द्वारा दिया गया वक्तव्य

653. **श्री सरजू पांडे** :

श्री अरविन्द नेताम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति ने रोगी और घायल पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों की वापसी की अपील पर भारत द्वारा कोई ध्यान न दिये जाने का आरोप लगाते हुए एक वक्तव्य जारी किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) आरोप वस्तुतः गलत है। 591 सख्त बीमार तथा जख्मी पाकिस्तानी बन्दी पहले ही लौटा दिए गये हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

654. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** :

श्री एम० कल्याणसुन्दरम :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी राशि नियोजकों की ओर बकाया थी ;

(ख) इस बकाया राशि का भुगतान करवाने के लिए नियोजकों के विरुद्ध क्या ठोस कार्यवाही की गई है ; और

(ग) दोषी नियोजकों के नाम क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित सूचना दी है :

(क) उन स्थापनाओं जिन्हे छूट प्राप्त नहीं है, के बारे में भविष्य निधि अंशदान की राशियाँ 31-3-1970, 31-3-1971 और 31-3-1972 को क्रमश: 1467.19 लाख रुपये, 1649.40 लाख रुपये और 2065.57 लाख रुपये बकाया थी ।

(ख) उन स्थापनाओं जिन्हें छूट प्राप्त नहीं है और जो देय राशि का भुगतान करने अथवा विवरणियां भेजने में, चूक करती हैं , के विरूद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है :

(i) कर्मचारी भविष्यनिधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन अभियोजन आरम्भ किया जाता है ।

(ii) उपयुक्त मामलों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस/न्यायालयों के पास शिकायतें दायर की जाती हैं ।

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ की जाती है ।

(iv) चूक के मामले श्रमिक संघों सहित नियोजकों तथा कर्मकारों के संगठनों के नोटिस में लाये जाते हैं ।

(v) कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14-ख के अधीन, दण्ड स्वरूप हरजाने लगाये जाते हैं ।

(vi) कुछ मामलों में स्थापनाओं को देय राशियों का उपयुक्त किश्तों में भुगतान करने का अवसर दिया जाता है, बशर्ते कि वे पर्याप्त गारन्टी, जमानत, आदि प्रस्तुत करें ।

(vii) उन कपड़ा मिलें जो दिवालिया हो चुकी हैं, के बारे में पुर्नर्निर्माण योजनाओं की जांच योग्यता के आधार पर की जाती है ।

एक विवरण संलग्न है जिसमें उन छूट न प्राप्त स्थापनाओं के नाम दिए गए हैं जिन्होंने एक लाख रुपये और इससे अधिक राशि का भुगतान करने में चुक की । [**ग्रन्थालय मे रखा गया। देखिए संख्या** एल० टी-3707/72]

केरल में नीलेश्वर में बाक्साइट की खोज सम्बन्धी प्रतिवेदन

655. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नीलेश्वर के स्थान पर बाक्साइट की खोज के सम्बन्ध में की गई जांच का विस्तृत प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वहाँ बाक्साइट का कितना भण्डार है और वह किस किस्म का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) करल राज्य के नीलेश्वर में बाक्साइट अन्वेषण अक्तूबर, 970 से प्रगति में है। समस्त पाँच खण्डों में विस्तृत अन्वेषण के सम्पूरित होने पर रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जाएगा। खण्ड एक में व्यधन द्वारा विस्तृत अन्वेषण सम्पूरित हो चुका है जिसमें 40 से 60 प्रतिशत ऐलूमिना वाली बाक्साइट की 31.80 लाख टन की सम्भाव्य उपलभ्य राशियां अन्तिम रूप से प्राक्कलित की गई हैं। खण्ड दो में व्यधन द्वारा विस्तृत अन्वेषण सम्पूरित किया जा चुका है। नमूनों का रासायनिक विश्लेषण किया जा रहा है। खण्ड तीन और खण्ड चार में प्रारम्भिक परीक्षण व्यधन सम्पूरित हो चुका है और सम्बन्धित अनुवर्ती कार्य प्रगति में है। सितम्बर, 1972 में खण्ड पांच में परीक्षण व्यधन आरम्भ किया गया था और आगामी कार्य प्रगति में है।

कोजीकोड़ में लौह अयस्क के निक्षेप के लिए खोज

656. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोजीकोड में लौह अयस्क के निक्षेपों की खोज का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां कितनी मात्रा में लौह अयस्क के निक्षेपों का पता लगा है ; और

(ग) क्या सरकार कोजीकोड में पाये गये लौह अयस्क के निक्षेपों को ध्यान में रखते हुए वहाँ एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लौह अयस्क के लिए कोजीकोडे में चेरूप्पा, ऐलीयट्टीमाला, 'नामिन्दा और नादुवेल्लुर के चार निक्षेपों में व्यधन द्वारा अन्वेषण सम्पूरित किए गए हैं। आलमपारा निक्षेपों के समीप अन्वेषण कार्य प्रगति में है।

(ख) चेरूप्पा, ऐलीयट्टीमाला, नामिन्दा और नादुवेल्लुर के चार निक्षेपों में 31 और 42 प्रतिशत कुल लोहाँश की भिन्नता वाली आक्सीकृत और अनाक्सीकृत अयस्क की लगभग 440 लाख टन की उपलभ्य राशियां प्राक्कलित की गई है।

(ग) लौह अयस्क का आलमपारा क्षेत्र में भूवैज्ञानिक अन्वेषण सम्पूरित हो जाने के पश्चात् और सरकार द्वारा रिपोर्ट के प्राप्त किए जाने पर इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में विचार किया जा सकता है।

युगाडा से निकाले गए एशियाई लोगों को बसाने के प्रश्न पर राष्ट्रमंडल के देशों की प्रतिक्रिया

657. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के अतिरिक्त राष्ट्रमंडल के उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार ने युगाँडा से निकाले गये एशियाई मूल के लोगों को बसाने के प्रश्न पर लिखा है ; और

(ख) इस मामले में इन देशों की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस मामले में भारत सरकार ने किसी भी सरकार से बातचीत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये देश में बने उपकरणों की लागत

658. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात सयंत्र को देशीय स्रोतों से विशेष रूप से भारी इंजीनियरिंग निगम से प्राप्त उपकरण के लिये जो मूल्य देना पड़ा वह उस मूल्य से भी अधिक था जो उन उपकरणों के आयात किये जाने की दशा में देना पड़ता ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूंजी लागत के उस भाग को बटे-खाते में डालने का है जिसे देशीय उपकरण के अधिकाधिक उपयोग करने की नीति में विकास लागत के रूप में अर्न्तनिहित कहा जा सकता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) देश में भारी इंजीनियरी उद्योग अभी अपनी शैशवावस्था में हैं अतः यह संभव है कि कुछ मामलों में देशीय उपकरणों के मूल्य उसी प्रकार के आयातित उपकरणों के मूल्यों से अधिक हैं। बोकारो स्टील प्लांट के प्रथम चरण के लिए भारी इंजीनियरी निगम द्वारा सप्लाई किये गये उपकरणों के औसत मूल्य सरकार द्वारा उत्पादन लागत को देखते हुए निश्चित किये गये थे।

(ख) जी, नहीं।

युगांडा में भारतीय राष्ट्रजनों के साथ दुर्व्यवहार

659. **श्री पा० गंगादेव** :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगांडा के एशियाईयों के साथ युगांडा सरकार ने बड़ा दुर्व्यवहार किया है ;

(ख) क्या युगांडा में हुए हाल ही के झगड़ों में कई भारतीय नागरिक मारे गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में युगांडा सरकार के समक्ष विरोध प्रकट किया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) युगांडा से एशियाइयों के निष्कासन के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण, उप विदेश मंत्री एवं विदेश मंत्री द्वारा क्रमशः दिनांक 11 अगस्त तथा 4 सितम्बर, 1972 को लोक सभा में दिए गए वक्तव्यों में स्पष्ट किया जा चुका है।

(ख) भारतीय नागरिकों से संबद्ध ऐसे किसी मामले की सूचना सरकार को नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक के अधीन खानों के अंशधारियों को मुआवजे का भुगतान

660. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक में खानों के अंशधारियों के लिये निर्धारित की गई मुआवजे की राशि के बारे में भारतीय खनन ऐसोसिएशन ने नाराजगी प्रकट की है ;

(ख) क्या उपरोक्त एसोसिएशन ने बताया है कि 27,000 अंशधारियों को नुकसान रहेगा और शायद कुछ अंशधारियों को कुछ भी न मिले ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय खनन संगम से ऐसा कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उसके द्वारा कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक में प्रतिकर की निर्धारित राशि के प्रति निराशा अभिव्यक्त की गई हो ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं ।

उत्तर प्रदेश जेल में युद्धबन्दियों द्वारा अनुरक्षकों पर हमला

661. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 अक्तूबर, 1972 को उत्तर प्रदेश जेल में पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों ने अनुरक्षकों पर हमला किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या गोली चलाये जाने से कुछ पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों की मृत्यु हुई थी ; और

(ग) क्या इस प्रकार की घटनाएं दूसरी बार हुई हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 13 अक्तूबर, 1972 को पाक युद्ध बन्दियों ने उत्तर प्रदेश के एक युद्ध बन्दी कैम्प में पहरेदारों पर आक्रमण किया था न कि उत्तर प्रदेश की किसी जेल में ।

(ख) गोलीबारी में छः पाक युद्ध बन्दी मारे गये थे ।

(ग) इस प्रकार की यह तीसरी घटना है ।

हिन्दू चीन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत को दक्षिण वियतनाम द्वारा न माना जाना

662. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री आर० एल० भाटिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वियतनाम ने हिन्द-चीन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत की मान्यता वापस ले ली है ;

(ख) क्या दक्षिण वियतनाम के महा वाणिज्य दूतावास द्वारा 30 सितम्बर को जारी की गई विज्ञप्ति में भारत के लिए कठोर-शब्दों का प्रयोग किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण वियतनाम के महा कौंसलावास द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति, विशेष रूप से उसका अनुबन्ध, कुछ कठोर शब्दों का था।

(ग) जैसा कि 28 सितम्बर, 1972 के भारत-पोलैंड संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दक्षिण वियतनाम की सरकार का रुख एवं कार्य आयोग की क्षमता और सामान्य कार्यवाही को भंग करता है और यह जेनेवा करार का स्पष्ट उल्लंघन एवं अपमान है।

बंगला देश को राहत सामग्री की सप्लाई के प्रयोग के बारे में विदेशी दूतावासों द्वारा चिन्ता व्यक्त किया जाना

663. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित विभिन्न दूतावासों ने अपने-अपने देशों द्वारा भारत को भेजी गई राहत सामग्री के प्रयोग के बारे में विदेश मंत्रालय से चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ख) क्या इस बारे में किन्हीं दूतावासों ने लीग आफ रेड क्रास सोसाइटिज से विशिष्ट आश्वासन चाहा था ; और यदि हां, तो ऐसे दूतावासों के नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

लौह और इस्पात टैकनालोजी पर 'टास्क फोर्स' का गठन

664. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या इस्पात **और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने लौह और इस्पात एक 'टास्क फोर्स' तथा इस्पात टैकनालाजी विकास और अनुसन्धान पर एक योजना दल का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दलों के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इनके कृत्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) योजना आयोग ने दस वर्ष की अवधि अर्थात् पांचवी और छठी योजनाओं के लिए लोहे और

इस्पात के बारे में प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स ने 2 अगस्त, 1972 को हुई अपनी पहली बैठक में दूसरी बातों के साथ-साथ लोह और इस्पात प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के लिए एक योजना दल का गठन किया है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के निदेशक डा० वी० ए० अल्टेकर इस दल के अध्यक्ष है और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के मुख्य धातुविद् श्री जे० जे० ईरानी इसके संयोजक है और इसके सदस्य सलाहकारों तथा इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों में से लिए गए है। इस योजना दल के मुख्य कार्यों में लोह और इस्पात के क्षेत्र में अनुसधान और विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना तथा उद्योग के सतत विकास को सहायता देने और उसे बनाए रखने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार करना शामिल है।

मिनी इस्पात संयंत्रों के लिए लाइसेंस देना

665. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम अक्तूबर, 1972 तक कितने मिनी इस्पात संयंत्रों के लिए कितने लाइसेंस दिये गये ;

(ख) उन कम्पनियों के नाम और विवरण क्या है जिन्हें लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) विद्युत भट्टियों से परम्परागत अथवा (निरन्तर ढलाई प्रक्रियाओं से स्क्रेप से इस्पात पिण्ड बिलेट बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने की वर्तमान नीति के अधीन स्वीकृत की गई स्कीमों की एक सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी-3708/72]

(ग) दो एकक जिन्हें सी० ओ० बी० लाइसेंस दिए गए थे, पहले से ही उत्पादन कर रहे थे दो और एककों द्वारा विद्युत भट्टियां लगाए जाने और उत्पादन करने लगने की रिपोर्ट मिली है। दूसरे एकक अपनी परियोजनाओं को कार्यरूप देने के लिए कदम उठा रहे हैं।

भारत और बंगला देश के सम्बन्धों को खराब करने के लिए सी० आई० ए० की गतिविधियां

666. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**

श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस अध्यक्ष ने सी० आई० ए० की गतिविधियों के बारे में अपना असन्तोष व्यक्त किया है, क्योंकि यह बंगला देश और भारत के सम्बन्धों को कटुतापूर्ण बनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस आशय की खबरें अखबारों में आई हैं।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है।

ब्रिटेन में रह रहीं भारतीय महिलाओं को अपने पति ब्रिटेन में लाने की अनुमति देने हेतु ब्रिटिश उत्प्रवास अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव

667. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन में वैध रूप से रह रही भारतीय महिलाओं को अपने पतियों को ब्रिटेन में लाने की अनुमति देने हेतु ब्रिटिश उत्प्रवास अधिनियम में संशोधन करने के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। हाउस आफ लार्ड्स में हाल ही इस तरह के कुछ सुझाव रखे गए थे कि ब्रिटेन में जो भारतीय महिलाएं रह रही हैं और पतियों को उनके पास आकर रहने की इजाजत दी जानी चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने इस सुझाव को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि महिलाओं से यह प्रत्याशा की जाती है कि वे अपने पति के देश में ही अपना घर बसायेंगी।

(ख) भारत सरकार यह आशा मात्र ही कर सकती है कि ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय से किसी का घर नहीं उजड़ेगा और उसकी वजह से किसी को आवश्यक कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी।

दिसम्बर युद्ध में पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये भारतीय राष्ट्रिक

668. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ उन 200 भारतीय राष्ट्रिकों के बारे में बातचीत की है जो उन्होंने दिसम्बर युद्ध में युद्ध के दौरान उनके द्वारा कब्जा किये गये क्षेत्रों से गिरफ्तार किये थे किन्तु जिनकी गणना नहीं की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) हमने ऐसे 531 भारतीय राष्ट्रिकों की सूची पाकिस्तान को दी थी जिनके बारे में यह कहा गया था कि उन्हें अधिग्रहीत भारतीय क्षेत्र से पकड़ा गया था। इसमें से अभी तक 273 व्यक्तियों का पता लग सका है और उन्हें भारत में प्रत्यावर्तित किया जा चुका है। शेष भारतीय राष्ट्रिकों के मामले से अंतर्राष्ट्रीय रैड-क्रास समिति के माध्यम से तथा स्वीटजरलैंड के राजदूतावास के माध्यम से उठाया गया है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

देश के विभिन्न शिविरों से युद्धबन्दियों का भाग जाना

669. श्री आर० के० सिन्हा :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में, महीनेवार, देश के विभिन्न भागों में स्थित युद्धबन्दी शिविरों से कुल कितने युद्धबन्दी भाग जाने में सफल हुए थे ;

(ख) इस अवधि में भागे हुए कितने युद्धबन्दी पुन: गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या गत 6 महीनों में कुछ शिविरों में युद्धबन्दियों और शिविरों की गारद में मुठभेड़ हुई थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पिछले छः महीनों में कुल 29 पाक युद्धबन्दी भाग निकले । उनका महीने वार अलग अलग विवरण इस प्रकार है :

मई 1972	3
जून 1972	2
जुलाई 1972	2
अगस्त 1972	6
सितम्बर 1972	15
अक्तूबर 1972	1

(ख) इस अवधि के दौरान 17 पाक युद्धबन्दियों को पुन: पकड़ लिया गया था और जेनेवा समझौते के अनुसार उन पर कार्यवाही की गई थी ।

(ग) इस प्रकार की दो घटनाएं हुई थीं । एक घटना 3 अक्तूबर 1972 को मध्य प्रदेश के युद्धबन्दी कैम्प में और दूसरी 13 अक्तूबर, 1972 को उत्तर प्रदेश के एक कैम्प में ।

Firing by Pakistani Forces in Rajouri Sector

670. Dr. Laxminarayan Pandeya :
Shri Sukhdeo Prasad Verma :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Pakistani Forces resorted to heavy firing and tried to infiltrate near Rajouri Sector on the 30th September, and 1st October last;

(b) if so, whether this act of Pakistan does not amount to clear violation of the agreement; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) Yes, Sir. In the subsequent flag meeting the Pakistani representative admitted that his troops were on the wrong side of the line of control and that he regretted the incident.

(c) Our security forces have instructions to take firm action in case of such violations.

Stocks of Bauxite and Manganese found in Goa

671. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether huge stocks of Bauxite and Mangnese have been found in Goa and if so, the names of the places where these stocks have been found; and

(b) the quantity and quality of the said metals in these stocks?

The Ministry of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) Total indicated reserve of 6 million tonnes of Bauxite with more than 50 percent Alumina has so far been estimated in private leasehold areas of M/S Gosalia in Goa where further exploration is being carried out bythe company. Other minor occurrences of Bauxite are being investigated by Geological Survey of India in Mopa. Pernem, Morgin and other blocks.

Total indicated reserves of about 1.23 million tonnes of manganese ore have been estimated in Goa in the areas given below :—

Deposits	Indicated reserves in tonnes.	Grade
Rivona deposits	4,36,257	30% to 35% Mn
Matem-Canvorem-Nevelim deposit	2,40,910	30% to 42% Mn
Pirla-Neturlim deposit	1,80,309	28% to 45% Mn
Tudou-Salginim deposit	1,32,438	32% to 45% Mn
Talauli-Viliena deposits	39,592	32% to 46% Mn
Miscellaneous deposits	2,00,381	28% to 43% Mn
Total	12,29,887	

हांगकांग स्थित भारतीय मिशन द्वारा भारतीय स्वतन्त्रता की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए की गई काकटेल पार्टी

673. **श्री फतेहसिंहराव गायकवाड़** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अगस्त, 1972 को हांगकांग में रह रहे भारतीय में तथा वहां स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने एक होटल में एक बड़ी काकटेल पार्टी की थी जिसमें 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया था तथा देश की स्वतन्त्रता की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए शैम्पेन भी पिलाई गई थी ;

(ख) क्या इस समूची पार्टी का खर्च होटल प्रबन्धकों ने किया था ;

(ग) क्या विदेश राजनयिक ने भारत के समाजवाद पर टिप्पणी की थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) हांगकांग में भी विश्व के अन्य लोगों की तरह स्थानीय भारतीय समुदायों ने भारत की रजत जयन्ती समारोहों के आयोजनों तथा व्यय-वहन में भारतीय मिशनों के साथ सहयोग किया है।

(ख) जी नहीं । भारतीय आयोग, भारतीय समुदाय तथा होटल के प्रबंधकों ने व्ययभार वहन किया ।

(ग) हमारी जानकारी में नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए राहत का सामान

674. **श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के शरणार्थियों के लिए भेजा गया कुल कितने मूल्य का राहत सामान खुले बाजार में चला गया है ;

(ख) युद्ध के अन्त में इंडियन रेडक्रास सोसाइटी के गोदामों में राहत के लिए कुल कितने मूल्य का और कितना सामान पड़ा था ; और

(ग) बंगला देश को कुल कितना और कितने मूल्य का सामान भेजा गया था ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) समाचार पत्रों में कुछ समाचार छपे हैं जिनमें यह आरोप लगाया है कि भारत रेड क्रास सोसाइटी और ओक्सफाम द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों के लिए जो राहत सामग्री प्राप्त की गई थी वह बाजार में पहुँच गई है। भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के अध्यक्ष ने इन आरोपों से इन्कार किया है । तथापि, ओक्सफाम के राहत-सामान के बाहर पहुंचने तथा कुछ और शिकायतों के बारे में छान-बीन की जा रही है।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

सिंगापुर के रक्षा दल द्वारा भारत का दौरा

675. **श्री एम० एस० संजीवीराव :** क्या रक्षा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1972 में सिंगापुर का एक रक्षा दल भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस दल के आने का मुख्य उद्देश्य क्या था और इस दल के साथ किन-किन विषयों पर बातचीत हुई और उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) सिंगापुर के रक्षा दल ने हमारी प्रशिक्षण और उत्पादन यूनिटों की यात्रा की है। दल के साथ आपसी हितों की बातें की गई थी ।

आंध्र प्रदेश में इंद्रियाल गांव के निकट भारतीय वायु सेना के वायुयान का दुर्घटनाग्रस्त होना

676 **श्री एम० एस० संजीवीराव :**
श्री ई० वी० त्रिखे पाटिल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले के इद्रियाल गांव के पास हाल ही में भारतीय वायुसेना का वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) दुर्घटना की छानबीन करने के लिए बनाई गई जांच अदालत की कार्रवाई अभी पूर्ण नहीं हुई हैं ।

युगांडा से निकाले गये भारतीयों का पुनर्वास

677. **श्री एम० एस० संजीवीराव :**
श्री ई० वी० विखे पाटिल :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगांडा से निकाले गये भारतीय राष्ट्रिकों के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जी, हां । मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वदेश लौटे उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो अपने अपने राज्यों में पहुँच चुके हैं, व्यवसायिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी ब्यौरा एकत्रित करें । इस जानकारी के उपलब्ध होने पर स्वदेश लौटे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाई जायेंगी ।

शाही फिजि सेना के चीफ आफ स्टाफ द्वारा भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों का दौरा

678. **श्री एम० एस० संजीवीराव :**
श्री ई० वी० विखे पाटिल :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाही फिजी सेना के चीफ आफ स्टाफ ने हाल ही में भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो दौरे का उद्देश्य क्या था ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) यह एक सद्भाव यात्रा थी जिसमें शाही फिजी सेना के चीफ आफ स्टाफ को विभिन्न प्रशिक्षण और रक्षा उत्पादन यूनिटें दिखायी गई थी । दोनों देशों की रक्षा सेनाओं के आपसी हितों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई थी ।

अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास द्वारा पाकिस्तानी हिरासत में भारतीय असैनिक व्यक्तियों तथा लापता सैनिकों के प्रत्यावर्तन हेतु प्रयास

679. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान की हिरासत में अभी तक शेष भारतीय असैनिक व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन और लापता रक्षा कर्मचारियों, जो पाकिस्तान की हिरासत में हैं, के प्रत्यावर्तन को सुनिश्चित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास द्वारा किये गये प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्टीय रेड क्रास समिति के प्रयत्नों का कोई ठोस परिणाम नही निकला है फिर भी हम उन पर जोर दे रहे हैं कि वे अपने प्रयत्न जारी रखें।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत एक स्थान पर अधिकारियों के काम करने की अवधि

680. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से क्षेत्रीय आयुक्त, सहायक क्षेत्रीय आयुक्त तथा निरीक्षकों के एक ही स्थान पर काम करने की कोई अवधि निर्धारित की गई है ; यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) ये अधिकारी दिल्ली में अर्थात् दिल्ली क्षेत्र में अथवा सगठन के मुख्यालय में कितनी अवधि तक रहे ;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अथवा मंत्रालय को दिल्ली में काम कर रहे इन अधिकारियों और कर्मचारियों के कुछ कदाचारों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जब तक कि प्रशासनिक कारण किसी अधिकारी को किसी विशेष पद पर और अधिक अवधि के लिए टिकाए रखने हेतु औचित्य प्रतिपादित न करें, इस संगठन में निरीक्षक से ऊपर के स्तर के अधिकारियों का तबादला सामान्यतः तीन वर्ष के बाद किया जाता है। निरीक्षकों (ग्रेड II) के सम्बन्ध में उसी स्थान में क्षेत्राधिकार में परिवर्तन को तबादले के रूप में माना जाता हैं।

(ख) एक विवरण, जिसमें यह सूचना दी गई है, संलग्न है।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—3709/72]

(ग) और (घ) समय समय पर अधिकारियों के खिलाफ नियुक्ति और प्रशासन के मामले में बेकायदगियों की ओर संकेत करने वाली शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है, उनकी जांच की जाती है। अभी तक, दिल्ली में किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि पता चला कि प्राप्त हुई शिकायतों में आरोप निराधार थे।

इलेक्ट्रानिक निगरानी-उपकरण प्रणाली को अपनाने के लिए अमरीका से वार्ता

681. **श्री त्रिदिब चौधरी :**
श्री धनशाह प्रधान :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अक्तूबर, 1972 के 'वाशिंगटन पोस्ट' में प्रकाशित हुआ था कि भारत-चीन सीमा पर इलेक्ट्रानिक निगरानी उपकरण प्रणाली की स्थापना हेतु अमरीकी डाइनेमिक कारपोरेशन और अमरीका को अन्य कम्पनियों से इलेक्ट्रानिक निगरानी उपकरणों और राडारों को प्राप्त करने के लिये अमरीका से वार्ता हो रही है ;

(ख) क्या उपरोक्त डाइनेमिक कारपोरेशन के साथ करार पर सरकार ने हस्ताक्षर किये थे जैसा कि 'वाशिंगटन पोस्ट' में प्रकाशित हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है। जैसे कि माननीय सदस्यगणों को यह तथ्य मालूम है कि भारत में संचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु उपस्कर और सेवाओं के लिए अमरीका को डायनेमिक कारपोरेशन से दो करार किये गये थे। दिसम्बर 1971 में भारत को किये जाने वाले निर्यात में एकतरफा ढंग से घाटबन्दी में करार के कुछ मदों को शामिल करने से इन करारों पर जो उल्टा प्रभाव पडा इसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अमरीकी अधिकारियों की पहल पर राजनयिक स्तर पर अनौपचारिक रूप से बातचीत हो चुकी है। इस बातचीत से कोई स्वीकार्य हल नही निकला है ।

हनोई स्थित भारतीय राजनयिक मिशन का दर्जा बढ़ाया जाना

682. **श्री के० बालदण्डायुतम :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हनोई स्थित भारतीय राजनयिक मिशन का दर्जा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) यह प्रस्ताव पहले ही क्रियान्वित हो चुका है क्योंकि हमने 7 जनवरी, 1972 से ही अपने मिशन का दर्जा बढ़ा दिया है। मनोनीत राजदूत इसी माह हनोई जा रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

Foreign Exchange spent on Import of Steel during 1972

683. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of Steel & Mines be pleased to state :

(a) the quantum of the various types of steel imported in the country at present and the qualities thereof ;

(b) whether there has been increase in the expenditure of foreign exchange for the import of various types of steel during the current year as compared with that for last year ; and

(c) if so, the amount of increase and the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) Data regarding the various types of steel imported and exported are regularly published in the Monthly Statistics of Foreign Trade of India issued by the Director General, Commercial Intelligence and Statistics. These figures, apart from mild steel include high carbon steel, alloy steel, steel castings. lfrgings etc. The following table shows the quantity and value of imports during the aost two years :—

A. Imports

(Quantity in tonnes & Value in lakhs of Rupees)

	1970-71 Quantity	1970-71 Value	1971-72 Quantity	1971-72 Value
(A) (i) Pig Iron, Sponge Iron Ect.	630	10	704	13
(ii) Ferro Alloys	979	1,90	7,436	2,85
(B) Cast Iron	1,626	72	1,240	78
(C) Mild Steel (other than high carbon and alloy steel)	5,51,132	100,10	1,086,399	1,68,30
(D) High Carbon Steel	71,454	15,45	173,803	33,03
(E) Alloy Steel	64,854	25,81	87,736	33,99
(F) Steel Casting Forgings	8,015	4,34	6,394	3,96
(G) Iron & Steel Scrap	7,428	76	18,427	1,75
Grand Total	7,06,088	149,18	1,382,139	2,44.79

It will be seen from the above table that the value of Iron and Steel imports in 1971-72 amounted to about Rs. 245 crores, as compared to Rs. 149 crores in the previous year, *i. e*, an increase of Rs. 96 crores. Higher import was necessary to meet the increased domestic demand.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कोमती मशीनरी का अप्रयुक्त पड़ा होना

681. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर संयंत्र की वर्तमान संकटावस्था के क्या कारण है ; और

(ख) क्या संयत्र को मूल्यवान मशीनरी का दुरुपयोग करने या उनका प्रयोग न करने के कारण हानि हो रही है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं है कि कारखाना संकटावस्था में है। कुछ सुविधाए जैसे छः सोख गड्ढे, एक बाईपास कन्वेयर, बार टविस्टिंग मशीनें, तथा कुछ डीजल इंजिन कर्मचारी लगाने से संबंधित औद्योगिक विवादों के कारण चलाये नहीं जा सके हैं। इससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में धातुपिण्डों और विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन

685. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डिया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रबन्ध-ग्रहण सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के बाद धातु-पिण्डों और विक्रय योग्य इस्पात की वर्तमान उत्पादन दर क्या है ;

(ख) क्या वर्तमान उत्पादन संतोषजनक नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार द्वारा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के बाद से इस्पात पिण्ड तथा विक्रेय इस्पात का उत्पादन इस प्रकार है :—

	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात (टन)
जुलाई 1972	23,790	16,899
अगस्त 1972	39,219	29,150
सितम्बर 1972	40,082	33,274
अक्टूबर 1972	42,860	39,234

(ख) और (ग) कम्पनी का प्रबन्ध हाथ में लेने के तत्काल पूर्व महीनों के उत्पादन की अपेक्षा वर्तमान उत्पादन काफी अधिक है। जनवरी से जून 1972 तक की अवधि का उत्पादन इस प्रकार है :—

	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात (टन)
जनवरी 1972	60,86[illegible]	48,582
फरवरी 1972	47,539	38,391
मार्च 1972	34,337	37,617
अप्रैल 1972	34,470	33,022
मई 1972	33,495	27,160
जून 1972	23,064	9,015

कारखाने की 10 लाख टन इस्पात पिण्ड तथा 8 लाख टन विक्रेय इस्पात की वार्षिक निर्धारित क्षमता की तुलना में उत्पादन अभी भी कम है।

उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे :—

(1) कोक भट्टियों की मरम्मत।

(2) सामग्री संभालने के उपस्करों की प्राप्ति।

(3) इस्पात पिघलाने वाली कर्मशाला में क्रेनों और दूसरे उपस्करों की मरम्मत तथा उन्हें बदलना।

(4) बाहर से कोक तथा कोलतार उपलब्ध कराना। कारखाने को फिर से सही हालत पर लाने के लिए एक योजना बनाई गई है और उसे उच्च प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित भी किया जा रहा है जिससे कारखाना निर्धारित क्षमता पर उत्पादन कर सके।

Rehruitment of Indian Doctojs for Health Departmext of Uganda

686. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the Health Minister of Uganda visited India this year for the purpose of recruiting Indian doctors for the Health Department in Uganda ;

(b) if so, the number of Indian doctors interviewed on that occasion and the number, who have since recived appointment letters; and

(c) whether Government have ensured that service conditions of Indian doctors in Uganda are satisfactory keeping in view the recent developments in Uganda?

The Deputy Minister in the Ministry of Extenal Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) 72. As far as the Government is aware no Doctor has received an appointment letter.

(c) The Government are making every possible effort to ensure this in respect of Indian personnel already serving in Uganda.

Indians working in U.N. Secretariate and its Allied Agencies

687. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of Indians working in the offices of U.N. Secretariat and its allied agencies; and

(b) the efforts made to increase the number of Indians in this international organisation?

The Deputy Minister in the Ministty of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The relevant information is being compiled and will be laid on the Table of the House.

(b) the Government of India takes every opportunity to put forward Indian candidatures to suitable vacancies in the U.N. and its allied bodies.

Hardships to 56 East African Indians in Turin driven out of Kenya, Uganda and Tanzania

688. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of Extsrnal Affairs be pleased to state :

(a) whether a group of 56 East African Indians is facing great hardship in Turin after they were forced to leave Kenya, Uganda and Tanzania ;

(b) whether the British representative in Turin has shown indifference towards these Indians despite their being in possession of British passports; and

(c) the steps taken by Government to rescue these Indians?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) Up-to-date information is being obtained and will be laid on table of the House.

Efforts by India at International Level to check expulsion of Asians from Uganda

689. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the action proposed to be taken by the Government at international level to check the expulsion of the persons of Asian origin from Uganda ;

(b) whether the said Asian nationals are British passport holders;

(c) whether they have been given any compensation for the property left by them in Uganda; and

(d) the reaction of Government to this problem?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Does not arise as the vast majority of persons affected by the Uganda Government's expulsion orders has left the country.

(b) The expulsion orders covers UK passport holders, citizens of India, Pakistan and Bangladesh, and also persons considered by the Ugandan authorities as stateless.

(c) & (d) Government of India have throughout urged on the Uganda Government that fair and equitable compensation should be afforded for property left behind. Uganda Government has not hitherto made clear their precise intensions in this regard.

पश्चिम बंगाल में बन्द हुए बीड़ी कारखाने

690. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बंकुरा जिले में इस समय कितने बीड़ी कारखाने बन्द हुये हैं ;

(ख) इन बन्द हुए कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है ;

(ग) सरकार ने बन्द कारखानों को चालू करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के श्रम मन्त्रियों की बैठक

691. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के श्रम मन्त्रियों की 13 सितम्बर, 1972 को नई दिल्ली में कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयो पर विचार विमर्श किया गया है ; और

(ग) उसमें क्या क्या निर्णय किये गये ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) गुजरात के मुख्य मंत्री और गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के श्रम मन्त्री, केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा 13 सितम्बर, 1972 को नई दिल्ली में बुलाई गई बैठक में उपस्थित हुए ताकि वे प्रतिनिधि संघों, उनके अधिकारों और दायित्वों की व्यवस्था करने के लिये बम्बई औद्योगिक संपर्क अधिनियम, 1946 में संशोधन करने सम्बन्धी गुजरात सरकार के विधेयक पर विचार-विमर्श कर सकें ।

(ग) किये गये विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुये सरकार ने प्रस्तावित विधेयक पर पुनः विचार करना है।

इजरायल-लेबनान सीमा पर हाल ही में भड़के युद्ध के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा अरब देशों का समर्थन

692. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजरायली-लेबनान सीमा पर हाल ही में भड़के युद्ध के प्रश्न पर अरब देशों का पुनः समर्थन किया है ;

(ख) क्या बंगलादेश में आये सकट के बारे में अरब देशों का भारत के प्रति रुख स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण रहा था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं। इस संबन्ध में अरब देशों ने भारत के प्रति जो रवैया अपनाया उसे शत्रुतापूर्ण नहीं कहा जा सकता। यह कहना अधिक ठीक होगा कि अधिकांश अरब देशों ने बंगलादेश के लोगों की तकलीफों तथा उनकी आकांक्षाओं के प्रति पूरी सहानुभूति नहीं दिखाई और न ही भारत सरकार की कठिनाइयों को अच्छी तरह समझा।

(ग) स्वभावतः इस रवैये से भारत सरकार को निराशा हुई है।

भटिण्डा डिस्ट्रिक्ट जेल से युद्धबन्दियों का भाग जाना

693. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ युद्ध बन्दियों को फिरोजपुर जेल ले जाते समय भटिण्डा डिस्ट्रिक्ट जेल से एक पाकिस्तानी कैदी भाग निकला ;

(ख) क्या पुलिस अधिकारियों ने उसके स्थान पर एक पागल आदमी को जेल में डाल दिया ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) युद्ध बन्दियों को पंजाब की किसी जेल में नहीं रखा गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चीन द्वारा भारतीय सीमाओं के पार अन्तरद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र छोड़ना

694. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन सरकार ने भारतीय सीमाओं के पार अपना अन्तरद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र छोड़ने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान दिनांक प्रथम सितम्बर, 1972 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) सरकार को इस प्रेस रिपोर्ट की जानकारी है। यद्यपि चीन द्वारा भारतीय इलाके के ऊपर से हिन्द महासागर में लक्ष्य क्षेत्र पर अन्तरद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र छोड़े जाने की सम्भावनाओं के विषय में सूचना है, परन्तु इसके बारे में प्रामाणिक सूचना नहीं है। हमारे पड़ोसी देशों में ऐसी गतिविधियों पर हम बराबर ध्यान रखे हुये हैं।

Types of Imported Steel and its distribution to Companies

695. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri R. R. Singh Deo :

Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) the value of each kind of steel imported during the last three years;

(b) the names of the recipient Companies of the imported steel and the criterian thereof ; and

(c) the time by which self-sufficiency would be achieved in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The value of each kind of steel imported during 1969-70, 1970-71 and 1971-72 were as below :

Value (Rs. in crores)

Kind of Steel	1969-70	1970-71	1971-72
Mild Steel (other then High Carbon Steel)	58.09	100.09	1,68.30
High Carbon Steel	5 88	15.45	33.03
Alloy Steel	12.17	25.81	33.94
Steel Casting & Forgings	3.93	4.34	3.96
Iron & Steel Scrap	0.91	0.76	1.75

(b) Steel is imported by the actual users, registered exporters or their nominees, and canalising agencies. The names of licences and release order holders are published in the Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences & Export Licences, issued by the Ministry of Foreign Trade. Copies of the bulletin are supplied regularly to the Parliament library. The Steel imported by the canalising agencies are distributed aginst the release orders issued by the C. C. I. &. E.

(c) It is expected that near self-sufficiency in steel production can be reached in two or three years with the commissioning of Bokaro Steel Plant and the existing steel plants attaining production of 90% of their rated capacity.

Registration and Recognition of Trade Unions

696. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to enact a uniform legislation for the entire country in regard to registration and recognition of labour unions and industrial disputes ; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of recognised and non-recognised labour unions thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes, Sir.

(b) The details in this regard are being worked out by Government in the light of the discussions held so far and the opinions expressed by labour unions and others in various meetings convened to discuss the recommendations of the National Commission on Labour.

त्रिपुरा में बेरोजगारों की संख्या

697. **श्री बीरेन दत्त :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में सितम्बर-अक्तूबर, 1972 में कितने बेरोजगारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया ;

(ख) कितने लोगों को नौकरी दी गई ; और

(ग) शेष व्यक्तियों को नौकरी देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के लिए प्रेषित उम्मीदवारों तथा रोजगार कार्यालय, त्रिपुरा द्वारा रोजगार दिलाए गए उम्मीदवारों से सम्बन्धित है। यह जानकारी निम्नानुसार है :—

माह	सम्प्रेषण की संख्या	रोजगार दिलाए गए उम्मीदवारों की संख्या
1972		
सितम्बर	381	3
अक्तूबर	456	8

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों की कार्यान्विति के फलस्वरूप भारी संख्या में सृजित रोजगार अवसरों के अतिरिक्त वर्ष 1970-71 से चलाई गई विशेष रोजगारोन्मुख परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों से अधिकाधिक संख्या में रोजगार अवसरों के सृजित होने की आशा है।

1972-73 के केन्द्रीय बजट में विशिष्ट कल्याण परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस राशि में विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए 60 करोड़ रुपए सम्मिलित है जो 1971-72 में शुरू किए गए विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों को जारी

रखने तथा देहाती एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में नए कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए होंगे। 60 करोड़ रुपए में से 26.50 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन विशेष रोजगार कार्यक्रम हेतु राज्य सरकारों के लिए किया गया है, राज्यों को भी इस धन राशि के बराबर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करनी होगी। इस राशि में से 8 लाख रुपए की व्यवस्था त्रिपुरा हेतु की गई है। इसके अतिरिक्त 1972-73 वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के लिए चलाई परियोजना के अधीन 8.23 लाख रुपए की राशि तथा ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित कार्यक्रम के अधीन 25 लाख रुपए की राशि का आवंटन भी त्रिपुरा हेतु किया गया है। इस राज्य में ये कार्यक्रम बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करेंगे।

पाकिस्तान के साथ आगामी शिखर सम्मेलन के लिए बंगलादेश को मान्यता दिए जाने की शर्त रखा जाना

698. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच तभी वार्ता हो सकती है जब पहले पाकिस्तान बंगलादेश को मान्यता दे दे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश **मंत्रालय में** उप-मंत्री (**श्री सुरेन्द्र** पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच शिखर स्तर पर आगे बातचीत की सम्भावना जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा की रूपरेखा तैयार करने की प्रगति पर निर्भर करती है। एक बार रूपरेखा तैयार हो जाने पर सेनाओं की वापसी आरम्भ हो जाएगी और फिर शिमला समझौते के अन्तर्गत अन्य प्रश्नों पर शिखर या अन्य स्तर पर विचार किया जा सकता है। फिर भी जहां तक पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों और असैनिकों के नजरबन्दी का प्रश्न है, जिन्होंने संयुक्त मोर्चे के सम्मुख आत्मसमर्पण किया था, उसके लिए बंगलादेश सरकार की पूर्ण सहमति और सहयोग आवश्यक है। पाकिस्तान इस स्थिति से अच्छी तरह अवगत है।

भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों की आलोचना के बारे में अमरीका की प्रतिक्रिया

699. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के विदेश मंत्री श्री रोजर्स ने, जब वह हाल ही में विदेश मंत्री से मिले थे, कांग्रेस अध्यक्ष श्री शंकर दयाल शर्मा और प्रधान मंत्री द्वारा भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों की आलोचना का उल्लेख किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने वास्तव में किस बात का उल्लेख किया था ; और

(ग) क्या उन्होंने आश्वासन दिया था कि भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों में अमरीका सरकार की कोई रूचि नहीं है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) 5 अक्तूबर को न्यूयार्क में विदेश मंत्री की अमरीकी विदेश मंत्री से जिन विषयों पर बातचीत हुई उनमें सी० आई० ए० की गतिविधियां भी थीं। श्री रोजर्स ने विदेश मंत्री को बताया कि भारत में गड़बड़ी पैदा करने में अमरीकी सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है।

नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

700. **श्री पम्पन गौडा :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में चिन्ताजनक वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो 1970 से अब तक उनकी क्षेत्रवार संख्या कितनी है तथा उन्हें चालू वर्ष में, राज्यवार, रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) 1. 1970-72 अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में क्षेत्रवार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या :—

क्षेत्र	निम्नलिखित को चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या		
	31-12-1970	31-12-1971	30-9-1972
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	5,08,976	5,87,657	7,34,887
केन्द्रीय क्षेत्र	6,73,221	8,47,293	12,01,165
पूर्वी क्षेत्र	11,73,837	16,19,460	21,66,700
पश्चिमी क्षेत्र	4,90,937	6,12,867	7,61,685
दक्षिणी क्षेत्र	12,21,583	14,32,642	15,92,508
अखिल भारतीय योग	40,68,554	50,99,919	64,56,945

नोट : **उत्तरी क्षेत्र :** हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चण्डीगढ़, दिल्ली और राजस्थान।

केंद्रीय क्षेत्र : मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।

पूर्वी क्षेत्र : असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोराम।

पश्चिमी क्षेत्र : गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और लक्कादीव।

दक्षिणी क्षेत्र : आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, पाण्डिचेरी और तमिलनाडु ।

2. चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सृजित अधिकाधिक रोजगार अवसरों के अतिरिक्त, 1970-71 वर्ष से चलाये गए विशिष्ट रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों से अधिक संख्या में नौकरी के अवसर उपलब्ध होने की आशा है ।

विशिष्ट रोजगार कार्यक्रमों में निम्नलिखित परियोजनायें समाविष्ट हैं :—

(एक) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित शिक्षित बेरोजगारों के लिए परियोजनाएं,

(दो) राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वियन हेतु शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों के लिए विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम ।

(तीन) ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित परियोजना ; और

(चार) सूखे से पीड़ित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम ।

चालू वर्ष के दौरान सूखे से पीड़ित क्षेत्र के लिए कार्यक्रम जो केवल सूखे से प्रभावित क्षेत्रों पर लागू होता है, को छोड़कर उपरोक्त सभी कार्यक्रमों पर सभी राज्यों में कार्यवाही की जा रही है ।

1971-72 में चालू शिक्षित बेरोजगारों के लिए विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम के अधीन परियोजनाओं में (1) प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर में विकास एवं विस्तार, (2) छोटे उद्यम-कर्ताओं को वित्तीय सहायता, (3) ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण, (4) कृषि-सेवा केन्द्र, (5) उपभोक्ता सहकारी भण्डरों का विस्तार, (6) सड़क प्रायोजनाओं का अन्वेषण और (7) ग्रामीण जल-सम्भरण के लिए डिजाइन यूनिट सम्मिलित हैं । 1972-73 के दौरान चलाए राज्यों एवं संघ-शासित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम शिक्षित एवं अशिक्षित ग्रामीण तथा शहरी नौकरी चाहने वालों के लाभ हेतु हैं । 1971-72 में चालू की गई ग्रामीण रोजगारों के लिए त्वरित परियोजना अनिवार्य रूप से रोजगारोन्मुख प्रायोजनाओं के कार्तान्वियन द्वारा सीधे रोजगार उपलब्ध कराती है । सूखे से पीड़ित क्षेत्र के लिए कार्यक्रम के अधीन चिरकाल से सूखे से प्रभावित माने गए 54 जिलों में से प्रत्येक जिले के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है जिसमें सिंचाई के छोटे कार्यक्रम, भूमि संरक्षण, वनरोपण परियोजनाएं, ग्रामीण सड़कों और गोचर-भूमि का विकास सम्बन्धी परियोजनायें सम्मिलित हैं ।

इन कार्यक्रमों के लिए चालू वर्ष हेतु देश के प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए उपयुक्त वित्तीय विनियोजन कर दिया गया है ।

भारत-पाक युद्ध में अपंग हुए सैनिकों के लिए रोजगार

701. **श्री पम्पन गौडा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में भारत पाक युद्ध में अपंग हुए कितने सैनिकों को उपयुक्त रोजगार दिया जा चुका है ;

(ख) क्या पेंशन तथा अन्य भत्तों में वृद्धि करने संबन्धी नया सूत्र पुराने सैनिकों पर लागू होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) लगभग 1000 सैनिकों को हाल के भारत पाक युद्ध में आए घावों के कारण सेना से अशक्तता के आधार पेर सेवा मुक्त किया जा रहा है। इसमें 129 सैनिक जो स्थाई रूप से अशक्त हो गए थे, सेवा मुक्त कर दिए गए हैं उन्हें उपयुक्त रोजगार की पेशकश की गई है।

(ख) हाल के भारत-पाक युद्ध में लगे घावों के कारण अशक्त हुए सैनिकों को 1 फरवरी 1972 से जो उदार पेंशन योजना मन्जूर की गई है, वह उनके साथ साथ निम्नलिखित संक्रियाओं में लगे घावों के कारण अशक्त हुए सैनिकों पर भी लागू है :—

(1) 1965 की अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों में (इसमें कच्छ तथा कारगिल संक्रियाएं शामिल हैं), 1962 तथा 1947-48 (काश्मीर संक्रियाएं) के अलावा गोवा तथा हैदराबाद संक्रिया।

(2) युद्ध जैसा संक्रियाओं के फलस्वरूप या सीमा पर पाकिस्तान से युद्धविराम रेखा पर या अन्य किसी देश के साथ हुए मुठभेड़ के कारण।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Seven day week

702. Shri Ramavatar Shastri :

Shri Ramsahai Pandey :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether in order to increase production, the workers and their organisations have been advised by him to agree to have a seven day working week ;

(b) whether Government have formulated any scheme in this regard ; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes. The idea was that, subject to the exigencies of supply of power, raw materials, etc., the plants and machinery of an industrial unit should, wherever possible be worked continuously throughout the week, the industrial workers weekly day of rest being appropriately staggered.

(b) No.

(c) Does not arise.

हैवी इंजीनियरिंग निगम द्वारा आई० बी० एम० से कम्प्यूटर किराये पर लेना

703. **रामावतार शास्त्री :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग रांची 75,000 रुपये मासिक किराये पर एक कम्प्यूटर लेने के लिए अमरीका के आई० बी० एम० विश्व व्यापार निगम से बातचीत कर रहा है यद्यपि एक सरकारी कम्पनी ने कम्प्यूटरों का निर्माण आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) : भारी इंजीनियरी निगम ने आई० बी० एम० और आई० सी० एल० से प्राप्त हुई कुटेशनों के आधार पर मई, 1972 में आई० बी० एम० विश्व व्यापार निगम से 9.30 लाख रुपये वार्षिक किराये पर एक संगणक लेने का ठेका किया था। उस समय कोई सरकारी कम्पनी ऐसे संगणक नहीं बना रही थी जो भारी इंजीनियरी निगम की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रोडेशिया पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्ध

704. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र मण्डल प्रतिबन्ध समिति की एक बैठक रोडेशिया पर लगाए आर्थिक प्रतिबन्धों को जारी रखने अथवा इससे इतर कार्यवाही के बारे में विचार करने के लिए लन्दन में आयोजित हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्रिटेन ने क्या प्रस्ताव पेश किया है ; और

(ग) उक्त विषय पर समिति ने क्या निर्णय किया ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) समिति की अन्तिम बैठक जून, 1970 में लन्दन में हुई थी।

(ख) और (ग) समिति की कार्यवाही, हिस्सा लेने वाले की सहमति के अनुसार, गोपनीय है। बैठक के बारे में राष्ट्र मण्डल सचिवालय द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि समिति इस बात पर बल देती है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्य और विशेषीकृत एजेंसियां प्रतिबन्ध नीति के क्रियान्वयन में—सक्रिय कार्यवाही से—अधिक दृढ़ता एवं राजनितिक रुचि से सहायता करें।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मद्रास से भविष्य निधि की राशि प्राप्त होने में देरी

705. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान 20 जून, 1972 के 'टाइम्स आफ इंडिया' नई दिल्ली में प्रकाशित उस पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मद्रास से भविष्य निधि की राशि की प्राप्ति में देरी की शिकायत की गई है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है तथा सम्बंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

एक पत्र जो श्री एम० डी० वजीरुददीन द्वारा लिखा गया प्रतीत होता है, "टाइम्ज आफ इण्डिया", नई दिल्ली, में तारीख 20 जून, 1972 को प्रकाशित किया गया। मामले की जांच

करने पर यह पता चला कि श्री बजीरुद्दीन ने 19-9 1971 को नौकरी से इस्तीफा दिया था और उसे भुगतान केवल 19-3-1972 या इसके पश्चात देय होता था क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि योजना में 6 मास की प्रतीक्षा कालावधि निर्धारित है। उसके क्षेत्रीय कार्यालय को 1 -4-72 को इस सम्बन्ध में लिखा और औपचारिकता में पूरी करने के पश्चात दावे के निपटारे हेतु उसे एक पत्र 5-6-72 को भेज दिया गया था। अत: इस मामले में कोई अनुचित देरी नहीं हुई।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड कलकत्ता पर भारत रक्षा अधिनियम का लागू होना

706. **डा० रानेन सेन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रक्षा अधिनियम को हाल में इंडियन आक्सीजन लिमिटेड कलकत्ता पर लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या किसी कार्मिक संघ ने भारत रक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए विरोध में कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया है?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) अनुमानतः संकेत भारत रक्षा नियमावली, 1971 के नियम 119 के अधीन पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा 29 मई, 1972 को जारी किए गए उस आदेश को ओर है जिसमें मैसर्स भारतीय आक्सीजन लिमिटेड को कुछ एककों को अनिवार्य सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया था। राज्य सरकार ने बताया है कि यह आदेश उन्होंने श्रम स्थिति और मामले की अन्य परिस्थितियों को यान में रखने के पश्चात जारी किया था।

(ग) जी, हां। यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

राष्ट्रपति भुट्टो द्वारा भारत-पाक सम्बन्धों के बारे में 'ब्लिट्ज' के सम्पादक को दिये गए सुझाव

707. डा० **रानेन सेन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रपति भुट्टो द्वारा भारत-पाक सम्बन्धों के बारे में ब्लिट्ज के सम्पादक को लिए गए सुझावों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) ब्लिट्ज के सम्पादक के साथ राष्ट्रपति भुट्टो के साक्षात्कार का प्रकाशित मूलपाठ सरकार ने देखा है।

(क) जहां तक पाकिस्तान और भारत का सम्बन्ध है वे शिमला समझौते के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में परस्पर सीधा सम्पर्क बनाये हुये हैं।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के ढांचे में परिवर्तन

708. डा० रानेन सेन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय भू बिज्ञान सर्वेक्षण संस्था का विभाजन कर उसके ढांचे में कोई नया परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या बहुत से विशेषज्ञों का यह मत है कि इससे भारतीय भूविज्ञान सर्बेक्षण संस्था की कार्यकुशलता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार प्रस्तावित परिवर्तनों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करेगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां। सरकार ने पहले ही भारतीय भूवैज्ञानिक सर्बेक्षण के भूतल स्कंध को कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय भूतल बोर्ड में बिलय करने और पब्लिक सेक्टर में एक खनिज समन्वेषण निगम को स्थापित करने का विनिश्चय किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूतल स्कंध का केन्द्रीय भूतल बोर्ड के साथ विलयन 1 अगस्त, 1972 से प्रभावी हो गया है। खनिज समन्वेषण निगम को 21 अक्तूबर, 1972 से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

(ख) और (ग) विगत कुछ समय से सरकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि वह अपने कर्त्तव्य-निर्वाह में अधिक दक्ष बन सके। वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के बारे में की समिति के (बै०अ०स०स०) विशेषज्ञों ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्य-कलापों, कर्त्तव्यों और संगठनात्मक संरचना का परीक्षण किया और इस बारे में कतिपय सिफारिशें की। यह सिफारिशें, जिन पर बाद में विज्ञान और प्रौद्योग पर की समिति (वि० और प्रौ० समिति), जो विशेषज्ञ निकाय है, ने विचार किया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूतल-जल स्कन्ध के कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय भूतल जल बोर्ड में विलयन और लघुतम संभाव्य समय में खनिज संसाधनों को प्रमाणित कर सम्पूर्ण देश में खनिज समन्वेषण की प्रक्रिया को गहनतम करने के लिए पब्लिक सेक्टर में खनिज समन्वेषण निगम स्थापित करने के विनिश्चय का आधार बनी।

गोलपाड़ा, आसाम से सैनिक स्कूल के लिये भूमि का अधिग्रहण

709. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोलपाड़ा (आसाम) में सैनिक स्कूल के लिये बहुत अधिक कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया है ;

(ख) क्या यह क्षेत्र काफी समय से अप्रयुक्त पड़ा है ; और

(ग) सरकार का स्कूल को इस के वर्तमान स्थान से हटा कर कब तक नये स्थल पर जहां पर भूमि का अधिग्रहण किया गया है ले जाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन्। आसाम राज्य सरकार ने सैनिक स्कूल, गोलपाड़ा आसाम के लिये काफी बड़े क्षेत्र को अर्जित किया है।

(ख) जी हां श्रीमन्।

(ग) सैनिक स्कूल गोलपाड़ा नए स्थल को राज्य सरकार के द्वारा कम्प्लैक्स के निर्माण के पूर्ण होते ही स्थानान्तरित हो जायगा।

युगांडा से लौटे भारतीयों को रोजगार देने में प्राथमिकता

710. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युगांडा से लौटे भारतीयों को बसाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) उनको रोजगार में प्राथमिकता देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वदेश लौटे उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो अपने अपने राज्यों में पहुंच चुके हैं, व्यवसायिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी ब्यौरा एकत्रित करें। इस जानकारी के उपलब्ध होने पर स्वदेश लौटे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये योजनाएं बनाई जाएंगी।

इस्पात के लिये नियंत्रक (होल्डिंग) कम्पनी का गठन

711. **श्री प्रबोध चन्द्र** :
श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के लिये नियंत्रक होल्डिंग) कम्पनी के गठन औरसंगठन के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जबकि सरकार ने इस्पात तथा सम्बन्धित आदान उद्योगों के लिये होल्डिंग कम्पनी के गठन तथा उसके संविधान से सम्बन्धित कुछ मामलों पर निर्णय ले लिये हैं, दूसरे मामलों पर अभी विचार किया जा रहा है। वर्तमान विचार-धारा के अनुसार होल्डिंग कम्पनी में हिन्दुस्तान स्टील लि०, बोकारो स्टील लि०, सेलम स्टील लि०, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०, नये इस्पात कारखानों के लिये बनायी जाने वाली नई कम्पनियां, भारत कोकिंग कोल लि० तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम सम्मिलित होंगी। होल्डिंग कम्पनी के अन्तर्नियम तथा प्रबंध ढांचे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। आशा है कि यह कार्य शीघ्र पूर्ण हो जायेगा।

इस्पात की कमी

712. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में इस्पात की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) अभी हाल तक इस्पात के कई वर्गों की मांग की अपेक्षा उनकी उपलब्धि कम थी। इस स्थिति का सामना करने के लिये किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

तकनीकी सुधारों, अच्छे औद्योगिक संबंधों तथा संधारण में सुधार आदि के द्वारा देशीय उत्पादन में वृद्धि, प्रमुखतः दुर्लभ किस्म की वस्तुओं की आयात नीति को उदार बनाना निर्यात का विनियमन, वितरण प्रणाली को दोषरहित बनाना, इस्पात के आवंटन का दुष्प्रयोग रोकना, न्यायालय व्यादेशों द्वारा रोके गये पुनर्वेलन लोग्य इस्पात की काफी मात्रा का उपलब्ध हो जाना, तथा विद्युत भट्टियों की स्थापना को प्रोत्साहन देना। इन उपायों के सुपरिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं जो कि पिछले दो महिनों में इस्पात की कई किस्मों जैसे ज्वायस्ट्स, चैनेल्स ऐंगिल्स आदि के मूल्यों में कमी से स्पष्ट है।

समान श्रम विधियां

713. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश के लिए समान श्रम विधि बनाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने, जिसने इस प्रश्न पर विचार किया, सिफारिश की कि समूचे देश के सभी पहलुओं को शामिल करने वाली एवं सामान्य श्रम संहिता सूत्रित करना व्यवहार्य नहीं था। तथापि, औद्योगिक सम्पर्कों के बारे में एक समान केन्द्रीय कानून लाने के लिये एक प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के लिये ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

तस्करी रोकने के लिये भारत-बंगलादेश सीमा बन्द करने का प्रस्ताव

714. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-बंगलादेश सीमा को दोनों देशों में हो रही तस्करी रोकने के एक उपाय के तौर पर बन्द करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर बंगलादेश की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) 1 सितम्बर, 1972 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में भारत सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हमने, भारत और बंगलादेश के बीच तस्करी को रोकने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किए हैं। इस बात की ओर भी इशारा किया गया था कि यदि बंगलादेश की सरकार चाहे, तो तस्करी के उन्मूलन के लिए, भारत बंगलादेश के सहयोग से सीमा बन्द के लिये तैयार रहेगा। इस सुस्पष्ट घोषणा का बंगलादेश में व्यापक रूप से स्वागत किया गया।

श्री भुट्टो द्वारा भारत पर शिमला समझौते को कार्यान्वित न करने का आरोप

715. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री भुट्टो का वह वक्तव्य सरकार के ध्यान में लाया गया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत शिमला समझौते के कार्यान्वियन के लिये अनिच्छुक है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रपति भुट्टो के इस कथित वक्तव्य को पढ़ कर सरकार को आश्चर्य हुआ है। भारत ने शिमला समझोते के विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये हमेशा पहल की है। आशा की जाती है कि पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा और भारत की तरह शिमला समझौते के भाव और भाषा के अनुरूप उसका अनुपालन करेगा।

औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि

716. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1971 में 3,20,000 औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई जबकि 1970 में इनकी संख्या 1,96,000 थी ;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या में इस असाधारण वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन, 1970 वर्ष के दौरान कारखाने में 2,88,126 अनंतिम की सूचना दी गयी थी। चूंकि कई राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से वार्षिक विवरण अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन बनाये गये राज्य कारखाना नियमों में निर्धारित सुरक्षा अपेक्षाओं को निरन्तर पुनरीक्षत, विस्तृत और सुधारा जाता है।

चीन-भारत संबन्ध

717. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र** :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस नई परिस्थिति में जब चीन ने अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में विचार प्रकट किये हैं चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए सरकारों का पहल करने का कोई प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : इस संबंध में भारत सरकार ने पहले जो कार्रवाई की थी उस पर चीन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्रम विधियों के कार्यान्वयन की समीक्षा

718. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वर्तमान श्रम विधियों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है ; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ;

(ख) क्या राज्यों तथा केन्द्र में श्रम प्रवर्तन मशीनरी में सुधार करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए कोई उपाय विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) श्रम कानूनों का कार्यान्वयन की पुनरीक्षा एक लगातार प्रक्रिया है। तो भी, राष्ट्रीय श्रम आयोग ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, मजदूर संघ अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम, आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के कार्यचालन की पुनरीक्षा की है और उनके कार्यचालन में सुधार लाने हेतु परिवर्तनों का सुझाव दिया है। जहाँ कहीं आवश्यक है, सरकार सम्बन्धित श्रम कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में झघड़ा खण्ड कोयला खान के श्रमिकों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

719. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अक्तूबर, 1972 को मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में झघड़ा खण्ड कोयला खान के गेट पर धरना देने वाले शान्तिपूर्ण हड़तालियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप अनेक हड़ताली श्रमिक मारे गये थे ;

(ख) क्या प्रबन्धकों ने तालाबन्दी के दौरान भी श्रमिकों से काम करवाने के लिए शक्ति का प्रयोग किया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, जबलपुर हड़ताली श्रमिकों को 'तिमाही बोनस' का भुगतान न करने के लिए प्रबन्धकों पर मुकदमा चलाने में टालमटोल कर रहा है ; और

(घ) प्रबन्धक का बचाव करने के लिए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). हड़ताल के पश्चात् प्रबन्धक, रजामन्द कर्मकारों की सहायता से खानों में से पानी बाहर निकालने के लिए अनिवार्य सेवाएं चला रहे थे ताकि खान में पानी भर जाने की रोक-थाम हो सके। 3.10.72. को जो कर्मकार ड्यूटी पर थे, उन्हें हड़ताल करने वालों ने रोका, जिस के परिणाम स्वरूप उनके वे

नेतागण गिरफ्तार कर लिए गए जिन्होंने हड़तालकर्त्ताओं द्वारा पुलिस दल पर आक्रमण करने के लिए गलत नेतृत्व किया। इस पर पुलिस वालों ने अश्रु-गैस के गोले दागे और लाठी-चार्ज किया लेकिन जब ये प्रभावहीन सिद्ध हुये तो उन्होंने गोली चलायी जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और एक और व्यक्ति बाद में मर गया।

(ग) जी, नहीं। 30.6.72 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए तिमाही बोनस के विलम्बित भुगतान के कारण प्रबन्धकों के विरुद्ध अभियोजन चलाने के प्रस्तावों की मन्जूरी दे दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कार्मिक संघों के सदस्यों की संख्या का सत्यापन और त्रिपक्षीय संस्थाओं, समितियों और सम्मेलनों में उनका प्रतिनिधित्व

720. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक संघों के सदस्यों की संख्या द्विवार्षिक सत्यापन कार्य पूरा नहीं हुआ है;

(ख) गत सत्यापन के क्या परिणाम हैं; और त्रिपक्षीय निकायों, समितियों, और सम्मेलनों में मजदूर संघों के प्रतिनिधित्व को निश्चित करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये है; और

(ग) क्या हिन्द मजदूर सभा 'इन्टक' और ए० आई० टी० यू० सी० के अतिरिक्त किसी अन्य अखिल भारतीय मजदूर संघ संगठनों ने राष्ट्रीय त्रिपक्षीय निकायों में प्रतिनिधित्व की मांग की है; और यदि हां, तो राष्ट्रीय निकायों में मजदूर संघ संगठनों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). 31 दिसम्बर, 1968 को चार केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों की सत्यापित सदस्यता निम्न प्रकार है।

(1)	भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ कांग्रेस	13,26,152
(2)	अखिल भारत श्रमिक संघ कांग्रेस	6,34,802
(3)	हिन्द मजदूर सभा	6,63,772
(4)	संयुक्त श्रमिक संघ कांग्रेस	1,25,754

31 दिसम्बर, 1970 को अगले द्विवर्षी सदस्यता के सत्यापन्न को यथावत आरम्भ किया गया पर आगे नहीं ले जाया जा सका क्योंकि श्रमिक संघ संगठनों ने इस आधार पर इसके स्थगन के लिये कहा कि वे केन्द्रीय और राज्य के चुनावों में व्यस्त थे। इसलिए प्रतिनिधित्व के मामले में यथास्थिति जारी रखी जा रही है।

(ग) जी हां, राष्ट्रीय त्रिपक्षीय एककों में राष्ट्रीय श्रमिक संघ संगठनों, न्यूनतम योग्यता प्रदायी सदस्यता सहित, के प्रश्न पर अक्तूबर, 1971 को भारतीय श्रम सम्मेलन के सत सत्र में विचार किया गया था परन्तु कुछ विचार-विमर्श के बाद आस्थगित कर दिया गया।

उन संगठनों के सम्बन्ध में, जो अपने अखिल भारतीय स्वरूप का दावा करते हैं और राष्ट्रीय त्रिपक्षीय एककों में प्रतिनिधित्व चाहते हैं, श्रमिक संघों के रजिस्ट्रारों के आलेखों के संदर्भ में, जैसे कि 31 दिसम्बर, 1970 को है, सदस्यता के बारे में कुछ मूल सूचना एकत्र की गई है ।

कानपुर स्थित लक्ष्मी रतन काटन मिल्स के श्रमिकों की बकाया भविष्य निधि

721. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित लक्ष्मी रतन काटन मिल्स के प्रबन्धकों ने अपने श्रमिकों को देय भविष्य निधि का भुगतान रोक लिया है और यदि हाँ, तो कुल देय राशि कितनी है ;

(ख) क्या उक्त मिल ने भविष्य निधि अधिनियम के अन्य उपबन्धों का भी उल्लंघन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मिल के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) . भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

मैसर्स लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कम्पनी लि०, कानपुर 31-8-1972 को भविष्य निधि अंशदानों के लगभग 24.67 लाख रुपये की अदायगी की चूक में थे । चूक की सारी धनराशि राजस्व भुगतान प्रमाण-पत्रों के अन्तर्गत शामिल है । भारतीय दंड संहिता की धारा 4/ 6/409 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों के पास शिकायतें भी दाखिल कर दी गई हैं । किस्तों की सुविधाओं के सम्बन्ध में इस प्रतिष्ठान द्वारा राज्य सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसार, मैसर्स लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कम्पनी लि०, कानपुर के प्रबन्धकों ने बकाया राशियों की बाबत 53,000/—रुपये प्रतिमास की दर से 9 किस्तों का भुगतान किया है । इसके अतिरिक्त, अक्तूबर, 1971 से जुलाई, 1972 तक के वर्तमान अंशदान भी प्रबन्धकों से प्राप्त हुए हैं ।

पश्चिमी बंगाल के इंजीनियरिंग कारखानों में हड़ताल

722. **प्रो० मधु दंडवते :**
श्री रोबिन सेन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बहुत से इंजीनियरिंग कारखानों में दोषपूर्ण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मामले को लेकर हाल ही में हड़ताल हुई थीं ; यदि हां, तो इससे कितने इंजीनियरिंग कारखानों में तथा कितने कर्मचारियों ने हड़ताल की थी ;

(ख) उससे कितने जन दिवसों की हानि हुई ; और

(ग) ठीक मूल्य सूचकांक दिये जाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

हेन्डरसनब्रुक्स जाँच समिति की रिपोर्ट की गोपनीय बातों का प्रकट हो जाना

723. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेण्डरसनब्रुक की जांच रिपोर्ट की बातों को श्री मैक्सवेल द्वारा प्रकट कर दिये जाने के सम्बन्ध में जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने किसी सरकारी अधिकारी पर उत्तरदायित्व नियत किया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) . जी नहीं।

रहस्योद्घाटन के लिए अभी भी जांच चल रही है।

Loss incurred by Durgapur Steel Plant due to location of Sheet Mill

724. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of Steel and mines be pleased to state :

(a) whether Durgapur Steel Plant is incurring loss because of the sheet Mill located there ;

(b) whether the Atlas Steel Company of Canada, the collaborator thereof, had raised objections in regard thereto and if so, Government's policy in regard to the continuance of the Steel Mill ; and

(c) in case it is proposed to run this mill, the measures being taken to make good the loss ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Presumably, the reference is to the Alloy Steels plant, Durgapur. The loss incurred by this plant is not attributable only to the Sheet Mill. There are several factors contributing to the loss.

(b) & (c). It is true that Atlas Steel Company of Canada, the Production Advisers, had brought out, while examining the detailed project report on the plant prepared by the Consultants, Dastur & Co, the limitations of a Hand Sheet Mill as compared to a continuous Strip Mill. However, on overall considerations of cost and of the stainless steel capacity envisaged for the plant the hand sheet mill was adopted. Attempts are being made to improve the performance of the Hand Sheet Mill by incorporating some modifications.

Exchange of civilians between India and Pakistan

725. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Suk Deo Prasad Verma :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of civilian prisoners handed over to Indian by Pakistan and the number of those handed over to Pakistan by Indian so far since the end of Indo-Pak war ;

(b) the total number of civilians who were made prisoners on each side; and

(c) whether the number of civilian prisoners repatriated by each side is unequal : if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram)

(a)	(i)	Indian Civilians repatriated	361
	(ii)	Pakistani civilians repatriated	838
(b)	(i)	Indian civilians made prisoners by Pakistan	627
	(ii)	Pak civilians made prisoners by India.	17,376

(c) The number of civilians prisoners in Indian's custody is much larger than the number in Pakistan's custody. Besides, according to Geneva Convention, parity in numbers is not to be insisted upon in the case of repatriation of sick and wounded prisoners.

कुवैत को भारतीय टैंकों का विक्रय

726. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान की यह रिपोर्ट सरकार ने देखी है कि भारत द्वारा कुवैत को 50 टैंक बेचे जाने हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संभावना पर विचार कर लिया है कि ये टैंक कुवैत द्वारा पाकिस्तान को दिये जा सकते हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). तथाकथित रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है।

युद्ध अपराधों के लिए पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों पर मुकदमा चलाने के संबन्ध में निर्णय

727. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध अपराधों के लिए पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर मुकदमा चलाने या उन्हें पाकिस्तान भेजने के प्रश्न पर भारत और बंगला देश के बीच कोई अन्तिम समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार युद्ध बन्दियों की वापसी के लिए जोर देती रही है और यदि हां, तो इस सबन्ध में अब तक की गतिविधियों का ठीक-ठीक ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). पाकिस्तान के युद्ध अपराधों के बन्दियों पर मुकदमा चलाने का संबन्ध केवल बंगला देश का है। पूर्वी सैक्टर में पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों ने भारत तथा बंगलादेश को संयुक्त कमांड को आत्म समर्पण किया था तथा दोनों ही बन्दी बनाने वाली शक्तियां हैं। मानवता के आधार पर अभी तक कुल 522 युद्ध बन्दियों का प्रत्यापित किया गया है। अभी तक युद्ध बन्दियों को आम प्रत्यापित करने के लिए अपेक्षित स्थिति नहीं बनी है।

पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई पर नियंत्रण के बारे में भारत का संयुक्त महासभा में प्रस्ताव

728. **डा० हरि प्रशाद शर्मा** :

श्री एम० कतामुतु :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 21 अक्तूबर, 1972 को हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारतीय प्रतिनिधियों ने पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई पर कठोर नियंत्रण लागू करने का प्रस्ताव किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर महासभा की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। उपनिवेशी देशों और लोगों को स्वाधीनता दिए जाने की घोषणा पर अमल करने के विषय में 20 अक्तूबर, 1972 को महासभा में बोलते ए गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल को हथियार देने पर कठोरता के साथ नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसके इलावा, इन देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संदर्भ में उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि इस बात का सही विश्लेषण किया जाना चाहिए कि पुर्तगाल तथा दक्षिण अफ्रीका को आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता के रूप में कितने देशीय संसाधन सुलभ कराए जाते हैं जिनका उपयोग अंगोला, मोजम्बिक, गिनी (बिसाऊ), नेमीबिया तथा जिम्बावत्रे में दमनकारी उपायों के लिए किया जाता है।

(ख) महासभा ने प्रस्ताव संख्या ए०/आर० ई० एस०/2908 (27) पारित किया जिसमें प्रस्तावना का पैरा 5 और कार्यकारी पैरा 4, 9 और 10 में मंत्री महोदय पंत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को इस प्रकार रखा गया है :

प्रस्तावना पैरा 5 :

"उन राज्यों की नीतियों की दृढ़तापूर्वक निंदा करते हुए जिन्होंने सुरक्षा परिषद महासभा और उपनिवेशी देशों तथा लोगों को स्वाधीनता दिए जाने की घोषणा पर अमल करने के संबद्ध विशेष समिति के प्रस्तावों की अवहेलना की और जो पुर्तगाल तथा दक्षिण अफ्रीका की सरकारों और दक्षिणी रोडेशिया में अवैध जातिगत अल्पमत शासन से सहयोग करती रहती हैं।"

कार्यकारी पैरा :

पैरा 4 :

"सभी राज्यों से, विशेषकर प्रशासक देशों तथा संयुक्त राष्ट्र में विशिष्ट एजेंसियों तथा अन्य संगठनों से बलपूर्वक आग्रह है कि वे घोषणा पर तत्काल कार्यान्वियन संबद्ध विशेष समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और संयुक्त राष्ट्र के संबद्ध प्रस्तावों पर अमल करें।"

पैरा 9 :

"सभी राज्यों से सीधे और संयुक्त राष्ट्र में विषिष्ट एजेंसियों तथा अन्य संगठनों में उनकी कार्यवाही के माध्यम से उनसे अनुरोध है कि वे पुर्तगाल तथा दक्षिण अफ्रीका की सरकारों तथा दक्षिण रोडेशिया में अवैध जातिगत अल्पमत शासन को तब तक सहायता न दें अथवा कोई सहायता देना बन्द रखें जब तक कि वे उपनिवेश शासन तथा जातिगत भेदभाव की अपनी नीति को न छोड़ दें।"

पैरा 10 :

उपनिवेशी देशों से आग्रह है कि वे उपनिवेशी प्रदेशों से तत्काल और बिना शर्त अपने सैनिक अड्डे हटा ले तथा नए अड्डे स्थापित न करें ।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिये तीसरा मजूरी बोर्ड

729. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरे मजूरी बोर्ड की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है यदि हां, तो मजूरी बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता प्रमाणित करने वाली स्पष्ट परिस्थितियां क्या हैं ; और

(ख) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है तथा प्रस्तावित मजूरी बोर्ड का गठन तथा कृत्य क्या होंगे ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) श्रमजीवी पत्रकारों के तीसरे मजूरी बोर्ड की स्थापना संबन्धी मांग प्रस्तुत की गई है, लेकिन मामले पर, मजदूरी बोर्डों के सामान्य प्रश्न पर राष्ट्रीय आयोग और श्रमिकों और नियोजकों के पर्यवेक्षण के प्रकाश में विचार किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एस० ए०-315 हैलीकाप्टरों का निर्माण

730. **डा० हरि प्रशाद शर्मा :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने एस० ए०-315 हैलीकाप्टरों का निर्माण आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस हैलीकाप्टरों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के पास उसकी स्थापित उत्पादन क्षमता कितनी है और इस यान में कितनी स्वदेशी तथा बिदेशी सामग्री उपयोग में लाई जायेगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) मन्त्री में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने एस० ए०-315 हैलिकाप्टरों का उत्तरोत्तर निर्माण आरम्भ कर दिया है ।

(ख) इस हैलिकाप्टर का निर्माण वायु प्रेक्षण चौकी ड्यूटी के लिए सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताएं पूरी करने लिए आरम्भ किया गया है ।

(ग) एस० ए०-315 हैलिकाप्टरों के उत्पादन के लिए प्रतिष्ठापित क्षमता को प्रकट करना जनहित में नहीं होगा । कच्चे माल से उत्पादन कीअवस्था में विदेशी मुद्रा का अंश 30-40 प्रतिशत मूल्य का होने की आशा है ।

जम्मू और काश्मीर से भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षक दल की वापसी

731. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के उपरान्त परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में जम्मू और काश्मीर में युद्ध विराम रेखा पर भारतीय सीमा में नियुक्त संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों की वापसी के लिए अभी तक कोई अनुरोध नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षक दल की वापसी के लिए इस बीच कोई मांग की गई है और यदि हां, तो इस पर संयुक्त राष्ट्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने अब तक संयुक्त राष्ट्र से प्रेक्षकों को वापस बुला लेने के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध नहीं किया है लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू और काश्मीर में अब उनका कोई काम नहीं रहा। अब यह संयुक्त राष्ट्र को निश्चय करना है कि उन्हें उस क्षेत्र से हटाया जाय या नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश मे अलौक धातुओं का आयात तथा उत्पादन

732. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलौह धातुओं के आयात के मामले में देश अभी भी विदेशों पर आश्रित हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन धातुओं के आयात पर इस समय कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ;

(ग) क्या सरकार ने देश में अलौह धातुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है और अब तक क्या परिणाम हासिल किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, ऐलूमिनियम धातु को छोड़कर।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अलौह धातुओं के आयात का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मूल्य लाख रुपयों में
1969-70	7454
1970-71	11943
1971-72	10176

(ग) और (घ). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में विस्तृत समन्वेषण का गहन कार्यक्रम आरम्भ किया है जिससे आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़िसा और राजस्थान में जस्ता, सीसा, ताम्र, निकल आदि के अयस्कों के महत्वपूर्ण पूर्वेक्षण स्थल और अन्य देशों में इन अयस्कों की लघु उपलम्य राशियां प्रकाश में आई हैं। आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार में हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षणों द्वारा अनेक असंगति बिन्दुओं का पता चला है।

इन अयस्कों/धातुओं का देशीय उत्पादन बढ़ाने की प्रायोजनाओं के संक्षिप्त ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

I-जस्ता

(i) **जावर निक्षेप (राजस्थान)** :

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा संचालित उदयपुर के समीप देबरी स्थित जस्ता प्रद्रावक (जावर क्षेत्र में बलारिया में अनुकूलतम खनन प्रसुविधाओं सहित) की वार्षिक क्षमता 18,000 टन है। इस क्षमता को पंचम योजना के आरम्भरण में 36,000 टन प्रति वर्ष तक विस्तारित करना प्रस्तावित है।

जावर क्षेत्र के अन्वेषणाधीन अन्य निक्षेपों के साध्यता अध्ययन आरम्भ करना प्रास्तावित है।

(ii) **दरीबा राजपुर निक्षेप** (राजस्थान) :

पंचम योजना के अन्त तक प्रतिवर्ष जस्ता के 40,000 टन और सीसा के लगभग 10,000 टन के उत्पादन की क्षमता के इन निक्षेपों पर आधारित प्रद्रावक के लिए विदेशी परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई साध्यता रिपोर्ट हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के संवीक्षाधीन है।

(iii) **अण्वा माता और डेरी निक्षेप (गुजरात और राजस्थान)** :

सान्द्र अवस्था तक इन निक्षेपों का राज्य सरकारों द्वारा निजी तौर पर विकास किया जाएगा।

(iv) **आयातित सान्द्रों पर आधारित प्रद्रावक** :

(क) मैसर्स कोमिन्को बिनानी जिंक लिमिटेड को पंचम योजना के अन्त तक अपने एलवेई, केरल, स्थित आयातित सान्द्रों पर आधारित 20,000 टन के प्रद्रावक की क्षमता को 40,000 टन तक विस्तारित करने लिए आशय पात्र अनुदत्त किया गया है।

(ख) विजाग (आन्ध्र प्रदेश) में, पंचम योजना के अन्त तक, पब्लिक सेक्टर में आयातित सान्द्रो पर आधारित 30,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता का जस्ता प्रद्रावक स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

II-सीसा

(i) जावर खानें (राजस्थान) :

टुण्डू (बिहार) स्थित पुराने संयंत्र को, जहां हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा जवर खानों उत्पादित सीसा सान्द्र को इस समय प्रद्रावित किया जा रहा है, सीसा के 1972 के अन्त तक प्रतिवर्ष 3,600 टन और 1973-74 के अन्त तक प्रतिवर्ष 6,000 टन के उत्पादन के लिए नवीकृत किया जा रहा है

(ii) सर्गीपल्ली निक्षेप (उड़ीसा) :

इस समय निक्षेप भारतीय भुवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषणाधीन है और 10,000 प्रतिवर्ष की क्षमता के प्रद्रावक की स्थापना की साध्यता पर विचार किया जा रहा है ।

III-ताम्र :

सरकार ने देश के ताम्र निक्षेपों का विकास-कार्य हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड को समनुदेशित किया है । देश के विभिन्न राज्यों में राखा, खेतड़ी, अग्निगुण्डाला, मालंजखण्ड आदि निक्षेपों पर आधारित, अनेक प्रायोजनाओं के स्थापित किए जाने पर विचार किया जा रहा है । अनुकूलतम खनन एवं उर्वरक उत्पादन प्रसुविधाओं सहित, खेतड़ी प्रायोजना ताम्र धातु के 31,000 टन उत्पादित करेगी । हाल ही में सरकार ने भारतीय ताम्र निगम का, घाटशिला, बिहार, में उसकी प्रायोजनाओं सहित प्रबन्ध ग्रहण किया है । ऐसा इसलिए किया गया है कि सिंहभूम पट्टी, बिहार, में ताम्र निक्षेपों का विकास एकीकृत रूप से किया जा सके । भारतीय ताम्र निगम के प्रद्रावक की नए स्फुरण प्रद्रावक में अब ताम्र के लगभग 16,000 टन उत्पादन करने की क्षमता है ।

iV- सुकिन्दा निकल निक्षेप (उड़ीसा) :

सुकिन्दा निकल निक्षेप के लिए साध्यता रिपोर्ट तयार की गई है जिसमें उपोत्पाद के रूप में प्रतिवर्ष 4800 टन निकल पाउडर, 200 टन कोबाल्ट पाउडर और 17,000 टन अमोनियम सल्फेट का उत्पादन पारिकल्पित है । निक्षेप के वाणिज्यिक समुपयोजन के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट बनाने के पूर्व प्रायोगिक मापमान परीक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

हिन्द महासागर में राष्ट्र मण्डल नौसेनिक कार्य दल (टास्क फोर्स) के लिए ब्रिटेन का प्रस्ताव

733. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने हिन्द महासागर में राष्ट्रमण्डल नौसैनिक कार्य दल (टास्क फोर्स) नियुक्त करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) हिन्द महासागर में कामनवेल्थ नेवल टास्क फोर्स रखने के बारे में सरकार को यू० के० सरकार की ओर से कोई सुझाव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमान दुर्घटनाओं के शिकार होने वाले कैडेट पायलटों के आश्रितों को मुआवजा

734. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान दुर्घटनाओं के शिकार होने वाले भाग्यहीन कर्मिकों के परिवारों के सदस्यों अथवा आश्रितों को मुआवजा देने अथवा कैडेट पायलटों का जीवन बीमा करने के बारे में इस समय नियम बने हुए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी व्यवस्था न होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कानून अथवा नियम बनाने को तैयार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) रेकों में से लिए गए फ्लाइट कैडिट, नियमाधीन, कैडिट बनने से पूर्व उनके द्वारा प्राप्त रैंक के आधार पर पेन्शन लाभ पाने के पात्र हैं। सिविल से लिए गये फ्लाइट कैडिटों के बारे में दावे हरेक मामलों के गुणों पर तदर्थ आधार पर निपटाए जाते हैं।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्रों में बिक्री योग्य इस्पात का रिकार्ड उत्पादन

735. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीनों संयंत्रों में चालू वर्ष के पहले छः महीनों में बिक्री योग्य इस्पात का इतना उत्पादन हुआ है जितना कि पहले कभी नहीं हुआ ;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्गापुर संयंत्रों में भी उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के तीनों इस्पात कारखानों में चालू वित्त वर्ष के पहले छः महीनों में विक्रय इस्पात का औसत उत्पादन इतना अधिक हुआ है जितना अब तक किसी भी वर्ष में इस अवधि में नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). दुर्गापुर इस्पात कारखाने में चालू वित्त वर्ष के पहले छः महीनों में विक्रय इस्पात का उत्पादन गत वर्ष में इसी अवधि के उत्पादन में लगभग 29,000 टन कम था। उत्पादन में कमी के मुख्य कारण मालिक-मजदूर सम्बन्धों का अच्छा न होना, गैस की कमी, दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगाना तथा उपकरण में खराबी होना है।

कोयले पर कल्याण उपकर में वृद्धि

736. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले पर कल्याण उपकर में वृद्धि करने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) उपकर की वर्तमान दर अर्थात् 'पचास पैसे' प्रति टन को बढ़ाकर 'पचाहत्तर पैसे' प्रति मीटर टन करने का प्रस्ताव है और कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 में तदनुसार संशोधन करने के लिए विधेयक शीघ्र ही संसद के सामने लाया जाएगा ।

वायु सेना के अधिकारियों के वेतन और विशेषाधिकारों की विषमता की और वेतन आयोग का ध्यान दिलाना

737. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वायु-सेना की फ्लाइंग विंग और तकनीकी तथा प्रशासनिक विंग के अधिकारियों से वेतनों एवं विशेषा-धिकारों में विषमता की ओर वेतन आयोग का ध्यान दिलाया गया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : जी हां, श्रीमन् ।

श्रमिक अशान्ति

738. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में श्रमिक अशान्ति किस प्रकार की और किस हद तक हुई है ; और इसके सामान्य क्या कारण हैं ;

(ख) इस अशान्ति से निबटने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ; और

(ग) गत वर्ष और चालू वर्ष में श्रमिक अशान्ति के कारण उत्पादन में कितनी हानि हुई ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

बसुआ खान मजदूर संघ, टेंसा के मजदूरों को बर्खास्त करना

739. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 अगस्त, 1972 को मान्यता प्राप्त बसुआ खान मजदूर संघ, टेंसा, के महा मन्त्री सहित सोलह नेताओं को प्रबन्धकों द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या प्रबन्धकों के मजदूर विरोधी रवैये के बारे में सरकार को मजदूर संघ की ओर से कोई पत्र ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बर्खास्तगी के आदेश वापिस कराने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) प्रमाणित स्थायी आदेशों के अधीन, बसुआ खान मजदूर संघ के महा मन्त्री सहित सोलह श्रमिकों को, प्रबन्धकों द्वारा 23-8-1972 को बर्खास्त कर दिया गया था ।

(ख) और (ग). संघ ने, 16 कर्मकारों की पदच्युति और कुछ अन्य वाद-विषयों पर एक औद्योगिक विवाद उठाया । सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) रोड़कोला ने समझौता कार्यवाही संचालित की और समझौता असफल होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जोकि 26 अक्तूबर, 1972 को सरकार द्वारा प्राप्त की गयी थी । रिपोर्ट विचाराधीन है ।

कलकत्ता स्थित पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड के लिये कार्यालय भवन

740. **श्री समर मुखर्जी :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड को कलकत्ता में अपना कार्यालय भवन स्थापित करने के लिए धनराशि दी जाएगी ताकि कार्यालय के लिए प्रति वर्ष लगभग 1 लाख रुपये किराए के रूप में दिया जाने वाला वर्तमान व्यय बचाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड की कार्यकारी पूंजी में कटौती

741. **श्री समर मुखर्जी :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड के लिए कार्यकारी पूंजी के आवंटन में भारी कटौती की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कटौती की गई है और उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). 1971-72 के अन्तर्गत, पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता को कार्यकारी पूंजी के लिए 48 लाख रुपये के ऋण की सहायता दी गई थी जिसमें से चालू वित्तीय वर्ष में 35 लाख रुपये की राशि मंजूर करने का प्रस्ताव है । आवंटन में कटौती के निम्नलिखित कारण हैं । (1) निगम को भारी घाटा हो रहा है और (2) निगम के लिए कुल योजनागत आवंटन 300 लाख रुपये है जिसमें से 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के अन्तर्गत 225 लाख रुपये उपयोग किए जा चुके हैं और 1972-73 और 1973-74 के लिए केवल 75 लाख रुपये बच रहे हैं ।

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड में नये एककों की स्थापना के लिए धनराशि का आवन्टन

742. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड में कतिपय वर्तमान एककों का विस्तार करने और नए एककों की स्थापना हेतु और अधिक धनराशि आवन्टित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) और (ख) सुकुमार इन्जिनिरिंग वर्क्स, बानहुगली के कुछ निर्माण कार्य को पूरा करने तथा मशीनरी खरीदने के लिये "पूंजी परिव्यय" के अन्तर्गत 3.00 लाख रुपये की वृद्धि करने का प्रस्ताव है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Number of Indians Migrated to ariovus Countries on exit from Uganda

744. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) the basic circums tances under which Indians had to leave Uganda and the Number of Indians who migrated to various countries, country-wise :

(b) The facilties provided to them in India and other countries ; and

(c) the reaction of various countries to this exodus from Uganda ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Hon'ble Member's attention is invited to the Statements made by the Deputy Minister and Minister of External Affairs in the Lok Sabha on Agust 11, and September 4, 1972, respectively. These set out the circumstances of expulsion. As on November 7th, 1972, 4377 Indian nationals have come to India. 118 are on their way from Mombasa to Bombay. 306 migrated to the U. K. and Canada as dependents of U. K. passport holders.

(b) In India, liberal customs and import licence concessions have been extended to the repatriates. In addition, they are provided relief assistance which includes a cash allowance, local transport, transit accommodation, medical facilities. railway fares to destinations in India and a journey allowance. Details of amenities in other countries are not available.

(c) No Government is known to have declared support for the conditions under which this exodus from Uganda has taken place.

Air Travel by Prime Minister during 1971 Elections

745. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on air travel by the Prime Minister by I. A. F. helicopters during elections in 1971 ;

(b) the amount out of it, received from the persons indicating the names thereof and the amount still to be recovered ; and

(c) the amount paid or proposed to be paid by the ruling party ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No separate costing is done for the unofficial tours of the Prime Minister by I.A.F. planes/helicopters, but recoveries are made at the rates prescribed under the rules. Bills for an amount of Rs. 4,31,183.27 were referred on the PM's Sectt. for use of I. A. F. helicopters by the Prime Minister during the 1971 Elections.

(b) Out of the above amount, a sum of Rs. 4,07181.69 has already been recovered from various parties as indicated below :

1.	A. I. C. C.	Rs. 3,21,237.59
2.	Ministry of Health and Family Planning.	643.50
3.	D.G.H.S.	47,706.45
4.	Press Information Bureau.	17,163.95
5.	Governor of West Bengal.	247.50
6.	Government of Gujarat.	6,593.60
7.	Government of Rajasthan.	1,573.00
8.	Government of Haryana.	1,909.30
9.	Government of Punjab.	1,476.20
10.	Government of West Bengal.	9,393.10
11.	Newsweek.	1,237.50
		Rs. 4,07,181.69

The balance of Rs. 24,001.58 is still to be recovered, Rs. 9,539.23 from the Government of Assam and Rs. 14,462.35 from the Government of U. P.

(c) A sum of Rs. 3,21,237.59 was payable by the Prime Minister and other members of the Congress Party. The entire amount has b een recovered from the A.I.C.C. and credited to Government account.

B.M.S. Demad for Bonus to Government Employees

746. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the attention of Goverment has been drawn to the demand made by the General Secretary of Bhartiya Mazdoor Sangh that bonus being a kind of honorarium, it should be given to all cetegories of employees including Government employees; and

(b) if so, Government's reaction thereto and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Lobour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Suggestions have been made by some organisations including the B. M. S. that bonus should be given to all categories of employees including Government employees;

(b) It is not proposed to widen the present coverage of the Payment of Bonus Act, 1965.

दुर्गापुर संयंत्र में बजाये सलेम इस्पात संयत्र में स्टेनलैस स्टील बनाने के निर्णय का विरोध

747. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य पार्टियों ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बजाये सलेम इस्पात संयंत्र में स्टेनलैस स्टील बनाने के सरकार के निर्णय के प्रति विरोध व्यक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जबकि मिश्र-इस्पात कारखाने के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा ट्रेड यूनियन के कुछ नेताओं तथा संसदसदस्यों से दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने की विस्तार योजना के प्रोडक्ट-मिक्स में इस कारखाने में बेदाग इस्पात के उत्पादन में वृद्धि न करने के विरुद्ध अभ्यावेदन मिले हैं, सेलम में बेदाग इस्पात के उत्पादन का कोई विरोध नहीं हुआ है। इस मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Escape of Pakistani P. O. Ws. by digging Tunnels from Farrukhabad and other Camps

748. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Pakistani Prisoners of War had dug a long tunnel in Farrukhabad Camp to escape and some of them had actually succeeded in escaping ;

(b) whether Pakistani Prisoners of War had attempted to escape from some other camps also by adopting similar designs in the past also ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in future in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) A tunnel approximately 2.6 metre deep and 47.17 metre long was dug towards Farrukhabad in a POW Camp an Fateh-garh. There is no POW Camp at Farrukhabad. 6 Officers, who had dug this tunnel, managed to escape.

(b) Yes, Sir.

(c) Adequate security measures are in force at all camps.

Exchange of sick and wounded P.O.Ws. between India and Pakistan

749. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the nuuber of sick and wounded Prisoners of War repatriated to Pakistani by India so far ; and

(b) the number of Indian sick Prisoners of War repatriated to India since then ?

The Minister of Defenee (Shri Jagjivan Ram) : (a) 591 including 69 civilians who were under protective custody.

(b) 36, including one civilian.

नई दिल्ली स्थित शरणार्थी कालोनियों में प्लाटों की बिक्री

750. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में नई दिल्ली की विभिन्न शरणार्थी कालोनियों में कितने प्लाटों को बेचा गया है ;

(ख) कितने प्लाटों को अभी तक बेचा नहीं गया है ; और

(ग) किन कारणों से इन प्लाटों को बेचा नहीं गया है अथवा बेचा नहीं जा रहा है और इस सम्बन्ध में भविष्य में सरकार की क्या नीति है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 311 प्लाट ।

(ख) 1106 प्लाट विकसित तथा अविकसित दोनों हैं ।

(ग) विभिन्न पुनर्वास बस्तियों में प्लाटों से सम्बन्धित कार्य को निर्माण तथा आवास मन्त्रालय को हस्तान्तरित करने के बारे में कुछ समय से इस विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है । अब यह निर्णय लिया गया है कि शेष प्लाटों का निपटान, जिसे इस कारण स्थगित कर दिया गया था, फिर से प्रारम्भ कर दिया जाए ।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को तटस्थता संबन्धी मलयेशियायी योजना

751. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तटस्थता के लिये एक योजना पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार का मत है कि दक्षिण-पूर्व एशिया, बड़ी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त शांति क्षेत्र होना चाहिये ।

सीमेंट कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय मजूरी ढांचा

752. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था कि इस वर्ष के अन्त तक अथवा जनवरी, 1973 के प्रारम्भ में एक राष्ट्रीय मजूरी ढांचा तैयार किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कर्मचारियों तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ मजूरी ढांचा तैयार करने के लिए एक समिति बना दी है ; और

(ग) सरकार उसे कब तक अन्तिम रूप देने वाली है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं। तथापि, मजदूरी पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार करने के लिए जुलाई, 1972 में पक्षकारों द्वारा एक संयुक्त मजदूरी परक्रामण समिति स्थापित की गयी थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेलम इस्पात संयन्त्र में पश्चिम जर्मनी का सहयोग

753. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेलम इस्पात संयंत्र को स्थापित करने के लिए पश्चिम जर्मनी का सहयोग मांगने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो पूर्णतः स्वदेशी इस्पात संयंत्र बनाने की पूर्व नीति को बदलने के क्या कारण हैं, और पश्चिम जर्मनी के सहयोग कर्त्ताओं द्वारा क्या शर्तें पेश की गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार उन शर्तों पर सहमत हो गयी है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री **शाहनवाज खां**) : (क) और (ग). जी नहीं। सेलम इस्पात कारखाने के लिए वेदाग इस्पात के उत्पादन हेतु पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म द्वारा विकसित की गई और पेटेन्ट कराई गई प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। प्रोसेस टेकनॉलजी के लिए पश्चिमी जर्मन की फर्म द्वारा रखी गई शर्तों पर बातचीत हो रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयन्त्रों में उत्पादन

754. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में उत्पादन कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां तो कितना और उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). गैर-सरकारी क्षेत्रों में दो सर्वतोमुखी संयन्त्र हैं अर्थात टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० (टिस्को) तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० (इस्को)। टिस्को में इस्पात पिण्डों के उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित है :—

वर्ष	निर्धारित क्षमता (हजार टन)	वास्तविक उत्पादन (हजार टन)
1969-70	2,000	1,708
1970-71	2,000	1,716
1971-72	2,000	1,708
1972-73 (अप्रैल-अक्तूबर,72)	2,000 (पूरे वर्ष के लिए)	946 (अप्रैल-अक्तूबर)

इस्कों के उत्पादन में इन वर्षों में कमी हुई है जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

इस्पात पिण्ड

वर्ष	निर्धारित क्षमता (हजार टन)	वास्तविक उत्पादन (हजार टन)
1969-70	1,000	700
1970-71	1,000	627
1971-72	1,000	617

1971-72 की पहली छमाही में उत्पादन केवल 233,768 टन हुआ। इसका मुख्य कारण संयंत्र तथा उपकरणों की हालत में खराबी आना है, जो प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित कारणों के परिणामस्वरूप हुई थी :—

(क) असंतोषजनक प्रबन्ध ।

(ख) भूत काल में पुरानी मशीनों के बदलने के कार्यक्रम की उपेक्षा ; तथा

(ग) प्रतिस्थापन, मरम्मत तथा साधारण कार्यक्रम की अपर्याप्तता ।

इस स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 14 जुलाई, 1972 से कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है। कारखाने का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकार के हाथ में प्रबन्ध आने के पश्चात उत्पादन में काफी सुधार हुआ है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है :—

	इस्पात पिण्ड (टन)	विक्रेय इस्पात (टन)
जुलाई	23,790	16,899
अगस्त	39,219	29,150
सितम्बर	40,082	33,274
अक्तूबर	42,860	39,234

यंत्रीकरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

755. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यंत्रीकरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां; तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या उक्त सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट की प्रतियां संसद की लाइब्रेरी को दे दी गई हैं।

(ग) सम्बन्धित पक्षों के साथ परामर्श करते हुए रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा किया गया व्यय

756. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेश में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा वर्षवार तथा दूतावास वार अलग-अलग कितना व्यय किया गया ; और

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के बजट प्राक्कलनों पर पाबन्दी लगाने का है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल टी-3710/72]

(ख) जी हां।

बजट को सीमित करके भारतीय मिशनों के खर्चे में बराबर किफायत की जा रही है।

युद्ध बन्दियों का बचकर भाग निकलना तथा नेपाल पहुंचना

757. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कई पाकिस्तानी युद्ध बन्दी बचकर भाग निकले तथा उनमें से कुछ नेपाल पहुंच गये और नेपाल सरकार ने उनको काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास को सौंप दिया ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). अभी तक विभिन्न युद्ध बन्दी शिवरों से 19 युद्ध बन्दी बच निकलने में सफल हुए हैं। उनमें से दो नेपाल पहुंचे हैं तथा नेपाल सरकार ने उनको विमुक्त कर दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार युद्ध बन्दी किसी तटस्थ सीमा में पहुंचने पर स्वतः स्वतंत्र हो जाते हैं। तृतीय जिनेवा सम्मेलन में यह व्यवस्था है कि युद्ध बन्दी जब बन्दी बनाने वाली शक्ति के नियंत्रण क्षेत्र को छोड़ देता है तब उसे सफलतापूर्वक बच निकला समझ लिया जाता है।

मुकदमा चलाने के लिये युद्ध अपराधियों को बंगला देश को सौंपना

758. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार से पाकिस्तान के युद्ध बन्दियों पर मुकदमा चलाने के बारे में अथवा मुकदमा चलाने हेतु उन्हें सौंपने के बारे में, सरकार को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) . भारत सरकार को बंगला देश सरकार से युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने अथवा मुकदमा चलाने के लिए उन्हें बंगला देश को सौंपने के विषय में अब तक कोई पत्र नहीं मिला है ।

लौह अयस्क बोर्ड की स्थापना

759. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री सतपाल कपूर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तथा देश में लौह अयस्क निक्षेपों के लिए केन्द्रीय नीति आयोजना तथा विकास अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए एक गैर सांविधिक तथा गैर-वाणिज्यिक लौह अयस्क बोर्ड इस बीच स्थापित कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके कार्य क्या होंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) सरकार ने लौह अयस्क बोर्ड स्थापित करने का विनिश्चय किया है ।

(ख) बोर्ड की संरचना विचाराधीन है । बोर्ड, लौह अयस्क के लिए नीति निर्धारक और विकास अभिकरण के रूप में कार्य करेंगा और लौह अयस्क के अनुकूलतम उपयोजन को सुनिश्चित करने, लौह अयस्क के निर्यात को प्रोत्साहित करने और अन्य सम्बन्ध विषयों पर संव्यवहार करने के लिए उसके विकास और संरक्षण के लिए समुचित रूप रेखा तैयार करेगा ।

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड के इंजीनियरिंग एककों में श्रम आयोग, पश्चिम बंगाल की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

760. **श्री मोहम्मद इस्माइल :**

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड में इलेक्ट्रिकल एनसिलरी यूनिटों सहित इंजीनियरिंग यूनिटों के कर्मचारियों के पक्ष में श्रम आयुक्त पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिश को क्रियान्वित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) और (ख) : पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

हथकरघा उत्पादन केन्द्रों को चलाने के लिये पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेट को अनुदान

761. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या श्रम और पनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हथकरघा उत्पादन केन्द्रों को बुलाने के लिए पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड को अनुदान देने के बारे में विचार करेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निगम द्वारा उठाए गए घाटे को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) पुनर्वास उद्योग निगम भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है। इसलिए निगम को अनुदान देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। निगम को वर्ष-प्रति वर्ष घाटा हो रहा है और 31-3-1972 तक 335 50 लाख रुपये का कुछ घाटा हो चुका है। इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त की गई कुछ समितियों द्वारा की गई जांच के अनुसार, अधिकांश घाटे का कारण वहां के हथकरघा उत्पादन केन्द्रों की कार्यप्रणालो है। हथकरघा केन्द्रों की सहकारी समितियों में परिवर्तित करने के लिए हथकरघा केन्द्रों के श्रमिकों से पेशकश की गई थी ताकि फैक्टरी यूनिटों के रूप में कार्य कर रहे केन्द्रों पर होने वाले प्रशासन इत्यादि संबंधी स्थायी खर्च की बचत की जा सके और केन्द्रों को उनके उत्पादनों पर दूसरे हथकरघा उत्पादनों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक छूट का लाभ भी मिल सके। श्रमिकों ने इन पेशकशों को स्वीकार नहीं किया। इन यूनिटों को सहकारी समितियों के रूप में बदलने के लिए निगम नए सिरे से एक योजना बनाने का प्रयास कर रहा है।

हुगली डार्किग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड हावडा द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि में गोलमाल

762. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या श्रम और पनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड हावड़ा के प्रबन्धकों ने 15 लाख रुपये के कर्मचारियों के भविष्य निधि के अन्शदान का गम्भीर रूप से गोलमाल किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस माल की जांच करने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

श्रम और पनवास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) . भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा सूचना एकत्रित की जा रही है। वह यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

युगांडा से निष्कासित किए जाने पर ब्रिटिश राष्ट्रीयता वाले एशियाइयों का भारत में प्रवेश

763. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री दिनेशसिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगांडा से आने वाले ब्रिटिश राष्ट्रीयता वाले एशियाइयों का भारत आना सरकार ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ क्या प्रबन्ध निश्चित किए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) और (ख) . भारत सरकार इस पर सहमत हो गई है कि जिन यूनाइटेड किंगडम पासपोर्ट धारियों को यूनाइटेड किंगडम में स्थायी रूप से बस जाने की दृष्टि से अंततः प्रवेश करने को वहां की सरकार ने प्रमाणित कर दिया है, वे, यूनाइटेड किंगडम जाते हुए 'मार्ग में, अपने रिश्तेदारों आदि से मिलने के लिए, भारत होकर जा सकते हैं।

नौसेना शस्त्रास्त्र विभाग के कर्मचारियों को परिवहन संबंधी सुविधाएं देना

764. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापतनम स्थित नौसेना शस्त्रास्त्र डिपो के काफी दूर रहने वाले कर्मचारियों को कार्य पर जाने के लिये समुचित परिवहन की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में केन्द्रीय उपक्रम अपने कर्मचारियों के लिए समुचित परिवहन की सुविधाएं प्रदान करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो नौसेना शस्त्रास्त्र विभाग के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए, जिन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा हैं, बसें, कोच, चलाने की मंजूरी देने के लिए कोई कार्यवाही की जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) नौसेना शस्त्रास्त्र डिपो, विशाखापतनम के कर्मचारियों को डयूटी पर लाने के लिए मोटर गाडियों की व्यवस्था की हुई है ।

(ख) जी हां श्रीमन ।

(ग) नौसेना शस्त्रास्त्र डिपों के कर्मचारियों को अतिरिक्त परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था विचाराधीन है ।

डबोलिन में आई० एन० एस० हंसा पर स्थित भारतीय वायु सेना के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

765. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो या तीन महीने में डबोलिन में आई० एन० एस० हंसा पर स्थित भारतीय वायुसेना के अनेक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गये हैं जिसके परिणामस्वरूप मृत्युएं हो गई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों के सम्बन्धों में कोई जांच की गयी है तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जुलाई 72 से डबोलिन पर स्थित नौसैनिक वायु यानों की तीन मुख्य दुर्घटनाएं हुई हैं इनमें से दो में पाइलटों की मृत्य हो गई थी ।

(ख) जी हां, श्रीमन । प्रत्येक मामले में जांच की गई थी । जिनके निस्कर्ष संक्षिप्त में इस प्रकार हैं ।

(i) 21-7-72 को हुई दुर्घटना (घातक)	नीची उड़ान करते समय पाइलट द्वारा निर्णय करने में गलती ही इसका अधिक सम्भावित कारण था । इस दुर्घटना के लिए किसी व्यक्ति को दोष नहीं दिया गया था ।
(ii) 23-9-72 को हुई दुर्घटना	इस दुर्घटना का अधिक सम्भावित कारण पाइलट द्वारा गलती से फंस गए अनियंत्रित युक्ति चालन से न निकल जाना था । जब पाइलट वायुयान का नियन्त्रण सम्भालने में सफल नहीं हुआ तो उपयुक्त ऊंचाई पर वायुयान को त्यागने का उनका निर्णय उचित था ।
(iii) 11-10-72 को हुई दुर्घटना (घातक)	बोर्ड की कार्यवाही पर विस्तृत रूप से विचार किया जा रहा है । दुर्घटना के वास्तविक कारण का अभी तक पता नहीं चला है ।

कमी वाले क्षेत्रों के लिए संचित भण्डारों से कोयला का हटाया जाना

766· **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के मुहानों पर 'कोकिंग कोयले के भारी भण्डार पड़े हुए हैं जब कि देश के अनेक भागों में कोयले की अत्यन्त कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस अजीब स्थिति के क्या कारण हैं ; और

(ग) कोयले के इन संचित पड़े भण्डारों को उठाने और कोयले की कमी वाले क्षेत्रों में इसकी सप्लाई करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) कोककर कोयला जो केवल धातुकर्मीय उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, के स्टाक को, जिस की यात्रा में ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा निम्न अपक्रय और वैगनों की कमी के कारण, पर्याप्त वृद्धि हुई, उत्पादन को विनियमित करके नियंत्रित किया जा रहा है ।

तथापि, प्रमुखतः परिवहन समस्याओं के कारण, देश के विभिन्न भागों में अन्य प्रकार के कोयले की कमी है।

इस्पात और खान मंत्रालय स्थिति में सुधार लाने के लिए रेल मंत्रालय से निकटवर्ती सम्पर्क स्थापित किए हुए है।

दिल्ली और नई दिल्ली में शरणार्थी कालोनियों में नीलाम किये गये मकानों के भुगतान की वसूली

767. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली स्थित प्रत्येक शरणार्थी कालोनियों में ऐसे कितने मकान हैं जिनके अलाटियों से कुल धन राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ;

(ख) दोषी अलाटियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार की नीति के अनुसार ऐसे मकान की नीलामी अभी तक नहीं हुई है और यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 3,852 मकान। इन मकानों का बस्तीवार विभाजन संलग्न सूची में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या** एल० टी—3711/72]

(ख) बकाया देय के भुगतान के लिए दोषी एलाटियों को नोटिस जारी किए जाते हैं और उनके द्वारा भुगतान न किए जाने की स्थिति में मकानों को वापस ले लिया जाता है और नियमों के अनुसार नीलाम द्वारा उनका निपटान किया जाता है।

(ग) जी, हां। इस प्रकार के मकानों का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और जैसे ही उपलब्ध होगा सभा की मेज पर रख दिया जाएगा।

Blending of High and Low Grade Iron Ordes from Bailadila

768. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether only high grade iron ore of about 65 per cent iron content is being exported at present from Bailadila mines ; and

(b) whether the Ministry will consider the blending of the high grade and low grade ores for purposes of export with a view to conserving high grade ore ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) At present, the grade of ore exported is in the region of 64% to 66%.

(b) As the export of high grade ore is made as per contracts between the Minerals and Metals Trading Corporation and the Japanese Steel Mills, it is not permissible to lower down the specifications of the ore by blending with it the low grade ores under the existing contracts.

जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण रेखा के बारे में राष्ट्रपति भुट्टो का वक्तव्य

769. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रपति भुट्टो के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण रेखा को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा मानने के लिए सहमत नहीं होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं ।

(ख) हमारी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट है ; जम्मू और काश्मीर का पूरा राज्य, जो 1947 में भारत में सम्मिलित हुआ था, भारत का एक अविभाज्य अंग है । शिमला समझौते के अनुसार जम्मू और काश्मीर में नियन्त्रण रेखा नई युद्ध-विराम रेखा है ; जम्मू और काश्मीर का प्रश्न अन्तिम रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच उभय पक्षीय वार्ता द्वारा शांतिमय ढंग से सुलझाया जाएगा ।

लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कार्यकरण पर विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन

770. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ दल ने हाल ही में लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कार्य का निरीक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो पेश किये गये प्रतिवेदन का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(ख) इस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(1) काम के तरीकों को युक्ति संगत बनाना और असैनिक तथा सैनिक स्टोरों की खरीद के काम के लिए समन्वित क्रय संगठन की स्थापना जिससे कि मार्च 1973 के अन्त तक 165 पद कम किए जा सकें और अब अमले की कितनी संख्या है उसे 1974 तक घटा कर 350 की जा सके ।

अमले में कमी करने का काम पूरा हो जाने पर हाई कमीशन के सभी अंगों का 'इंडिया हाउस' और साउथ औड्ले स्टोर में ले आना।

कार्यालय के आकस्मिक व्यय पर और विविध व्यय पर जिसमें टेलीफोन का खर्च वकीलों की फीस आदि भी शामिल है, बेहतर नियंत्रण का सुनिश्चय करने के लिए उपाय लागू करना जिसमें किफायतां पर ध्यान रखा जाएगा।

(2) रहन-सहन के मौजूदा खर्च के आधार पर विदेश भत्ता, प्रतिनिधान अनुदान, रुपया-संवर्ग के कर्मचारियों के स्थाननीय भत्ते की कीमत आदि की दरों को युक्ति संगत बनाना।

(3) स्थानीय अमले के लिए स्वेच्छया सेवा निवृत्ति की योजना को पुन: शुरू करना

(ग) उपर्युक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए जो कदम उठाये गये वे नीचे लिखे अनुसार है :—

(1) इस पर अमल किया जा रहा है और 110 स्थानीय कर्मचारियों को नौकरी से अलग करने के नोटिस दिए जा चुके हैं।

(2) और (3) इन्हें क्रियान्वित किया जा चुका है।

Manufacture of 'Cheeta' Helicopter by India

771. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) Whether an Indian made helicopter named 'Cheeta' has been manufactured ; and

(b) if so, the cost thereof and whether India is self-sufficient to manufacture such kind of helicopters ?

The Minister of state (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). Hindustan Aeronautics Limited have taken up the manufacture of SA-315 helicopter (renamed 'Cheeta') under a licence agreement entered into with M/s. SNIAS of France. Initially the helicopter will be manufactured from imported components and progressively manufacture from raw materials will be taken up. Complete self-sufficiency in the manufacture of the helicopter is difficult to achieve in the forseeable future, but every effort will be made to achieve maximum indigenisation. It will not be in the public interest to disclose the cost of production of aircraft meant for military use.

दक्षिण वियतनाम की अन्तरिम क्रांतिकारी सरकार और जनवादी गणतन्त्र कोरिया को मान्यता प्रदान करना

772. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का दक्षिण वियतनाम की अंतरिम क्रांतिकारी सरकार और कोरिया जनवादी गणतंत्र (उत्तर कोरिया) को मान्यता प्रदान करने का विचार है ; जैसा कि जर्मन जनवादी गणतंत्र के मामले में किया गया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : इस समय ऐसी कोई कार्रवाई सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि जमा न करने वाले दोषी प्रतिष्ठानों को दण्ड देना

773. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवार्य और छूट दिए गए औद्योगिक और गैर औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिन्होंने भविष्य निधि का अपना अंश जमा नहीं किया है, की राज्य वार सूची क्या है ;

(ख) वर्ष 1965-66, 1967-68 और 1971-72 में प्रत्येक प्रतिष्ठानों के मामले में कुल कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) इन में से कितने दोषी प्रतिष्ठानों को दण्ड दिया गया है और प्रत्येक मामले में किस प्रकार का दंड दिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) चूक करने वाले छूट न प्राप्त तथा छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के नाम इस समय उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, एक विवरण, जो उन छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नाम दर्शाता है जो 31-3-1970, 31-3-1971 और 31-3-1972 को भविष्य निधि की बाबत 1 लाख या उससे अधिक रुपयों की सीमा तक के अंशदान की देय राशियों के भुगतान के चूककर्त्ता थे, संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०-3712/72]

(ख) भविष्य निधि अंशदानों की बकाया राशियों के सम्बन्ध में प्रतिष्ठानवार सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है तथापि चूक करने वाले छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की ओर 31-3-1966, 31-3-1968 और 31-3-1972 को भविष्य निधि अंशदानों की बाबत राशि क्रमशः 489.60 लाख रुपये, 816.61 लाख रुपये और 2063.57 लाख रुपये की राशियां बकाया थी।

(ग) अदायगी में चूक करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 में, 1000 रुपये तक के जुर्माने और/या छः महीने तक की कैद की व्यवस्था है। यद्यपि, प्रत्येक मामले में सजा के बारे में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है, तो भी, 1965-66, 1967-68 और 1971 के दौरान ऐसे मामले की संख्या जिनमें दोष सिद्ध हो गया, क्रमशः 1730, 2543 और 2805 थी।

देश के आयुध कारखाने तथा उनका उत्पादन

774. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने आयुध कारखाने हैं ; और

(ख) वर्ष 1971-72 में आयुध कारखानों में कुल कितने मूल्य का उत्पादन हुआ ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) हैवी व्हीकल फैक्टरी, अवाडी तथा वर्क शोधित (खुराक) कारखाना हजरतपुर को शामिल कर के आयुध कारखानों की संख्या 30 है।

(ख) आयुध कारखानों के द्वारा 1971-72 में कुल मूल्य का माल जो जारी किया गया है। 14८ करोड़ रुपए के परास में निर्धारित किया गया है। इस वर्ष के वार्षिक लेखा का बन्द होने तक यह अनन्तिम है।

शिमला संधि के पश्चात पाकिस्तान तथा चीन द्वारा सीमाओं का अतिक्रमण

775. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला संधि पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् पाकिस्तान तथा चीन द्वारा कितनी बार सीमा-रेखा का अतिक्रमण किया गया · और

(ख) क्या उन्होंने किसी क्षेत्र पर कब्जा किया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 2 जुलाई 1972 से, जब कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे, और 9 नवम्बर 1972 तक नियंत्रण रेखा के पार से गोलीबारी के 20 मामले, पाकिस्तानी सेनाओं की घुसपैठ के 39 मामले और वायुसीमा के उल्लंघन के 9 मामले हुए हैं। इस अवधि के दौरान चीनियों द्वारा सीमा उल्लंघन के 3 मामले हुए थे।

(ख) जी नहीं, श्रीमन्।

बंगला देश की अर्थ व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए भारत द्वारा सहायता

776. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश ने अपनी अर्थ व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिये सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो बंगला देश को किस प्रकार की सहायता की पेशकश की गई है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). 3 अगस्त 1972 को लोक सभा प्रश्न सं० 762 के उत्तर में बंगला देश की अर्थ व्यवस्था के पुनर्निर्माण की उसे दी जाने वाली सहायता का विवरण सदन के समक्ष पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 166.40 करोड़ रुपए की राशि दी गई है (जिसमें से 132.80 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में हैं और 33.60 करोड़ रुपए यथा संभव रियायती शर्तों पर ऋण के रूप में है)। लगभग 150 करोड़ रुपए की वास्तविक देयताएं पूरी कर दी गई हैं। इस आकार के सामान का सामयिक उपयोग दोनों देशों में कारगर प्रशासनिक प्रबन्धों के कारण सम्भव हो सका है। चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक बंगला देश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए 200 करोड़ रुपए की जो बजट व्यवस्था है, उसमें से अनिर्धारित शेष राशि का उपयोग करने पर दोनों सरकारें आजकल विचार कर रही हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतन

777. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र और हैवी इन्जीनियरी कारपोरेशन, रांची संयन्त्र के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनका वेतन 350 रुपये प्रतिमास से कम है ; और

(ख) उक्त संयन्त्रों के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो छोटानागपुर क्षेत्र के हैं और जिनका वेतन 350 रुपये प्रतिमास से कम है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) ; (क) बोकारो स्टील लिमिटेड तथा भारी इन्जीनियरिंग निगम, रांची के कारखानों में 350 रुपए मासिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 15,373 तथा 13,141 है।

(ख) क्षेत्र-वार नौकरियों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

मैसर्स इंडस्ट्रियल केबल्स (इण्डिया) लिमिटेड, राजपुरा पंजाब, द्वारा बोनस का भुगतान

778. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स इडस्ट्रियल केबल्ज (इण्डिया) लिमिटेड, राजपुरा, पंजाब ; जीवनतारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ने अपने वर्तमान कर्मचारियों को 14 प्रतिशत और भूतपूर्व कर्मचारियों को केवल 4 प्रतिशत बोनस का भुगतान किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस फर्म के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) सूचना उपलब्ध नहीं है। यह विषय राज्य क्षेत्राधिकार में आता है।

विभिन्न सैक्टरों में भारतीय तथा पाकिस्तानी सेनाओं के बीच मुठभेड़

779. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन मास के दौरान भारत-पाक सीमा पर विभिन्न क्षेत्रों में भारत-पाक सेनाओं के बीच कोई मुठभेड़ हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) भविष्य में दोनों देशों के सैनिकों के बीच ऐसी मुठभेड़ों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) गत महीनों के दौरान केवल एक मुठभेड़ हुई है। यह 30-9-1972 को कश्मीर में राजौरी सैक्टर में हुई जब पाकिस्तानी सैनिक हमारी ओर नियंत्रण रेखा के अन्दर घुसे परन्तु हमारे सैनिकों द्वारा ललकारने पर वापस हो गये। बाद में फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने यह स्वीकार किया कि उसके सैनिकों ने नियन्त्रण रेखा पार कर ली थी और घटना पर खेद प्रकट किया।

(ग) ऐसे झगड़े तथा मुठभेड़ों को स्थानीय कमाण्डरों के बीच फ्लैग मीटिंगों अथवा उच्च स्तर पर टेलीफोन सम्पर्क द्वारा नियन्त्रित करना होता है।

गुजरात तथा अन्य राज्यों में सैनिक स्कूल

780. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में क्षत्रियों तथा लड़ाकू जातियों की संख्या बहुत अधिक है ;

(ख) गुजरात में तथा अन्य राज्यों में राज्यवार रेजिमेंटल बायज स्कूल तथा सैनिक स्कूलों की संख्या कितनी है ; और

(ग) गुजरात में और अधिक रेजीमेंटल बायज स्कूल तथा सैनिक स्कूल खोलने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) राज्य की जाति और लड़ाकू जातियों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। सशस्त्र सेनाओं के लिए लड़ाकू और गैर-लड़ाकू जातियों के भेदभाव को मान्यता नहीं दी जाती है।

(ख) गुजरात राज्य में एक सैनिक स्कूल स्थित है और इसी प्रकार 16 अन्य राज्यों में से प्रत्येक में एक एक सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। रेजिमेंट स्कूलों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) सैनिक स्कूल प्रायः राज्य सरकारों के कहने पर खोले जाते हैं और गुजरात में दूसरा सैनिक स्कूल खोलने के लिये गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। रेजिमेंट स्कूलों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

1. सैनिक स्कूल (महाराष्ट्र)	सतारा
2. सैनिक स्कूल जिला करनाल (हरियाणा)	कुंजपुरा
3. सैनिक स्कूल डाकघर हरियाना जामनगर (गुजरात)	बालाचडी
4. सैनिक स्कूल, (पंजाब)	कपूरथला
5. सैनिक स्कूल (राजस्थान)	चितौड़गढ़

6. सैनिक स्कूल सब ग्राफिस कुरूकौंडा जिला विशाखापटनम (ग्रांध्र प्रदेश)	कुरूकौंडा
7. सैनिक स्कूल त्रिवेन्द्रम (केरल)	काजाकुटम
8. सैनिक स्कूल (उड़ीसा राज्य)	भुवनेश्वर
9. सैनिक स्कूल डाकघर मंगूरिया जिला पुरूलिया (पश्चिम बंगाल)	पुरूलिया
10. सैनिक स्कूल उदमलपेट तालुक जिला कोयम्बतूर (मद्रास) तामिलनाडू	अमरावति नगर
11. सैनिक स्कूल (मध्य प्रदेश)	रीवा
12. सैनिक स्कूल जिला हजारीबाग (बिहार)	तिलैया डैम
13. सैनिक स्कूल (मैसूर)	बीजपुर
14. सैनिक स्कूल (ग्रसम राज्य)	ग्वाल पारा
15. सैनिक स्कूल डाकघर घोड़ाखाल जिला नैनीताल (उ०प्र०)	घोड़ाखाल
16. सैनिक स्कूल नागरोता (जम्मू)	जम्मू
17. सैनिक स्कूल इम्फाल (मणिपुर)	मणिपुर

मिश्र द्वारा भारतीय परामर्शदाताओं तथा प्रशिक्षकों की मांग

781. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री राज सिंह देव :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र ने भारत से सैनिक परामर्शदाता तथा प्रशिक्षक माँगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या मिश्र की सशस्त्र सेनाओं के निमन्त्रण पर भारतीय वायुसेनाध्यक्ष ने काहिरा का दौरा किया था ; और

(घ) यदि हां, तो दौरे का क्या उद्देश्य था तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) चीफ ग्राफ एयर स्टाफ ने अपनी इच्छा से मिश्र अरब गणराज्य का ब्रिटेन जाते हुये उस देश के वरिष्ठ सैनिक तथा वायु सैनिक अफसरों से सम्पर्कों को नवीन करने के लिये दौरा किया था ।

कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियन्टिड सीलीकन का निर्माण

782. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में अभी तक कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियन्टिड सीलीकन स्टील चादरों का आयात हो रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने अनुसन्धान तथा विकास विभाग की अध्यक्षता के लिये एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया है और क्या उसे कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियन्टिड स्टील चादरों के उत्पादन की जिम्मेदारी सौंपी जायेंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियन्टिड स्टील चादरों का निर्माण शुरू करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हाँ। नीति के अन्तर्गत कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियन्टिड सिलिकांन इस्पात की चादरों के आयात की अनुमति है, क्योंकि इस समय देश में इस किस्म के इस्पात का उत्पादन नहीं हो रहा है।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने एक अधिकारी को महाप्रबन्धक, अनुसंधान और विकास नियुक्त किया है। उसे कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियन्टिड इस्पात की चादरों के उत्पादन का कारखाना स्थापित करने का उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया है। फिर भी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियन्टिड इस्पात की चादरों के उत्पादन के लिये एक कारखाना स्थापित करने का विचार है। यह कारखाना राउरकेला इस्पात कारखाने का ही एक अंग होगा। इस समय इस प्रकार के इस्पात के प्रमुख उत्पादकों के साथ तकनीकी सहयोग के लिए बातचीत की जा रही है।

भारत-अमरीकी सम्बन्ध

783. **श्री एस० सी० सामन्त :**
श्री समर गुह :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत भारत-पाक युद्ध के दौरान बिगड़े सम्बन्धों को सुधारने की दिशा में भारत सरकार और अमरीका की सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा प्रयास किये हैं ; और

(ख) क्या भारत और अमरीका के बीच सम्बन्ध सामान्य होने की निकट भविष्य में कोई आशा है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) वाशिंगटन तथा नई दिल्ली दोनों स्थानों पर दोनों सरकारों के बीच राजनयिक माध्यम से सम्पर्क किए गए हैं।

(ख) अमरीकी चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद अब यह आशा की जाती है कि भारत-अमरीकी सम्बन्ध सुधरेंगे।

दुर्गापुर स्थित अलाय स्टील प्लांट के कार्यकारी संघ से प्राप्त मांग-पत्र

784. **श्री रेणुपद दास :**

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दुर्गापुर स्थित अलाय स्टील प्लांट के कार्यकारी संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें मुख्यत: क्या-क्या मांगें रखी गई हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) अलाय स्टील प्लांट एग्जेक्यूटिव से दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने के विस्तार के बारे में कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। मुख्य मांग यह है कि सरकार को विस्तार योजना के अंग के रूप में बेदाग इस्पात के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि न करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। एसोसिएशन को यह बता दिया गया है कि सभी प्रोद्योगिक और आर्थिक पहलुओं को देखते हुए विस्तार-योजना के लिए प्रोडक्ट मिक्स का फैसला किया गया है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में बर्मा और श्रीलंका के विस्थापितों का पुनर्वास

785. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा और श्रीलंका के अनेकों विस्थापितों का अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह में अभी पुनर्वास किया जाना शेष है और यदि हां, तो ऐसे परिवारों की संख्या क्या है ;

(ख) उन्हें अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में बसाने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनका पुनर्वास करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : अन्डमान निकोबार द्वीपों में 1971-72 में 75 प्रत्यावासी परिवारों को और 1972-73 में 19 परिवारों को कारोबार ऋण दिये गये थे। ऋण के लिये 87 प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं। 39 प्रत्यावासी परिवारों को रबड़ अनुसन्धान-व-विकास केन्द्र, दक्षिण अन्डमान में और कच्छल द्वीप में रबर बागा में रोजगार पर लगाया गया है।

अण्डमान निकोबार द्वीपों में अन्य योग्य पात्र प्रत्यावासी परिवारों के पंजीकरण के बारे में कार्यवाही की जा रही है। पंजीकरण के बाद ही संख्या ज्ञात होगी और वर्तमान आदेशों के अनुसार गुणावगुण के आधार पर पुनर्वास सहायता दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

बोकारो इस्पात संयंत्र का [कार्यकरण

786. श्री पी० बेंकटासुब्बया : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयन्त्र ने कार्य करना आरम्भ कर कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस परियोजना को लाभप्रद ढंग से चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य रन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम धमन भट्टी समूह में 3 अक्तूबर 1972 से उत्पादन शुरू हो गया था ।

(ख) कारखाना की धमन भट्टी का आयतन 2000 घन मीटर है और इसकी दैनिक उत्पादन क्षमता 2640 टन समाक्षारीय लोहा तैयार करने की है ।

यह भारत में अब तक चालू की गई धमन भट्टियों में सबसे बड़ी है । 69 भट्टियों की एक कोक ओवन बैटरी, जिसमें उपोत्पादों को प्राप्त करने की सुविधाएं हैं, तापीय बिजली घर की एक 55 मेगावाट का जेनेरेटर, कच्चे माल की संभाल सम्बन्धी यंत्र तथा सिन्टरींग संयंत्र का बैंड सं० 1 भी काम कर रहे हैं ।

(ग) इस्पात कारखानों में जेस्टेशन सम्बन्धी अवधि लम्बी होती हैं । कुछ साल तक परिचालन के पश्चात ही बोकारो इस्पात कारखाना लाभप्रद ढंग से कार्य करने लगेगा ।

युगांडा से एशियायी मूलक लोगों के निकाले जाने के निर्णय से अन्य अफरीकी राष्ट्रों में भी ऐसी ही भावनाओं का उत्पन्न होना

787. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगांडा सरकार के एशियाई मूलक लोगों को निकालने के निर्णय से अन्य अफ्रीकी राष्ट्रों जिनमें, भारतीय मूलक लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, ऐसी ही भावनायें उत्पन्न हो गई हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान केन्या के उप-राष्ट्रपति के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जो 23 अक्तूबर, 1972 के फाइनेन्शियल ऐक्सप्रेस में छपा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने यह वक्तव्य देखा है । अफ्रीकी राज्यों की प्रवृत्ति के विषय में इस सामान्य वक्तव्य को प्रमाणित करने के लिए उनके पास कोई सूचना नहीं है ।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिये राहत सामग्री के बारे में आक्सफाम तथा अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास की शिकायत

788. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 तथा 10 अक्तूबर, 1972 के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बंगला देश के शरणार्थियों के लिये दया स्वरूप भेजी गई सप्लाई दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता के बाजारों में खुले रूप से बिकती पाई गई थी ;

(ख) क्या आक्सफाम तथा अन्तर्राष्ट्रीय रैडक्रास से शिकायतें मिलने के पश्चात् सरकार ने कलकत्ता की एक परिवहन कम्पनी के अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है जिन पर आरोप था कि उन्होंने उक्त सप्लाई को बाजार में बेचा था ; और

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई जांच की है कि क्या उक्त सप्लाई को बाजार में लाने के सम्बन्ध में उक्त परिवहन फर्म की सरकारी स्तर पर सांठ-गांठ रही है ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें किस प्रकार का दण्ड दिया गया और उनके कब्जे से कितनी मात्रा में तथा कितनी लागत का सामान पकड़ा गया ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) पत्रों में कुछ समाचार छपे हैं जिनमें यह आरोप लगाया है कि भारतीय रेडक्रास सोसाइटी और ओक्सफाम द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों के लिए जो राहत सामग्री प्राप्त की गई थी वह बाजार में पहुंच गई है। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के अध्यक्ष ने इन आरोपों से इनकार किया है। तथापि, ओक्सफाम के राहत सामान के बाहर पहुंचने के आरोपों तथा कुछ और शिकायतों के बारे में छान-बीन की जा रही है ।

(ख) और (ग). जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

युगांडा से जबरन निकाले गये भारत मूलक व्यक्तियों के आगमन पर इंगलैण्ड में हलचल

789. **श्री पीलू मोदी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 सितम्बर, 1972 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि युगांडा के राष्ट्रपति के निर्णय के बाद इंगलैण्ड में भारत मूलक व्यक्तियों के विरुद्ध हलचल है ;

(ख) क्या ब्रिटेन के लोग इसलिये चिन्तित है क्योंकि युगांडा से निकाले जा रहे भारत मूलक लोग बड़ी संख्या में वहां चले जायेंगे ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को ऐसे किसी साक्षय की जानकारी नहीं मिली है जिससे इस कथन की पुष्टि होती हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लन्दन में आयोजित फार्नवोरी एयर शो में भारत द्वारा भाग लिया जाना

790. **श्री पीलू मोदी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने लन्दन में हाल ही में आयोजित फार्नवोरी एयर शो में भाग लिया था ;

(ख) क्या भारत ने विदेशी कार्यकर्ताओं को सस्ते मूल्यों पर नेट विमान बेचने का प्रस्ताव किया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). हमारे द्वारा नेट वायुयान को बेचने की पेशकश नहीं की गई थी, किन्तु वायुयान की खरीदने के सम्बन्ध में कुछ पूछताछ की गई है, जो अभी विचाराधीन है।

युगांडावासी ऐशियाई लोगों के निष्कासन के बारे में ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री का भारत के प्रधान मन्त्री को पत्र

791. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के प्रधान मंत्री एडवर्ड हीथ ने राष्ट्रपति अमीन द्वारा निष्काषित किये जा रहे उगांडा-वासी ऐशियाई लोगों के बारे में भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का एक पत्र लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र का संक्षिप्त विवरण क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में दोनों शासनाध्यक्षों के बीच सम्पर्क कायम है। इस तरह के पत्राचार के विवरण को गोपनीय माना जाता है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादन में कमी

792. **श्री एस०ए० मुरुगेनेन्तम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन निर्धारित क्षमता से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र में कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) कारखाने में कम उत्पादन के कई कारण है जिनमें मालिक-मजदूर सम्बन्धों का लगातार खराब रहना एक मुख्य बाधा रही है। दूसरे कारणों में कोक ओवन और ओवन उपस्करों की असन्तोषजनक हालत गैस की कमी, उपस्करों में खराबी आना और अभी हाल में दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली पर लगाए गए प्रतिबन्ध शामिल है।

(ग) कई उपायों द्वारा उत्पादन में सुधार करने के लिए यथा सम्भव प्रयत्न किए जा रहे है यथा—कोक ओवनों की मरम्मत, कोक ओवन गैस की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक इंधनों का प्रयोग खुले मुंह की भट्टियों में यथा सम्भव सीमा तक आक्सीजन लैंसिंग का प्रयोग, उपस्करों की उपलब्धि को बेहतर बनाने के विचार से अच्छा रख-रखाव, पूंजीगत कार्यक्रम को तेजी से पूरा करना और फालतू पुर्जों, उष्मसह और दूसरी आवश्यक सामग्री का योजनानुसार प्राप्ति। मालिक मजदूर सम्बन्धों के क्षेत्र में औद्योगिक झगड़ों और कठिनाइयों का तेजी से निपटाने और उत्पादन को अधिकतम करने में मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने हेतु एक त्रि-स्तरीय सलाहकार मशीनरी की स्थापना की गई है।

हाई स्पीड इस्पात की मांग तथा उत्पादन

793. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाई स्पीड इस्पात की अनुमानतः कितनी मांग है ;

(ख) इस समय होई स्पीड इस्पात का उत्पादन कितना है ; और

(ग) हाई स्पीड इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) यद्यपि केवल हाई स्पीड़ इस्पात की वर्तमान मांग का सही अनुमान नहीं लगाया गया है, मोटे तौर पर इसे 1800 टन के लगभग आंका गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1971-72 में एक हाई स्पीट इस्पात का उत्पादन 433 टन था। चूंकि वर्ष 1969-70 और 1970-71 में उत्पादन क्रमशः 189 और 173 टन था, घरेलू उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। हाई स्पीड इस्पात का आयात यथोपयुक्त ढंग से विनियमित किया जा रहा है ताकि देश में इसके अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके।

बैपटिस्ट मिशन प्रेस में सेन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन से सम्बद्ध संघ को समाप्त करने का षडयन्त्र

794. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अक्तूबर, 1972 के एक बंगाली दैनिक 'सत्ययुग' में एक फोटोस्टैट प्रति सहित प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है जिससे बैपटिस्ट

मिशन प्रैस में सेन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन से सम्बद्ध संघ को समाप्त करने के षडयंत्र का स्पष्ट पता लगता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय के पास इस मामले में कोई सूचना नहीं है ।

पुनर्वास उद्योग निगम में उत्पादन योजना

795. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपक्रमों के कर्मचारियों समेत समस्त सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों को उपदान देने के लिये निदेश जारी किये हैं किन्तु पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड ने इस संबन्ध में अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारणहैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972, 16 सितम्बर, 1972 से लागू हुआ है । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियम बना लिए गए हैं और उन्हें 16 सितम्बर, 1972 के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित किया गया है । पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता, जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन, एक कम्पनी है, अपने कर्मचारियों के लिए विधि के अनुसार उपदान योजना बनाएगा ।

हिमाचल प्रदेश में एक सैनिक स्कूल खोलना

796. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश एक सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये कोई स्थान चुन लिया गया है ; और

(ग) उक्त सैनिक स्कूल संभवतया कब तक खोल दिया जायगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार से उस राज्य में एक सैनिक स्कूल खोलने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार ने सैनिक स्कूल खोलने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए तथा कुछ प्रारम्भिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक समिति का गठन किया है । राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय किया जायगा ।

भारत-पाक युद्ध के वीरता पारितोषक विजेयताओं को अनुग्रहात्मक अनुदान की मंजूरी

797. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों ने 1971 के भारत पाक युद्ध के वीरता पारितोषिक विजेताओं को अनुग्रहात्मक अनुदान देने की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक पारितोषिक के लिए अनुदान किस रूप में और कितना दिया गया है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य के वीरता पारितोषक विजेताओं के नाम क्या हैं और उन्हें राज्य सरकारों द्वारा कितना अनुदान दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर दिसम्बर 1971 में पाकिस्तान के विरूद्ध संक्रियाओं के संबन्ध में शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वालों को उनके द्वारा प्राधिकृत एक मुश्त नकद अनुदानों को दर्शात हुए एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल-टी-3713/72] नेपाल में बसे हुए शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वालों को केन्द्र सरकार द्वारा परमवीर चक्र के लिए 15,000 रु०, महावीर चक्र के लिए 10,000 रु० तथा वीर चक्र के लिए 5,000 रु० की दर पर एकमुश्त पुरस्कार दिए जाते हैं क्योंकि ये कार्मिक किसी राज्य सरकार । संघ क्षेत्र प्रशासन से कोई एक मुश्त नकद पुरस्कार प्राप्त नहीं करते हैं ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

सेना में हिमाचल रेजीमेंट बनाने का अनुरोध

798. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना में हिमाचल रेजिमेंट बनाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री श्री (जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) इस अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया ।

युगांडा में भारतीय नागरिकों के जान व माल की सुरक्षा

799. **श्री श्री किशन मोदी** :
श्री के० लकप्पा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने युगांडा सरकार से 5,000 भारतीय नागरिकों के जान व माल की सुरक्षा का आश्वासन देने को कहा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा युगांडा में सैनिक क्रांति के समाचारों के कारण किया गया था . और

(ग) इसके प्रति युगांडा सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) उगांडा से गैर नागरिक एशियाइयों को निकालने के आदेशों में की घोषणा होने के समयसे ही, भारत सरकार ने उगांडा सरकार से निरंतर यही कहा है कि भारतीय नागरिक जब तक उगांडा में हैं, उसके जीवन और परिसम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी उगांडा सरकार की है। अब तक किसी भी भारतीय की मृत्यु होने की सूचना भारत सरकार को नहीं मिली। भारतीय नागरिकों द्वारा उगांडा में छोड़ी गई परिसम्पतियों का उचित व न्याय संगत शर्तों पर प्रत्यावर्तन और उनकी वसूली के लिए भारत सरकार प्रत्यन करती रहेगी।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में मजदूरों पर आक्रमण

800. **श्री रोबन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में गुण्डों द्वारा ठेकेदारों के मजदूरों पर आक्रमणों के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि ठेकेदार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों के साथ मिलकर तथा गुण्डों की सहायता से कारखाने के भीतर मजदूरों पर आक्रमण कर रहे है और उनको धमका रहे हैं और मजदूरों को बिना कारण गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के आक्रमणों की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कारखाने के अन्दर ठेकेदारों पर गुण्डा तत्वों द्वारा हमलों की कोई रिपोर्ट नहीं मिली हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ऊनी पुराने कपड़ों (चिथड़ों) के आयात के कथित घौटाले के बारे में चर्चा और दिल्ली विश्वविद्यालय को बन्द करने के बारे में स्थगन प्रस्ताव

RE. DISCUSSION ON ALLEGED SCANDLE ABOUT INGORT OF WOOLLEN RAGS AND ADJOURNMENT MOTION ON THE GLOSURE OF THE DELHI UNIVERSITY

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने की सूचना, श्री श्री किशन मोदी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरी एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक अनुरोध करने के लिए आपकी आज्ञा मांगी है। ऊनी चिथड़ों का घोटाला एक राष्ट्रीय घोटाला बन गया है। इस पर हम विस्तृत चर्चा चाहते हैं। मैंने इसके लिए सूचना भी दे रखी है। इसके साथ

विदेश व्यापार मन्त्री, वित्त मन्त्री, सीमा शुल्क विभाग और राज्य व्यापार निगम का भी संबन्ध है। केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से यह मामला स्पष्ट होने वाला नहीं है। मैं आपका आश्वासन चाहता हूं कि इस विषय पर सदन में विस्तृत चर्चा की अनुमति दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि कार्य मंत्रणा समिति समय नियत करे तो मुझे प्रसन्नता होगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दिया जाना चाहिये।

श्री राम० सहाय पांडे (राजनन्दगांव) : समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। क्या चर्चा उचित होगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा निवेदन है कि इस पर हम कार्य मन्त्रणा समिति में चर्चा कर सकते हैं। माननीय सदस्य भी उस समिति में हैं।

श्री राम सहाय पांडे : यह बहुत ही गम्भीर मामला है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट यदि हमारे समक्ष हो तो अच्छा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने दिल्ली विश्वविद्याल को बन्द होने के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी परन्तु आपने उसके लिए अनुमति नहीं दी। क्या आप उस विषय पर चर्चा के लिए किसी अन्य प्रस्ताव की अनुमति प्रदान करेंगे ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वक्तव्य देना चाहिये। तत्पश्चात हम सदन में उस पर चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो उन्हें बैठ जाना चाहिये।

राजधानी की स्थिति पर गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री ने वक्तव्य भी दिया था। विद्यार्थियों ने मुख्य कार्यकारी पार्षद के कार्यालय

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पुलिस द्वारा उन्हें पीटा जा रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन पर 20 बार अश्रु गैस फेंकी गई हैं। उन्हें निर्दयता से पीटा गया है

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय के वक्तव्य के पश्चात हम विचार करेंगे कि और आगे चर्चा आवश्यक है अथवा नहीं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस समय भी विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पुलिस ने रामजस कालेज के होस्टल में प्रवेश किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विद्यार्थियों को निर्दयतापूर्वक पीटा जा रहा है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Eiher Calling Attention should be admitted or we should be permitted to put questions on Minister's Statement.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री के वक्तव्य पर मैं प्रश्न पूछने पर आपत्ति नहीं करूंगा। परन्तु इस सम्बन्ध में जो नियम हैं मुझे उनका भी ध्यान रखना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तब हम स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : नियमों के होते हुए भी आप परम्परा तो कायम कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मन्त्री महोदय का वक्तव्य नहीं चाहते तो मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : नियमों के अनुसार मन्त्री महोदय स्वतः वक्तव्य दे सकते हैं और हम उस पर प्रश्न नहीं पूछ सकते।

दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में हमने स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, दोनों की सूचना दी है। आपके आदेश के अनुसार मन्त्री महोदय को वक्तव्य देना है। परन्तु उनका नाम कार्यसूची में नहीं है। अतः इस गम्भीर स्थिति पर विचार करने के लिए मैं अपना स्थगन प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल यह कर सकता हूं कि यदि मन्त्री महोदय वक्तव्य नहीं दे रहे तो मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा विचार है कि देश की राजधानी के विश्वविद्यालय में स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो चुकी है विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस को बुलाया गया है। मेरे विचार से यह सदन की कार्यवाही को स्थगित करके विचार करने के लिए उचित विषय है। हम इस बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहिले ही बताया है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति पर ही सदस्य प्रश्न पूछने के अधिकारी हैं। इसीलिए मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय किया है।

श्री समर गुह : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। पहले कुछ अवसरों पर भी एक ही दिन एक से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। अतः मेरा सुझाव है कि आज सायं काल के लिए दस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये। इसके पूर्व उदाहरण भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है में इस बार ऐसा नहीं कर सकता। इस बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रश्न पूछने वाले सदस्य अकेले थे परन्तु अब पांच सदस्य हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ऊनी चिथड़ों के नाम पर आयात किये गये ऊनी कपड़ों की खुले बाजार में बिक्री कथित समाचार

Shri Shri kishan Modi (Sikar) : Sir, I call the attention of the Minister of Foreign Trade to the following matter of urgent public importance and I reguest that may make a statement thereon.

"Reported leakage into open market of woollen garmentr imported as rags."

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : बुने हुए कपड़ो सहित ऊनी वस्तुओं के निर्यात के बदले में ऊनी चीथड़ों का आयात जिस विनियम के अन्तर्गत अनुमत है वह मई 1968 से लागू है। वस्तुतः इसी प्रकार का विनियम उससे पहले भी लगभग एक दशाब्दी के लिए जून 1966 तक लागू रहा और भारतीय रुपये का अवमूल्यन होने पर, जो 6 जून 1966 को किया गया था, ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। मई 1968 से इस योजना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे देश में चीथड़ों के पहले से अधिक मात्रा में आयात को सुविधा हो। मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि चीथड़ों की जो खेपें मुक्त कर दी गई हैं या पकड़ी गई हैं या गोदियों में निर्बाधिता के लिए पड़ी हुई हैं उन खेपों का आयात मई 1968 में घोषित योजना के अन्तर्गत किया गया है। मई 1968 योजना में एक-मात्र परिवर्तन 11 मई, 1972 से किया गया था, जब काफी प्रतिबन्ध लगाये गये। उस तारीख से ऊनी चीथड़ों के आयात की अनुमति केवल घटिया कम्बलों के निर्यातकों को दी गई थी। घटिया कम्बलों तथा अन्य ऊनी माल के सामान्य मात्रा में निर्यात को देखते हुए, देश में चीथड़ों के समग्र आयात में वास्तव में काफी कमी हो जायेगी।

2. मई 1968 से मई 1972 तक चीथड़ों के आयात से सम्बन्धित नीति यद्यपि अपरिवर्तित रही है, फिर भी गत एक-आध वर्ष में अपेक्षाकृत अधिक आयात हुए हैं। ऐसा तीन कारणों से हुआ प्रतीत होता है। पहले, मई 1971 के बजट में कच्ची ऊन या चिक्कट ऊन पर 40 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया था। दूसरे, एक वस्तु के रूप में कच्ची ऊन की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में विगत 6 महीनों में तेजी से वृद्धि हुई है जो लगभग ढाई गुनी है। तीसरे, ऊनी उत्पादों के निर्यात 1969-70 के मुकाबले में 1971-72 में 30 प्रतिशत से अधिक मूल्य के बढ़े हैं जिससे उस मात्रा तक प्रतिपूरक आयात बढ़े। इन कारणों से निर्यातकों में पहले से अधिक मात्रा में चीथड़ों का आयात करने की प्रवृत्ति आ गई।

आपको याद होगा कि इस पूरी अवधि में प्रतिपूरक लाइसेंस निम्नलिखित अनुमत विकल्पों के लिए दिए जाते रहे हैं: "कच्ची ऊन भारत में साफ किए गए वूल टाप्स/घटिया चीथड़े/वूल वेस्ट"।

हां, दुर्भाग्य से, इस प्रवृति में हमारे कुछ लोगों की हेर-फेर करने की प्रवृति भी शामिल हो गई है और चीथड़ों को फाड़ने, गार्नेट करने और धागे के रूप में कातने के बाद कच्चे माल के रूप

[श्री एल० एन० मिश्र]

में उपयोग में लाने के लिए उन का आयात करने की अपेक्षा उन्होंने इस्तमाल किए हुए पहनने के काबिल कपड़ों का आयात किया और ये कपड़े कारखानों में पहुंचने की बजाय बजार में पहुँच गए हैं।

3. चूंकि इस मामले में सीमा शुल्क, आयात व्यापार नियन्त्रण तथा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन अन्तर्ग्रस्त हैं, अतः इस मामले को विस्तृत जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का विनिश्चय किया गया है जिसमें सम्बन्धित अधिकारियों की सहापराधिता की सम्भावना सहित इस समस्या के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी।

Shri Shri Kishan Modi : It is a matter of pride for our country that woollen Industry at Ludhiana is producing quality goods and exporting the same. One lakh workers are employed there. In order to meet the loss due to export, they are given replenishment licence. This resulted in an the increase in exports and consequently more replenishment licence were given. Clever people took advantage of the opportunity and imported wearable Terylene and woollen clothes in the name of rags.

It is strange that much clothes were cleared by the customs. These Import licences were given as a help to Ludhiana Industry, but these 'rags' reached in the market instead of the woollen Industry. Production has stopped and off take of finished goods is also hampered because people are purchasing cheaper garments instead. Who is responsible for this loss to the Industry and to the exchequer due to changing of less customs Duty? It is good that C.B.I. enquiry has been instituted to fix the responsibility in this regard. May I know whether Government would take stern action against importers?

Government should also take care that the action being taken by them does not effect Ludhiana Industry in an adverse manner. Government should see to it that those responsible for this get proper punishment.

Shri L. N. Mishra : No douht, it is a serious matter and the Government has expressed its concern. Government does not want to come in the way of Ludhiana Industry. The Industry has entered into huge export commitments and they have to be fulfilled. But it has also to be seen that action is taken against those who violated these rules. Licences were given for the import of 'rags' and not for other things.

Three Departments, *viz.* Foreign Trade, Customs and S.T.C. were involved in the When information in this regard was received in the Foreign Trade Ministry, we contacted the Finance Ministry who in turn contacted the customs. The Customs Department orgas nised raids at certain places and goods worth about Rs 2.75 crores have been seized During these raids, other violations much as over-invoicing have a'so come to light. It is true that exports have to be increased ; but Government can not help those who violate rules, Care would be taken to see that innocent parties do not suffer S.T.C. has informed that only 12 or 13 parties are concerned with this. It is an unfortunate happening and those who are found guilty would be dealt with severly.

श्री एस० ए० कादर (बम्बई मध्य दक्षिण) : यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने यह स्वीकार किया है कि इस घोटाले में कोई गोलमाल है। इस प्रकार की कई बातें घटित होती हैं, परन्तु सामने नहीं आपाती है। सामने तो यह बातें तभी आती है जब बीच में कोई आपसी झगड़ा उठ खड़ा होता है।

इस घोटाले में पांच एजेंसियों का सम्बन्ध है, नामतः, लाइसेंस कार्यालय, वित्त मन्त्री तथा सीमा शुल्क विभाग, राज्य व्यापार निगम तथा आयातक। सबसे पहले हमें राज्य व्यापार निगम

के योगदान के सम्बन्ध में जाँच करनी है। समाचार पत्रों में इस पर अनेक आरोप लगाये गए हैं।

माननीय मंत्री ने यह कहा है कि राज्य व्यापार निगम पत्र-व्यापार और खरीदारी करता है लेकिन इसमें यह लिखा गया है जि पार्टियां पत्र-व्यवहार कर सकती हैं और खरीदारी भी कर सकती हैं और राज्य व्यापार निगम को केवल हस्ताक्षर करने की ही आवश्यकता है।

राज्य व्यापार निगम का गठन बिचौलियों को समाप्त करने के लिये किया गया है। राज्य व्यापार निगम जिस प्रकार अब काम कर रही हैं इससे तो यह विदित होता है कि एक और बिचौलिये की वृद्धि हो गई है। राज्य व्यापार निगम के अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी, पुत्री अथवा अन्य सम्बन्धियों के माध्यम से निजी व्यापार करने के बारे में भी जांच की जानी चाहिये क्योंकि इस समय ऐसा किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे मामलों में उनकी सांठ-गांठ के बगैर कुछ नहीं होता। अन्यथा ऐसी बातें नहीं हो सकती।

विदेशों से आने वाले अनेक व्यक्तियों की पूरी तरह जांच नहीं की जाती है। ये ही लोग चोरी छिपे सामान विदेशों से लाते हैं। इस सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये।

जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपा गया है। प्रशासनिक विभागों के सब अधिकारी एक दूसरे को जानते है अत: जांच का कोई परिणाम निकलने की सम्भावना मालूम नहीं होती है केन्द्रीय जाँच ब्यूरो अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगा ? प्रशासन द्वारा देश के हित में कार्य न करने का क्या कारण है ? यह खुले आम कहा जाता है कि यदि रिश्वत नहीं दी गई तो कोई भी कार्य प्रशासन स्तर पर पूरा नहीं हो सकता है। चिथड़ों का घोटाला इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। चिथड़ों के घोटाले के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है ? प्रतिवेदन एक महीने के भीतर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये। और उसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिये तथा उस पर विचार अथवा चर्चा की जानी चाहिये।

कच्चे माल की सप्लाई कारखानों में काम कर रहे हजारों बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये अत्यावश्यक है। अत: कच्चे माल की गांठे शीघ्र छोड़ दी जानी चाहिये।

कारखानों को कच्चा सामान देने के बारे में सरकार की क्या योजना है इसकी भी जांच होनी चाहिये।

श्री एल० एन० मिश्र : जांच के लिये समय सीमा निर्धारित करना कठिन होगा। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी ही बता सकते हैं कि उन्हें जांच करने में कितना समय लगेगा।

गांठों को छोड़ने के बारे में कोई साक्ष्य का प्रश्न नहीं है। इस बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरों ही कुछ कहने की स्थिति हो सकता है। मेरा हमेशा यह प्रयास रहेगा कि हमारे उद्योग इसके परिणामस्वरूप प्रभावित न हों।

राज्य व्यापार निगम प्रतिस्पर्धात्मक दर पर चिथड़े खरीदने की व्यवस्था करता है। राज्य व्यापार निगम को चिथड़ों के लिये दिये गये लाइसेंसों पर पहनने योग्य कपड़ों के आयात

[श्री एल० एन० मिश्र]

की सम्भावना थी और इसी कारण से सीमा शुल्क कलक्टर, बम्बई को निगम ने 27 मई, 1971 को पत्र लिखा था जिसमें एक अन्तर विभागीय समिति की स्थापना का सुझाव दिया गया था जो चिथड़ों की निकासी से पूर्व उनकी जांच करे । क्योंकि राज्य व्यापार निगम आयातित माल का भारत में पहुंचने पर निरीक्षण नहीं करता । वह माल के बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ है । राज्य व्यापार निगम 3 प्रतिशत की दर से साधारण कमीशन लेता है । (अन्तर्बाधाएं)

राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के आचरण के बारे में जाँच की जा सकती है लेकिन राज्य व्यापार निगम प्रशंसनीय कार्य कर रहा है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : A big ccandle regarding rags has come to light. Ready-made garments have been imported for the last five years with the concurrence of Foreign Trade Ministry in the name of rags. I do not understand what short of this export policy is under which pressure is being put for increasing export but no efforts are made to get the raw rags available. The hon. Minister has stated that the traders are responsible for bringing these shoddy rags and they are corrupt. But the responsibility of the Government cannot be deried in this regard. It has been announced that C.B.I. will make an enquiry in the matter. I know that after the inquiry C.B I. will catch the small bussnessmen but it will not touch the big monopolists. I am of the view that a Parliamentary Committee should be appointed to go into this scandle. C. B. I's. assistance may be taken by the Parliamentery Committee and the persons found guilty should be punished. The report of the Committee should be placed on the Table of the House. May I know whether Government have purmitted the 26 shoddy mill owners to take delivery of their consignments ? I also want to know whether the customs Department have been directed to cut or tear of the goods before delivery to the parties ? The Governmentt should confiscate the goods of other businessmen. It should follow one policy for all and should fix uniform standards.

I want to know what steps will be taken to enable the factories to work so long as their goods will be lying at the customs office ? This dispute has been going on for the past several months and no decision has been taken in this regard so far. The list of goods seized may be prepared for proof. The persons responsible for this corrupt practice must be punished. Steps should be taken to prevent corruption and the labourers should not be allowed to suffer.

Shri L, N. Mishra : Sir, we are as much worried about the interest of this industry and the interest of the labourers as the hon. member. We have tried our best to find out some solution in this regard. We have to hear the criticism in this matter. We thought that it would have been better if C. B. I. had made any enquiry in this matter. No body should try to interfere in this matter. We would take steps according to the recommendations given by the C. B. I. after the enquiry.

This year we have exported woollen garments worth more than 34 crores of rupees and not 14 crore rupees. We have got a solid scheme for exporting garments.

It is true that goods in such a large quantity have been seized for the first time (*interruption*). It has been so happening since 1968. These factors are mainly responsible for it. Firs'ly, imposing taxes; secondly, imposing duties; and lastly, the wool has become 250 times dearer that so when it became difficult for the people to import costly wool, they began to indulge in this bussiness. It is correct that strict action should be laken in this matter. The Government have not given any concession to anyone in this regard.

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मन्त्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रेस की जानकारी में आने से पहले सरकार ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : * * *

अध्यक्ष महोदय : यह चीज सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं की जायेगी। कोई भी सदस्य मेरी अनुमति के बिना न बोले।

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : इस सम्बन्ध में पूरी जांच की जानी चाहिए। मेरे विचार से जांच में अधिक समय नहीं लगेगा। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जाँच का हम स्वागत करते हैं।

भविश्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए माननीय मन्त्री को अपने गुप्तचर विभाग से इस बारे में पूरी जाँच करानी चाहिये। माननीय मन्त्री द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में भी मैं जानना चाहूंगा।

श्री एल० एन० मिश्र : इस बारे में अभी हमने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। हम इस बारे में जांच करेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have requested that a Parliamentary Committee may be appointed.

Mr. Speaker : A vigilance wing may be set up in the Parliament itself.

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

मद्रास हवाई अड्डे पर संसद सदस्य श्री के० कृष्णन मनोहरन पर कथित आक्रमण

श्री के० मनोहरन : (मद्रास—उत्तर) अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संसद के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये दिल्ली आते समय मीनाम्बकम हवाई अड्डे पर घटी घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। लगभग 30 गुण्डे† ......

श्री जी० विश्वनाथन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (अन्तर्बाधाएं)।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर लें उसके बाद मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

श्री जी० विश्वनाथन : व्यवस्था का प्रश्न उनके भाषण समाप्त करने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता (अन्तर्बाधाएं)।

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

*Not recorded

†अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया

†Expunged as ordered by the Chair

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री जी० विश्वनाथन द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न उचित प्रतीत होता है ।

श्री जी० विश्वनाथन : *

श्री के० मनोहरन : मैं उन व्यक्तियों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने मुझ पर हमला किया था । श्री सेझियान, श्री आर० सी० मुत्तु भी उन लोगों के नाम जानते हैं *

श्री जी० विश्वनाथन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपा भाषण में बाधा न डालें मैं आपको बाद में बोलने का अवसर दूंगा ।

श्री जी० विश्वनाथन *

श्री के० मनोहरन : * जैसे ही मैं कार से उतरा दो गुण्डों ने मेरी गिरहबान पकड़ ली और कुछ लोगों ने मेरा गला दबाने का प्रयास किया यह सब पूर्व निर्धारित योजना थी । यह सर्वविदित है कि मैं ए०डी०एम०के० दल में शामिल हो गया हूं और तमिलनाडु मन्त्रिमण्डल की भ्रष्टाचार और अलोकतन्त्रता की नीतियों के विरुद्ध उक्त दल को पूर्ण समर्थन देता हूं (अन्तर्बाधाएं) दो दिन पूर्व लगभग 200 लोगों का एक दल मद्रास में मेरे घर मुझे डराने आया और मुझे अपनी इच्छानुसार कार्य करने से उसने भी रोका (अन्तर्बाधाएं) मुझे श्री करुणानिधि के विरुद्ध कार्य करने पर मारने तक की धमकी दी गई (अन्तर्बाधाएं)

श्री जी० विश्वनाथन : *

श्री एस० एम० बनर्जी : *

श्री जी० विश्वनाथन : *

श्री के० मनोहरन : कल हवाई अड्डे पर मुझे मारने का प्रयास किया गया था । मेरी समझ में यह नहीं आता कि ये लोग पुलिस की जानकारी के बिना हवाई अड्डे पर कैसे पहुंचे । मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि मुख्य मन्त्री के डर से पुलिस की भी गुण्डों के साथ साठ-गांठ थी । *

श्री विश्वनाथन : कल ही दिल्ली में एक जनसंघ के विधायक को पीटा गया था । क्या वह यह कह सकते हैं कि प्रधान मन्त्री ने कुछ व्यक्तियों को उन्हें पीटने के लिए भेजा था । (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसी बातों का उल्लेख न करें ।

श्री के० मनोहरन : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सभा को इस मामले को विशेषाधिकार के मामले के रूप में स्वीकार करना चाहिये जिससे तमिलनाडु की पुलिस को उन संसद सदस्यों

अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया

*Expunged as ordered by the Chair.

की सुरक्षा के लिये पर्याप्त निर्देश दिये जा सकें जिन पर श्री करुणानिधि के नेतृत्व में सत्तारूढ़ दल के सदस्य हमला करें।

श्री जी० विश्वनाथन : श्री कृष्णन भी इस सभा के सदस्य हैं। वह भी उसी विमान से यहां आये हैं। आप उनकी बात भी सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : जब कभी भी संसद के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये आते समय किसी सदस्य पर हमला किया जाता है तो उस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है।

श्री के० मनोहरन : इस कमीज से पता लगता है कि मेरे साथ पुलिस ने कैसा व्यवहार किया।

श्री एच० एम० पटेल : इस प्रकार की शिकायत केवल किसी विशेष मामले तक ही सीमित रहनी चाहिये। इससे अधिक इस समय नहीं लिया जाना चाहिये।

आप यह कह सकते हैं कि कुछ शरारती लोगों ने आप पर आक्रमण किया। *

फिर भी यह कहा जा सकता है कि कुछ लोगों ने उन्हें यहां आने से रोका था, उनके साथ मार पिटाई की गई थी। मेरे विचार में दूसरा भाग वृत्तांत से निकाल देना चाहिए। आप इस पर विचार करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : संसद सदस्य की हैसियत से मैं अपने चुनाव क्षेत्र में एक सभा में भाषण करना चाहता था। किन्तु मुझे मार डालने का प्रयास किया गया था। इस बारे में मैंने आपको एक पत्र लिखा था जो आपको लगभग एक महीने बाद मिला। क्या इस मामले में तमिल नाडु सरकार से कोई पत्र व्यवहार किया गया है या आप इस मामले को इसी रूप में यहाँ उठाने की अनुमति देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्नों पर हम बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं। जब संसद का सत्र नहीं होता है तो किसी माननीय सदस्य का यहां आने का प्रश्न ही नहीं उठता (व्यवधान)। ऐसे मामलों में हम वस्तुस्थिति जानने के लिए मामला मंत्री महोदय के पास भेज देते हैं। फिर भेजी गई जानकारी सदन में पेश कर दी जाती है ताकि सदन उसपर निर्णय ले सके। ऐसे मामलों में अध्यक्ष के पास कोई विकल्प नहीं होता। इस मामले को भी मैं सदन में पेश करता हूं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : श्री बसु ने उल्लेख किया है कि उनपर हमला करने का प्रयास किया गया था। संसदीय गतिविधियां केवल संसद के सत्र में भाग लेने तक ही सीमित नहीं की जा सकती। कोई भी संसद सदस्य अपनी संसदीय गतिविधियों के दौरान अपने चुनाव क्षेत्र में जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले पर विचार कर सकते हैं और नियमों में संशोधन कर सकते हैं। जब किसी संसद सदस्यों को संसद के सत्र में शामिल होने से उसे रास्ते में ही रोका

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the Chair

[अध्यक्ष महोदय]

जाये तो इसे विशेषाधिकारों का उल्लंघन समझा जाता है मैं इस प्रस्ताव को सदन के सम्मुख रखता हूं। क्योंकि उन्होंने इस मामले की अपने स्पस्टीकरण में प्रस्ताव ही घोषित किया है।

फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : श्री पटेल की बात पर आपने अपना निर्णय नहीं दिया है...

अध्यक्ष महोदय : अवाछित भाग कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी : ** मैं इस मामले को सिद्धान्त रूप में उठा रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से तो मैं भी नहीं चाहता कि आप ऐसे आरोपों को यहां उठाने की अनुमति दें। परन्तु अब आप इसकी अनुमति दे रहे हैं। मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि क्या आप इसकी अनुमति दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया था। मैंने श्री मनोहरन से अनुरोध किया था कि इसे जाने दें। किन्तु फिर अन्य माननीय सदस्यों ने इस मामले को उठाया है। यह भाग सभा की कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा। मुख्य आरोप उन लोगों के विरुद्ध है जिन्होंने यह कार्य किया है। इस मामले पर सदन अपना निर्णय देगा।

श्री मनोहरन का विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव बहुत विशिष्ट होना चाहिए।

श्री समर गुह : मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। किसी भी संसद सदस्य के कर्त्तव्य पालन करते समय इस सदन को उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में ऐसा को पूर्वोदाहरण नहीं बनाना चाहिए जिससे इस सम्मानीय सदन के अधिकारों पर प्रभाव पड़े और इस मामले को तत्काल स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें राज्य के कुछ सम्मानीय व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया है और इस भाग को निकाल दिया जाना चाहिए। इस सदन को यह जानने का अधिकार है कि कौन से भाग सभा की कार्यवाही वृतान्त से निकाले गये हैं और तभी सदन इस मामले का उचित रूप से निपटारा कर सकता है।

श्री सेझियान : जब कभी सदन में ऐसे मामले आए तो उनके लिए एक समान कसौटा अपनाई जानी चाहिए।

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : As a matter of previous practice, I think specific information from Tamil-Nadu Government should be sought before considering this matter. You have pointed out that the name of Chief Minister has also been mentioned. I want this portion may be expunged. Why the police did not prevent private citizens from gathering there. It would be letter to take up this matter for proper disposal after getitng information from state Government.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री सेझियान जी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि ऐसे मामलों का समान और निष्पक्ष रूप से निपटारा नहीं किया जाता है। क्या इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह बड़ा व्यक्ति है और मैं एक छोटा व्यक्ति हूं।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

Expunged as ordered by the chair.

श्री एम० कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : अब दो बातें हैं । जहां तक निर्धारित की गई प्रक्रिया का सम्बन्ध है विशेषाधिकार का प्रश्न वहां उठता है जब किसी माननीय सदस्य को सभा की बैठक में भाग लेने से रोका जाता है । दूसले मामलों में विशेषाधिकार का प्रश्न वहां उठता है जहां सदस्यों पर हमला किया जाए जब कि संसद का सत्र नहीं होता है । सामान्यतः यह मामला विशेषाधिकार का नहीं था···

श्री ज्योतिर्मय बसु : संसदीय समिति का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में श्री मनोहरन कल रात चले थे और उनका आरोप है कि उन्हें मार्ग में रोका गया था । दूसरे मामलों में ऐसी घटनाएं उस समय हुई थी जब सदन का सत्र नहीं था । अब इसका निर्णय आप करे । मैं बैठक का आयोजन कर सकता हूं । इस मामले में भी मेरा अपना कोई निर्णय नहीं है । किन्तु मैं प्रचलित प्रथा से भिन्न कोई बात यहाँ प्रस्तुत नहीं करूंगा···(**व्यवधान**) । इसे सदा के लिए एक निश्चित प्रथा नहीं बनाया जाना चाहिए । भविष्य में इससे भी अधिक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है । इसलिए इस मामले में आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए । यदि आप चाहें तो इस मामले को अभी स्थगित किया जा सकता है । श्री महोहरन इसे बाद में प्रस्तुत कर सकते हैं । और यदि आप इसका विरोध करते है तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है । फिर भी इसे नियम नहीं बनाना चाहिए । इस मामले को व्यक्तिगत रूप में नहीं लिया जाना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा मामला इतना साधारण नहीं है । मेरी हत्या करने का प्रयत्न किया गया था । मेरे मामले में आपने इसे पश्चिम बंगाल सरकार के पास भेजने का निर्णय किया था जबकि यह आवश्यक नहीं है ।

अध्यक्षय महोदय : आपका मामला तो बिल्कुल भिन्न है । वह तो संसद के सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली आने के लिए हवाई अड्डे पर गये थे । पार्टी मीटिंग में जो झगड़े होते हैं उनका श्री मनोहरन के मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : श्री अजीत कुमार साहा इस सदन के सदस्य भी संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आसनसोल स्टेशन पर गये थे जब उनको वहाँ रोका गया था और उनके साथ मार पिटाई की गई थी । उनके मामले को भी आपने पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट लेने के बाद ही विशेषाधिकार समिति को सौंपा था । इस मामले पर भी उसी तरह की कार्यवाही की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः उस समय संसद का सत्र नहीं था ।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : दुर्भाग्य का विषय है कि माननीय सदस्य के विशेषाधिकार के प्रश्न को नजर अन्दाज किया जा रहा है । और इसके लिए स्वयं श्री मनोहरन भी जिम्मेदार हैं । फिर भी एक सदस्य के विशेषाधिकारों को कम नहीं किया जाना चाहिए । इस मामले को राजनीतिक दल के रूप नहीं दिया जाना चाहिए । डी० एम० के० दल के सदस्य अनावश्यक ही विरोध कर रहे हैं । इस विशेष प्रश्न को सदस्य के विशेषाधिकारों को दृष्टि में रखते हुए देखना

[श्री एस० ए० शमीम]

चाहिए कि क्या सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है। यदि यह प्रथम दृष्टया मामला है तो इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज देना चाहिए, और इस प्रश्न को सदन में नहीं उठाना चाहिए। इस बात में अन्तर किया गया है कि जब सदन का सत्र होता है और जब नहीं होता है। एक सदस्य तब तक ससंद सदस्य बना रहता है जब तक कि वह इस हैसियत से अपने कर्त्तव्य का पालन करता है। वह चाहे कही भी कार्य कर रहा हो और चाहे संसद का सत्र चल रहा हो अथवा नहीं, यदि उस पर हमला किया जाता है तो यह सदस्य के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। इसे विशेषाधिकार समिति को सौप देना चाहिए। इस मामले में दोहरी नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए।

संसदीय कार्य तथा नौ वहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : हमारे सामने तीन प्रश्न हैं। यह इस सदन के सदस्य की गरिमा से सम्बन्धित है। क्या यह मामला संसद के सत्र में भाग लेने के लिए आ रहे सदस्य को आने से रोकने और उसपर हमला करने का है ? इस सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया गया था जो की एक विशेष राजनीतिक दल का आन्तरिक मामला था, जिसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए श्री मनोहरन से मेरा अनुरोध है कि वह भी अपने प्रस्ताव को उचित रूप से संशोधित करें तथा तब पेश करें जिससे इस पर कार्यवाही की जा सके। इस मामले में विगत घटना की पूर्वोदाहरण नहीं बनाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : 'दोहरी नीति' का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब किसी सदस्य को इस सदन की सेवा में अपने कर्त्तव्य का पालत करने से रोका जाए तो स्पष्ट रूप से उसके विशेषाधिकार का उल्लंघन है। किन्तु यदि वह राजनीतिक दल के कार्यकर्त्ता के हैसियत में है तो यह नितान्त अलग बात है और इसमें विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता है। इस मामले में हमें कुछ अलग सिद्धान्त अपनाने होंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जो आप कह रहे हैं वह स्वयं परस्पर विरोधी है।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम में परिवर्तन कर दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो कुछ आपने कहा है वह अपने आप में परस्पर विरोधी है। हमें राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक उनके दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में जाने का प्रश्न है, मेरे विचार में यह संसदीय कर्त्तव्य नहीं है। और यदि ऐसा कोई नियम है तो माननीय सदस्य मुझे बता सकते हैं। अब केवल प्रश्न यह है कि जब भी सदस्य इस सदन की सेवा में अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिए जाए तो इसके लिए हम नियम बना सकते है कि जब कभी विशेषाधिकार का प्रस्ताव आए तो रिपोर्ट के लिए भेजा जाए या उसे अध्यक्ष के निर्णय पर छोड़ दिया जाए। यह मामला अब सदन के सामने है। इस सम्बन्ध में मैं कोई नीति नहीं बनाऊंगा।

श्री पीलू मोदी : विगत घटनाओं पर मैंने सुझाव दिया था कि ऐसे मामलों को सीधे विशेषाधिकार समिति को सौंप देना चाहिए, और हमें इस बारे में निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है। विशेषाधिकार समिति की दृष्टि में यदि कोई मामला विशेषाधिकार का नहीं है तो उसे वहीं समाप्त कर देना चाहिए। इससे सदन का समय बचेगा।

श्री राजबहादुर : ऐसी कोई सीधी बात नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि संसद सदस्य के साथ यहाँ से बाहर कोई घटना घट जाए और उसे विशेषाधिकार का मामला बनाकर यहां उठाया जाए जो ऐसे प्रस्तावों का कोई अन्त नहीं होगा। इसलिए ऐसे मामलों में स्पष्ट अन्तर करना होगा। इसके लिए निगम समिति तथा सामान्य उद्देश्यों सम्बन्धी समिति की बैठक बुलाई जा सकती है जिसमें माननीय सदस्य चर्चा कर सकते हैं कि ऐसे मामलों में क्या किया जाए। लेकिन यदि मेरा निर्णय चाहते हैं तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि क्या वह इस सदन की सेवा में अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा था अथवा नहीं।

श्री जी० विश्वनाथन : श्री साहा के मामले में आपने पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट के बाद ही उसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा था। इसलिए इस मामले में भी आपको तमिल नाडु सरकार के मत को जान कर ही इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रस्ताव प्रत्यक्ष और ब्यौरेवार होना चाहिए। समिति ही इस पर अपना निर्णय देगी इस मामले पर कल विचार किया जायेगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

ससंदीय कार्यविभाग में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : मैं श्री जगजीवन राम जी की ओर से नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) नौसेना (पेंशन) (पहला संशोधन) विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० क० आ० 180 में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल. टी-3337/72]

(दो) नौसेना औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (तीसरा संशोधन) विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० आ० 196 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नौसेना औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (चौथा संशोधन) विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० आ० 222 में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल. टी-3494/72]

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) दूसरा संशोधन नियम

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं श्री आर० के० खाडिलकर की ओर से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (5) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) दूसरा संसोधन नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 410 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3693/72]

पारपत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) पारपत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 397 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा० का० नि० 398 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा० का० नि० 411 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3692/72]

खान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) धातुकारी खान (संशोधन) विनियम, 1972, में जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 947 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कोयला खान (तीसरा संशोधन) विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 948 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी-3693/72]

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

भारतीय क्षयरोग संस्था की केन्द्रीय समिति

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय क्षयरोग संस्था के नियमों और विनियमों के खण्ड 3 (सात) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, डा० ए० जी० सोनार के स्थान पर जिनका निधन हो गया है, भारतीय क्षयरोग संस्था की केन्द्रीय समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय क्षयरोग संस्था के नियमों और विनियमों के खण्ड 3 (सात) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, डा० ए० जी० सोनार के स्थान पर जिनका निधन हो गया है, भारतीय क्षयरोग संस्था की केन्द्रीय समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य निर्वाचन करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The mation was adopted

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक के बारे में

RE. FOOD CORPORATION (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : श्री अण्णा साहिब शिन्दे उपस्थित नहीं हैं।

श्री सेझियान : यह गम्भीर मामला है। जब उन्होंने विधेयक पुनः स्थापित करने की सूचना दी है तब उन्हें संसद का मान रखना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्रालय में तीन मंत्री हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सदन के विशेषाधिकार का उल्लघंन है

श्री सेझियान : वह खाना तो नहीं देते। कम से कम विधेयक प्रस्तुत करते समय उन्हें यहां रहना तो चाहिए ही।

अध्यक्ष महोदय : यह दुःखद बात है। यदि वह दो मिनट में नहीं आते तो मैं इसका निरानुमोदन करूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं निश्चय ही क्षमा मांगता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मन्त्री महोदय को सभा का अवमान करने के लिये पुकारा जाना चाहिए और उन्हें दो दिन के लिये निलम्बित किया जाना चाहिये ।

श्री राज बहादुर : हम उनसे सम्पर्क करने की चेष्टा कर रहे हैं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मामले को इस प्रकार छोड़ा नहीं जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पुनः आना पड़ेगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : आज के लिये तो यह व्यपगत होता है । आपको निदेश देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनकी अनूपस्थिति का निरनुमोदन कर दिया था । मुझे बताएं कि मैं और क्या कर सकता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अभी पिछले ही दिन मुझे निलम्बित किया गया था । मन्त्री के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री समर गुह : निरनुमोदन का प्रश्न नहीं है ।

श्री राज बहादुर : श्री शिन्दे कर्त्तव्यशील मंत्री हैं । किसी कारणवश वह यहां नहीं आ सके हैं । परन्तु इसके लिये इतना शोर क्यों मचाया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इतना ही कर सकता हूं कि मन्त्री महोदय अनुपस्थित हैं । मैं इसका निरनुमोदन करता हूं ।

इन्दिरा गाँधी विश्वविद्यालय विधेयक
INDIRA GANDHI UNIVERSITY BILL

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिलांग में शैक्षणिक और सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि शिलांग में शैक्षणिक और सम्बद्धकारी विश्व विद्यालय की स्थापना और निगमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री एच० एन० मुखर्जी : विश्वविद्यालय के नाम का हम विरोध करते हैं । जब तक हम गरिमा के कुछ सिद्धान्तों को बनाये रखे हुए हैं तब तक हम अपने संस्थाओं के नाम जीवित व्यक्तियों पर नहीं रखने चाहिए । चाहे वह व्यक्ति देश का प्रधान मंत्री ही क्यों न हो । यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिस पर मैं इस अवसर पर विशेष बल दे रहा हूं । क्योंकि यदि देश में व्यक्ति पूजा की भावना बढ़ती है तो यह बहुत बुरी बात होगी । मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री को स्वयं इसका विरोध करना चाहिये । हमारा उद्देश्य शिलांग में शैक्षणिक विश्वविद्यालय स्थापित करना है । यदि उसका नाम अरुणांचल विश्वविद्यालय रखा जाये तो कितना अच्छा रहे ।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या इस नाम की प्रधान मन्त्री को जानकारी है और क्या वह इसकी अनुमति देती हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न कैसे है ?

श्री समर गुह : यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा। क्या इस नाम पर प्रधान मन्त्री की अनुमति है। क्या सरकार को किसी सरकारी संस्थान का नाम प्रधान मन्त्री अथवा राष्ट्रपति के नाम पर रखने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री समर गुह : यह प्रक्रिया सम्बन्धी मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रक्रिया सम्बन्धी मामला नहीं है।

श्री समर गुह : कोई इस्पात संयंत्र श्री कुमारामंगलम् के नाम पर बनेगा।

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्त शासी जिले) : क्या आज श्री के० मारक ने आपसे पत्र द्वारा अनुमति मांगी थी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे वह पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

यह मुझे संसदीय कार्य मन्त्री के माध्यम से अभी अभी मिला है। नियम के अनुसार ऐसे पत्र 10.30 से पूर्व आने चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जबकि आप यहां बैठे हुए हैं यह पत्र मंत्री महोदय को कैसे पहुँच गया।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : यह प्रति मुझे नामांकित की गई है।

श्री जी० जी० स्वैल : यह बड़ी अजीब बात है कि एक माननीय सदस्य अध्यक्ष को पत्र भेजते हैं तथा दो घंटे तक वह अध्यक्ष के पास नहीं पहुंचता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसी घटनाएं बार-बार होती हैं। पत्रों का उत्तर नहीं दिया जाता और विरोधी निर्णय लिये जाते हैं। हम यहां निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में आये हैं। हमें आपके अधिकारियों द्वारा नीचा नहीं दिखाया जाना चाहिए। पहले अल्प सूचना प्रश्न सीधे मन्त्रियों के पास जाया करते थे। वैसे ही आध घंटे की चर्चाएं भी। यह सचिवालय भी प्रधान मन्त्री का सचिवालय बन गया है। हमारे सचिवालय में गम्भीर अनियमताएं आ गई हैं। मैं सुझाव देता हूं कि इसकी जांच कराई जाये। पूरे सचिवालय का पुनर्गठन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में प्रस्ताव मेरे पास विधिवत भेज सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्ताव भेजूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर भेज दीजिये। मैं उसको देखूंगा।

श्री समर गुह : जब तक विधेयक पुरःस्थापित नहीं हुआ था तब तक कोई आपत्ति कैसे भेजी जा सकती थी। इस प्रकार उन्होंने ऐसा पत्र कैसे लिखा।

श्री जी० जी० स्वैल : आज प्रातः जब कार्यसूची प्राप्त हुई तो उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि श्री एच० एन० मुखर्जी विधेयक का पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करना चाहते हैं। श्री मारक ने तभी यह पत्र भेजा।

श्री एच० एन० बनर्जी : कार्य सूची में इसका उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रातः 10.30 बजे के बाद ऐसे पत्रों को कार्यालय में रखा जाता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उन्हें कैसे पता चला कि मैं प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं या श्री मुखर्जी कर रहे हैं।

मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता था। आपने विधेयक का समर्थन करने वालों को अनुमति नहीं दी थी। नियमों में व्यवस्था है कि यदि कोई सदस्य किसी विधेयक के पुरःस्थापित करते समय विरोध करने का नोटिस देता है तो केवल उसे ही बोलने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई इसका समर्थन करना चाहता है तो उसे कैसे बोलने का मौका दिया जा सकता है। विधेयक का बचाव करना मंत्री महोदय का कार्य है। वह श्री मुखर्जी का विरोध कर रहे हैं और मैं उनका विरोध करता हूं। क्या आप मुझे अवसर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का तर्क उचित है। कार्य सूची पहले से परिचालित की जाती है। विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने के विरोध का प्रस्ताव 10.30 बजे से पूर्व आना चाहिए था। इस मामले में प्रस्ताव 10.30 बजे से पूर्व प्राप्त हो गया था। ऐसी दशा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव की कार्य सूची में एक टाइप की हुई स्लिप लगा दी जाती है और किसी को इसकी जानकारी नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय से श्री मारक को पता चला और उन्होंने यह पत्र लिखा। सामान्यतः 10.30 के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाता है। यही नियम है जिसका हम पालन करते रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसा कहां निर्धारित है ?

अध्यक्ष महोदय : व्यवहार में हम ऐसा ही करते आए हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें कुछ भ्रम हो रहा है। यह कोई प्रस्ताव नहीं है अपितु मात्र एक पत्र है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने के विरोध की सूचना जैसे मैंने दी है ऐसे ही कोई विरोध करने वाला सदस्य देता···(**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : यह मात्र अनुमान हैं। सदस्य अत्यन्त उत्सुक है। यदि सदन चाहे तो मैं उन्हें अनुमति दे सकता हूं।

श्री समर गुह : यदि अध्यक्ष महोदय इस पत्र को स्वीकार करते हैं तो संसदीय कार्य संचालन पर इसके गम्भीर परिणाम होंगे।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण मामलों में प्रस्ताव समय पर आने चाहिए। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि सदस्यों और अध्यक्ष महोदय के मध्य शेष दिन कोई संचार का माध्यम ही न हो, यह स्वीकार्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जिस समय मैं सदन के अन्य कार्य करता हूं मैं उन्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ ?

श्री पीलू मोदी : इन्हें आपके मेज पर रखा जा सकता है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : ऐसी बातें सदन से बाहर कहीं भी की जा सकती है।

श्री पीलू मोदी : मैं श्री मुखर्जी की टिप्पणी को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

अध्यक्ष महोदय : किसी विश्वविद्यालय का नाम इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय रखा जाता है अथवा नहीं, इस पर व्यवस्था की कोई बात नहीं है।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री समर गुह : *

अध्यक्ष महोदय : आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

श्री समर गुह : *

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे ही बैठा रहता हूं।

श्री समर गुह : *

श्री समर गुह : मुझे एक निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा था कि आपका व्यवस्था का प्रश्न है, जिसे मैंने स्वीकार नहीं किया।

श्री समर गुह : आपने मुझे व्यवस्था का प्रश्न रखने की अनुमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपा करके बैठ जायें।

श्री समर गुह : यदि आप मुझे एक मिनट बोलने दें...

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे चुका हूं।

श्री समर गुह : मैं किसी चीज को चुनौती नहीं दे रहा हूं।

श्री सेझियान (कम्बकोणम): ये अपने पत्र के बारे में प्रश्न उठाना चाहते हैं, आपके निर्णय के बारे में नहीं।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में स्पष्ट निदेश हैं तो मैं इसे कैसे अनुमति दे सकता हूं।

श्री समर गुह : यदि आप मुझे एक मिनट की अनुमति दें तो मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न पर कुछ कहूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कुछ बातों के बारे में सुझाव देते हैं लेकिन निश्चित नियमों के होते हुए किसी विधेयक का विरोध करने सम्बन्धी कोई अनुमति इस समय नहीं दी जा सकती है।

श्री समर गुह : मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस बात की जानकारी उन्हें कैसे हुई ? इन्हें कैसे पता चला कि प्रो० मुकर्जी ने आपको 10.30 म० प० से पहले लिखा था कि वे इस विधेयक का विरोध करेंगे ? इससे आपके कार्यालय पर आक्षेप आता है कि समाचार कैसे बाहर निकलते हैं। अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी कैसे हो सकती है। गोपनीयता कहां तक रखी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : गोपनीयता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये गोपनीय नहीं होते। (व्यवधान)। इनका व्यवस्था का प्रश्न यह था कि प्रो० मुकर्जी के नाम का उन्हें कैसे पता लगा। इसमें गोपनीयता का कोई प्रश्न नहीं है। इसका पता उन्हें सचिव से लग सकता है अथवा मुझ से लग सकता है। कोई भी माननीय सदस्य विरोध कर सकता है। किसी प्रस्ताव के विरोध के मामले में ही ऐसा होता है, अन्य मामलों में नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब भी हम बोलना चाहें उसके बारे में हम अपने नाम आपको भेजते आ रहे हैं और दिन भर भेजते आ रहे हैं। आज आप इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। यदि कोई बोलना चाहे तो 10-30 बजे से पहले वह अपना नाम कैसे भेज सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव पुनःस्थापित करने के बारे में ही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है।

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : क्या माननीय सदस्य ने आपको विरोध करने के लिए लिखा है अथवा बोलने के लिये लिखा है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मुकर्जी ने कहा है कि वे इसका विरोध करेंगे। इस कारण उन्हे अनुमति दे दी गई है। यह केवल उन्हीं के लिये है जो अध्यक्ष को अग्रिम सूचना दें (व्यवधान)

माननीय सदस्य 5:0 हैं और मैं अकेला हूं। यदि ऐसा ही होता रहा तो कोई भी अध्यक्ष पद ग्रहण नहीं कर सकता। उन्हें इस आदमी पर दया करनी चाहिए। प्रतिदिन ये ऐसा करते रहते हैं।

प्रो० नुरुल हसन : मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस नाम का प्रस्ताव न तो केन्द्र के किसी मंत्री ने किया है और न ही प्रधान मंत्री ने किया है...

श्री समर गुह : इस नाम द्वारा ये अपने ही प्रधान मंत्री को पदावनत कर रहे हैं। उनके नाम का निरादर कर रहे हैं।

प्रो० नुरुल हसन : इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के नाम का प्रस्ताव मेघालय सरकार से आया है। प्रधान मंत्री का इस प्रस्ताव में कोई हाथ नहीं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : क्या नाम के बारे में मेघालय सरकार का सुझाव प्रधान मंत्री को बताया गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : और उनकी अनुमति ली गई थी।

प्रो० नुरुल हसन : यह प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय को बताया गया था...

श्री पी० जी० मावलंकर : प्रधानमंत्री को नहीं ?

प्रो० नुरुल हसन : यह विधेयक शिलांग में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए है। मैं सदन के सामने यह प्रस्ताव रखने जा रहा हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"शिलांग में शैक्षणिक और सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

प्रो० नुरुल हसन : मैं विधेयक को पुनःस्थापित करता हूं।

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक

FOOD CORPORATION (AMENDMENT) BILL

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य निगम अधिनियम 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"खाद्य निगम अधिनियम 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं विधेयक को पुनःस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till half past fifteen of the clock

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा 3 बजकर 35 मिनट म. प. पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at 15.35 hours.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1969-70 के उन्नीसवे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. NINETEENTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1969-70

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : Sir, Fifty Five Year Plan should assure supply of drinking water to every village and people belonging to scheduled castes and scheduled tribes have not to face the housing problem.

Attempts have been made since distant past to eradicate untouchability. It cannot be made until efforts are made to create social conciousness. Nothing has been done in this direction during the last twenty five years. A social revolution has to be ushered in through the medium of education. It is the responsibility of the Government to remove the economic backwardness of Scheduled castes and Scheduled Tribes. Discrimination against them should be stopped.

What are the reasons for committing atrocities with the harijans? Recent incidents of atrocities against harijans at Bauda in Poona District and Jeerapur clear out the fact that immediate action to punish the offenders is not taken and the victims have to tolerate all the injustice done to them. Stringent punishment should be given to those who commit the offences of untouchability. Government should pay serious attention towards putting an end to the atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes people and remove their economic backwardness.

Shri Anant Prasad Dhusia (Basti) : The report of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner is incomplete. Implementation report has also not been atached with this report. There is nothing new in the report. In fact, it is not a reportt at all. There is no mention df any scheme envisaged to remove the disabilities with which the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are suffering.

May I know whether any scheme have been formulated to remove inferierity complex from them. Their qualitles and social values should be taken as base for formulating schemes Nothing has been said on such important points in the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The officers of the said Department have not suggested any solution for giving immediate relief to these people. Nothing has been done for improving their economic condition uptill now.

Scheduled Castes and Scheduled Tribe people constitute one fifth of the total population of India. They are being subjected to exploitation. 1100 Harijans were killed between 1967 and 1969. Some people have threatened to kill Harijan M.Ps and Members of Legislative Assemblies May I know whether there is no end to it. Nothing has been said in the report to stop these atrocities on these people. Only big people are getting justice. The report of the Commission should be written again with the help of representatives of these communities.

उपाध्याक्ष महोदय : आप अपना भाषन समाप्त करें।

Shri Anant Prasad Dhusia : Socialism and nationalism cannot make much headway unless the evil of untouchability is removed. Some steps should be taken for the upliftment of these people.

श्री सांगलियाना (मिजोरम) : श्रीमान इस रिपोर्ट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की समस्याओं की जड़ तक जाने तथा उन को दूर करने के लिए भरसक उपाय सुझाये गये हैं। कम से कम संविधान में तो अल्पसंख्यकों को पूरा

संरक्षण दिया गया है यद्यापि वास्तव में ऐसा नहीं है। संविधान में इन लोगों के साथ होने वाले सामाजिक अन्याय तथा शोषण को दूर करने का उपाय किया गया है। प्रतिवेदन का सावधानी से अध्ययन करने पर यह पता लगता है कि इन जातियों के हितों की रक्षा के लिए किये गये उपायों से वांछित परिणाभ प्राप्त नहीं हुए है। इसमें अभी बहुत अन्तर है।

इन लोगों के सुधार के लिए बनाई गई योजनाओं के असफलता रहने का मुख्य कारण यह है कि इन योजनाओं की क्रियान्विति का कार्य ऐसे लोगों को सौंपा गया है जो अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति नहीं समझते है। और जिसमें दूरदर्शिता का प्रतिवर्ष अभाव है। अतः यही कारण है कि ये लोग अभी भी उतने ही पिछडे हुये है जितने की स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय के उनके सुधार के लिए अभी भी विशेष कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।

प्रतिवेदन में मिजोरम के बारे में वहुत कम उल्लेख किया गया है। मिजोरम में संचार सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। यही कारण है कि देश के अन्य भागों से बहुत कम लोग वहां जाते हैं, 1966 में ऐजल, जो कि मिजोरम की राजधानी है, को सिल्चर से सड़क पर जोड़ा गया था। मिजोरम की 200 मील लम्बी सीमा बर्मा से तथा 100 मील की सीमा बंगलादेश से मिलती हैं। वहां के लिए कोई विमान सेवा भी नहीं है हांलाकि एक हवाई पट्टी वहां पर बनी हुई है। हवाई पट्टी की मरम्मत की जानी चाहिए और विमान सेवा चालू की जानी चाहिए। यदि सरकार ऐसा प्रबन्ध कर सके जिससे चटगांव से लुंगलेयी को आवश्यक वस्तुएं सप्लाई की जा सके जैसाकि विभाजन से पूर्व होता था तो दक्षिण मिजोरम के लिए यह बहुत अच्छा होगा। इसमें वहां के लोगों को बहुत लाभ होगा।

यह ठीक है कि मिजोरम में पढ़े लिखे लोगों को संख्या 54.9 प्रतिशत है। परन्तु उच्च शिक्षा के मामले में वहां के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। वहा पर केवल तीन कालेज है। वहां पर विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। वहां के किसी भी विद्यार्थी से उच्च शिक्षा के लिए अभी तक छात्रवृति नहीं दी गई है।

खेल के मैदान में मिजोरम के लडकों ने काफी प्रगति की है। पूर्वी भाग से हाकी की जो टीम चुनी गई थी उसमें मिजोरम के 9 व्यक्ति थे। इन लोगों को अधिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अखिल भारतीय खेलों में इन लोगों को अधिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। इससे देश में एकता भी बढ़ेगी। संयुक्त समिति में यह सुझाव दिया गया था कि ईसाई तथा इस्लाम धर्म को जो लोग अपना लेते हैं उसको अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के सदस्य नहीं समझा जाना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि किसी कार्य को अपना लेने से लोगों का पिछडापन दूर नहीं हो जाता। यदि इस सुझाव को क्रियन्वित किया गया तो मिजोरम में केवल पांच प्रतिशत लोगों को ही अनुसूचित जन जाति संबन्धी लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सुधार के लिए किये जाने वाले उपायों से इन लोगों को अधिक से अधिक सम्बद्ध किया जाना चाहिए। मेरा यही सुझाव है।

Shri Hari Singh (Khurja) : I thank you for affording me an opportunity to speak on the report of Scheduled Caste and Schedule Tribes Commission for the years 1969-70.

The evil of untouchability is a blot on the Hindu Society. This blot should be removed for ever. We are thankful to the Congress Government for launching a compaign after independence for the upliftment of the Harijans. But the condition of the Sweepers is the same. There is no body in the Municipal Bourds to bear the grievances of the Sweepers. Special attention should be paid to the uplift of the Sweepers.

Untouchability still prevails in the villages. It is on the increase are there. It should be checked. In cities it has been removed to same extent.

Harijans are still becoming the victims of money lenders. The Govenment should give interest free loan upto five thousand rupees to each person so that they can be freed from the clutches of the money lenders. Big firms should be asked to give the agencies for their products to the Co-operative Societies formed by Harijans. In this way we can improve their economic conditions.

The work of distribution of land to Harijans should not be left over to Zila Parishads, The Government should itself do this work. The Panchayats and Zila Parishads are not taking this works seriously.

The incidents of atrocities on Harijans have increased during the last three or four years. The Government should take necessary steps in this direction.

The quota reserved in the services for Harijans is never filled. This quota has not been filled in Civil Avitation and Indian Airlines. 1 have drawn the attention of the hon. Minister in this regard. A Commission or Board should be appointed to look into the matter.

The system of Bonded labour is stiil prevailing in Bihar and Uttar Pradesh. The practice should be done away with, The problems of Harijans should be taken up seriously and solved.

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वैलौर) : मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह प्रतिवेदन 1971 के अन्त में प्रस्तुत किया गया था और इस पर अब 1972 के अन्त में चर्चा की जा रही है। इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं।

समान कल्याण विभाग का स्तर बढ़ाकर इसे एक अलग पंचायत का रूप दिया जाना चाहिए। यह मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होना चाहिए तभी यह कुछ प्रभावशाली कार्य कर सकेगा।

आयुक्त अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त कर सकता है वह सम्बन्धित रिकार्ड भी एकत्र कर सकता है। परन्तु रिपोर्ट के अध्याय 10, पैरा 12 में कहा गया है कि अधिकारियों को ऐसे निर्देश नहीं दिये गये हैं और इस कारण आयुक्त अपने कार्य के साथ न्याप नहीं कर सका। आयुक्त के पद को मुख्य चुनाव आयुक्त तथा सेवा लोक सेवा आयोग के समान किया जाना चाहिए। तथा वह अपने कार्यों में निष्प-निर्णय दे सकेगा। पहले राज्यों में सहायक आयुक्त इसकी सहायता करते थे। परन्तु अब इन पदों को खत्म कर दिया गया है। जब मैंने इस प्रश्न को पहले उठाया था तो तत्कालीन मंत्री श्रीराम ने कहा था कि यदि आयुक्त चाहे तो इन पदों को पुनः बनाया जा सकता है। मैं

जानना चाहता हूं कि इस बारे में अब तक क्या हुआ है। शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं। इससे पता लगाता है कि सरकार इस चर्चा को कितना महत्व दे रही है।

अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन-जातियों में शिक्षा बढ़ने तथा उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रश्न यह है कि हम इस लक्ष्य की प्राप्ति में किस हद तक सफल हुए हैं।

मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए छात्रवृति की राशि 20 वर्ष पहले निर्धारित की गई थी। उसमें अभी तक कोई वृद्धि नहीं की गई है। छात्रवृति की राशि में वृद्धि की जानी चाहिए।

अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली विदेशी छात्रवृतियों की संख्या भी बहुत कम है। 1968-69 में 323 छात्रवृतियों में से इन लोगों को केवल 8 छात्रवृतियाँ दी गई थी 1969-70 में इनकी संख्या 11 थी। पहले मैट्रिक पास की शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार छात्रवृतियाँ देती थी अब यह कार्य राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है।

तीसरी पंच वर्षीय योजना में बेकार भूमि को खेति योग्य बनाने तथा कृषि मजदूरों के पुनर्वास की योजना बनाई गई थी। अब इस योजना को भी राज्यों को सौंप दिया गया है।

विदेशों में शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के चयन में बड़ा विलम्ब किया जाता है। दूसरे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बहुत कम विद्यार्थियों को इसके लिए चुना जाता है। 1970-71 में 300 छात्रवृतियों के लिए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के केवल 5 विद्यार्थियों को ही चुना गया था।

छूआछूत को दूर करने के लिए सरकार ने एक अधिनियम बनाया है। हाल में इस में कुछ संशोधन भी किया गया है ताकि इसको अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। परन्तु यह बुराई अभी भी न केवल गांवों में बल्कि शहरों में भी विद्यमान है।

आयुक्त ने अध्याय 8 में विभेद की घटनाओं का उल्लेख किया गया है।

दो मास पूर्व कस्तूर बाई विद्यालय की एक हरिजन छात्रा की रहस्य पूर्ण परिस्थितियों में हत्या हुई। उसकी लाश कुएं में से बरामद हुई। राजस्थान में 10,000 हरिजन परिवार सवर्ण हिन्दुओं के अत्याचारों के कारण आज भी असुरक्षित है। पंजाब में एक 16 वर्षीय कन्या को नग्न करके सवर्ण हिन्दुओं ने बाजार में घुमाया। उडीसा में 2000 आदिवासी लड़कियों को ठेकेदारों ने बेचा। उत्तर प्रदेश के मनोहर पुर ग्राम में भी स्त्रियाँ अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रही हैं। हम अणु शक्ति के युग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं अन्य किसी भी देश में नहीं होती हैं। परन्तु हमारे देश में संविधान के लागू होने के 25 वर्ष पश्चात भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मंत्री महोदय को हमें बताना चाहिये कि इन दुखद व असभ्य बातों को समाप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। यह भी बताया जाए कि सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से भी पता लगाये कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं।

[श्री आर०पी० उलगनम्बी]

एक विशेष समुदाय के लोगों को अपने सिरों पर रख कर मल ढोना पड़ता है। क्या यह एक लज्जाजनक बात नहीं है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को इस प्रथा को तत्काल समाप्त करना चाहिये।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त ने अस्पृश्यता जाति प्रथा आदि दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाये हैं। उन पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये। मद्रास नगर में एक परम्परा के अनुसार नगर के महापौर का पद बारी से एक हरिजन को भी दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार को सभी राज्य सरकारों को कहना चाहिये कि इस परम्परा का हर स्थान पर पालन किया जाये जिससे कि हरिजनों को महापौर बनाने का अवसर मिल सके।

हमारे देश में इतने गवर्नर हैं परन्तु उन में से कोई भी हरिजन नहीं है। इसी प्रकार देश के अनेक राजदूतों में से एक भी हरिजन नहीं है। क्या उनमें से कोई भी इन पदों के योग्य नहीं है। सरकार को अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से राज्यपाल, राजदूत और महापौर नियुक्त करने चाहिए।

राज्य सभा में एक भी सदस्य अनुसूचित जाति। जनजाति का नहीं है। यही स्थिति राज्यों की विधान परिषदों की है। लोक सभा और विधान सभाओं के सम्बन्ध में तो संवैधानिक संरक्षण है परन्तु राज्य सभा व राज्यों की विधान परिषदों के सम्बन्ध में कोई संरक्षण नहीं है। सरकार को इस दोष को भी दूर करना चाहिए।

इस अस्पृश्यता दूर करने की बात करते हैं परन्तु जाति प्रथा को, जोकि अस्पृश्यता का मूल कारण है, दूर करने की बात हम नहीं करते हैं। अतः अस्पृश्यता को दूर करने के विचार से उसके मूल कारण को दूर करना चाहिए। इस दिशा में अन्तर्जातीय विवाहों को सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस प्रकार के विवाह करने वालों को स्वर्ण पदक, नकद इनाम, नौकरी के अवसर आदि में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

श्री डा० बसुमातारी (कोकरा झार) : श्रीमन हम हर बार इस प्रतिवेदन पर विचार करते हैं परन्तु उसके परिणाम कुछ भी नहीं निकलते हैं। संविधान के अनुच्छेद का प्रयोजन पद दलित लोगों की दशा सुधारना और निर्धारित समय के भीतर उन्हें समाज के उन्नत वर्गों के समकक्ष लाने का है। परन्तु जब तक हम समाज के भीतर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक इक सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सकता।

संसदीय समिति का गठन 1968 में हुआ था और इसने अधिकारियों की सहायता से अनुसूचित जातियों / जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन की विस्तृत जांच की। परन्तु हमें पता था कि आयुक्त को सभी शक्तियों से वंचित कर दिया गया है अतः इस दिशा में कुछ नहीं होगा।

श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए

Shri R. D. Bhandare *in the Chair*

अनुसूचित जातियों/जनजातियों की कल्याण विषयक समिति ने स्थिति को देखते हुए यह सुझाव दिया गया था कि यह कार्य गृह मन्त्री अथवा प्रधान मन्त्री को सौंपा जाए। इसके साथ

ही इस कार्य में राज्य सरकारो को प्रभावित करनें की भी बात है अतः यह कार्य यदि प्रधान मंत्री के पास होगा तो राज्य सरकारें इसके प्रति गंभीर होंगी।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि सरकार ने इस बारे में कभी गम्भीरता नहीं दिखाई है। अपितु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई हैं। समय समय पर आयोग गठित किए गये हैं। उन्होंने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। परन्तु वह प्रतिवेदन प्रतिवेदन ही रहे उन्हें अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया।

देश भर के आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल-कालेज खोले गए हैं। सड़कें बनाई गई हैं 1960 में जो स्थान जगंल थे अब वह कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित हो चुके हैं। परन्तु उन स्कूलों में आदिवासियों के बच्चों की प्रतिशतता एक-दो ही है। इन का लाभ सवर्ण हिन्दू ही उठा रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि इन स्कूल-कालेजों में आदिवासी ही पढ़े परन्तु कुछ तो न्याय अवश्य होना चाहिए। जो धन अनुसूचित जातियों/जनजातियों के नाम पर व्यय किया जाता है उसका लाभ भी उन्हीं को अवश्य होना चाहिए।

सारे भारत की साक्षरता की दर 34 प्रतिशत है परन्तु आदिवासियों की साक्षरता दर केवल 8 प्रतिशत है। आदिवासी तो जंगलों में रहते हैं परन्तु अन्य अनुसूचित जातियां तो जंगलों में नहीं रहती। उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधारी जाती हैं ?

तमिलनाडु के किलावनमार्ग स्थान पर 45 हरिजन लड़कों और लड़कियों को आग में जीवित जला दिया गया था। वहां के मुख्य मन्त्री ने इस घटना पर खेद प्रकट किया था। हमें इकट्ठे होकर इस दिशा में शीघ्र कार्य करना चाहिये।

अन्त में मैं प्रधान मन्त्री से यह अनुरोध करता हूं कि यह विभाग गृह मन्त्रालय के अंतर्गत लिया जाये। इस विभाग के वर्तमान प्रभारी मन्त्री के मैं विरुद्ध नहीं हूं परन्तु इस अनुरोध का आधार यही है कि अनुसूचित जातियों/जन जातियों के कल्याण का कार्य राज्य सरकारों के माध्यम से होना चाहिए। अतः यह विभाग प्रधान मन्त्री के अधीन होना आवश्यक है ताकि इन लोगों के हितों की ओर ठीक तथा अधिक ध्यान दिया जा सके।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन (अडूर) : * हमारे संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अनुसूचित जातियों/जन जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को संरक्षण दिया जाये। इस उद्देश्य से भूतकाल में अनेक संसदीय समितियों और आयोगों का गठन किया गया है। इन सभी का यह निष्कर्ष था कि प्रगति बहुत ही कम हुई है।

किसी समाज की उन्नति मापने का मानदण्ड समाज की शिक्षा, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियां हैं। अनुसूचित जातियों / जन जातियों के देखने से प्रतीत होता है कि उनकी प्रगति शून्य के बराबर है। सरकार उन की अवस्था अभी तक नहीं सुधार सकी है। उद्योग तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में इनकी स्थिति पहले की अपेक्षा और भी खराब हुई है।

***तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।**

***Summarized Hindi version on the English Translation of the speech delivered in Malyalam.**

[श्रीमती भार्गवी तनकप्पन]

कृषि के क्षेत्र में उन्हें वर्तमान कानूनी संरक्षण नहीं मिल सका है। परती तथा फालतू भूमि को सरकार अपने अधिकार में ले और भूमिहीन हरिजनों में उक्त भूमि का वितरण किया जाये। यदि यह नहीं किया गया तो भूमि सुधारों से कोई लाभ नहीं होगा।

उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में भी यह वर्ग पिछड़े हुए हैं। इन्हें बैंकों से ऋण नहीं मिलते हैं। नियमों में अर्याप्त संशोधन करके हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए कि इन वर्गों को समुचित ऋण प्राप्त हो सकें। तभी इनकी स्थिति में सुधार हो सकेगा।

आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी यह पिछड़े हुए हैं। अनेक अनुभव बहुत ही हृदय विदारक हैं। सवर्ण हिन्दु हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यह बहुत ही दुख की बात है कि आजादी के 25 वर्षों के बाद भी हम स्थिति को बदल नहीं सके हैं।

हरिजन छात्रों को शिक्षा के लिए दिये जा रहे भत्ते व छात्रवृत्तियों की राशि बहुत ही कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। और अधिक स्कूल खोले जायें जिससे कि अनुसूचित जातियों/जन जातियों के बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिल सके। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए सरकार द्वारा विदेशों में भी भेजा जाना चाहिए।

सरकारी सेवाओं में इन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है परन्तु सेवा में पदोन्नति के लिये आरक्षण न होने के कारण उन्हें उपेक्षित कर दिया जाता है।

अनुसूचित जातियों/जन जातियों के कल्याण विषयक आयोगों के प्रयासों से कोई सुधार नहीं हो रहा है अतः मेरा अनुरोध है कि इन वर्गों के स्तर को उठाने के लिए आवश्यक कानून बनाये जाए।

श्री के० एस० चावडा (पारन) : हम 1969-70 वर्ष के प्रतिवेदन पर वर्ष 1972 में चर्चा कर रहे हैं। कई बार यह अनुरोध किया गया है कि प्रतिवेदन हर वर्ष समय पर प्रस्तुत किया जाना चाहिये। सरकार हर बार इस विषय में आश्वासन दे देती है परन्तु उसे कार्यान्वित नहीं किया जाता है। 1970-71 और 1971-72 वर्षों के प्रतिवेदन अभी सभा पटल पर रखे जाने हैं 1969-70 वर्ष के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन भी सभा पटल पर कहीं रखा गया है। इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया था कि 'सरकार द्वारा विभिन्न सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त प्रतिवेदन नवम्बर-दिसम्बर सत्र में सभा पटल पर रखा जायेगा परन्तु इस आश्वासन को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

इस स्थिति में राज्य सरकारों से किस प्रकार संवैधानिक संरक्षणों को कार्यान्वित करने को कहा जायेगा। मैं फिर यही अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह आश्वासन दें कि प्रत्येक वर्ष यह प्रतिवेदन बजट सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

सरकार अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में असमर्थ रही है। हरिजनों को जिन्दा जलाने की घटनाओं और उनकी हत्याओं की घटनाओं में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। परन्तु सरकार ने इनको रोकने की दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

सरकार उन पर होने वाले अत्याचारों के बारे में ठीक जानकारी भी प्रदान नहीं करती है। मध्य प्रदेश में एक हरिजन लड़की को जीवित जलाने के बारे में मैं राज्य सभा में लगातार तीन सत्रों में प्रश्न पूछता रहा परन्तु सरकार ने अभी तक उस बारे में ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। मेरा सुझाव है कि हरिजनों पर होने वाले इन अत्याचारों की संख्या में वृद्धि के कारण का पता लगाने और उन्हें रोकने के उपायों का पता लगाने के लिये एक उच्च-शक्ति आयोग गठित किया जाए।

सरकार अनुसूचित जातियों/जन जातियों के छात्रों को मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्तियां देने की योजना को, केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में, जारी रखने में भी असफल रही है। यह योजना वर्ष 1944 से प्रारम्भ की गयी थी। परन्तु चौथी योजना के प्रारम्भ से ही यह योजना राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दी गई है। यह सरकार समाजवादी होने का दावा करती है परन्तु मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्तियों के लिए 6.46 करोड़ रुपये का उपबन्ध करने को तैयार नहीं है जबकि भूतपूर्व शासकों को अनुग्रह पूर्वक अनुदान के रूप में 10.75 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

तीसरी योजना के दौरान बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने और उसे भूमिहीन कृषक श्रमिकों को बांटने की केन्द्र प्रायोजित योजना लागू की गई थी। परन्तु इस योजना को भी राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है।

गन्दी बस्तियां साफ करने की योजना भी 1950 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में प्रारम्भ की गई थी। परन्तु इसे भी राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकारों को एकमुश्त ऋण और एकमुश्त अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है। परन्तु राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और जन जातियों के कल्याण कार्यों पर धन व्यय करने के बारे में अनिच्छुक एवं अनुत्साही हैं। अतः इन योजनाओं को केन्द्र आयोजित योजनाओं के रूप फिर से केन्द्र अपने अधीन ले ऐसा मेरा सुझाव है।

अनुसूचित जातियों और अनसूचित जन जातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की धन राशि को बढ़ाया जाना चाहिये। छात्रवृत्ति की यह राशि 20 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी और इसे तब से अब तक बढ़ाया नहीं गया है। हालांकि इस बारे में अनेक बार मांग उठाई गई है। समाज कल्याण मन्त्री ने फरवरी 1968 में मेरे एक पत्र के उत्तर में आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष से छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाने के प्रयास किए जायेंगे। 1969 में सदन को सूचित किया गया था कि यह विषय सरकार के विचाराधीन है। परन्तु इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण विषयक समिति ने भी इस विषय को उठाया था। समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया था कि छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि का प्रश्न विचाराधीन है। सरकार को मेरे इन सुझावों पर विचार करना चाहिये।

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki : Sir, I am grateful to you that I have been given a chance to express my views on the 19th Report of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. While considering this report, we should have to consider their present condition. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been exploited for ages from social, religious, cultural, economic and political point of view. Their condition is pitiable. Their basic needs such as, food, clothes and housing have not been met so far. There is wide gap between the rich and the Harijans in the country.

The social evils and superstitious are prevalent among them due to lack of education. We would have to change their mental outlook as well as their financial condition.

It is infortunate that Harijans are faced to work as begar. The Adivasi girls are sold even now and Harijan girls are raped. It is a matter of greater regret that the Harijans are brunt alive even in the silver jubillee year of our independence. Even the reserved quota earmarked for them in services is not adhered to. The facilities which we have provided to the Harijans during the past 25 years is only 5% of the requirement, because they had been exploited for centuries.

The attitude of our Prime Minister towards Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been sympathetic and helpful and she has always desired to solve their problems. The A.I.C.C. has also always supported the cause of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other minorities communities. I hope that whatever provision has been made in the report that would be spent honestly. I also request that the Prime Minister should herself take over the charge of the welfare of the Harijans.

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : Sir, the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are the problems of the weaker section of the society. The Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has suggested various measures forthe betterment of Harijan Community. The Government should take revolutionary steps to solve their problems basically.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

The social as well as economic condition of sweepers in rural areas is pitiable. We have given the slogan of Garibi Hatao, but uptill now due attention has not paid to solve the problems of the Harijans. The problem of Harijans is the problem of the per capita income as well as bringing the gap between the rich and the poor.

The Harijan girls are sold abroad even after 25 years of independence. The Central Govt. should take concrete steps to check such activities and an assurance to this effect should be given in the House.

It has generally been seen that a candidate contests the election only from the area where people belonging to a particular community or caste reside. I would like to suggest that the Government should take steps to check the growing tendency of casteism.

I would also suggest that a scholarship scheme should be introduced for the students belonging to the Scheduled Castes and Seheduled Tribes. The effective steps should be taken for their economic progress and equality of status in the society. Their mothre tongue and dialects shold be served to them in their mother tongue. The effective steps should also be taken to check the transfer, mortgaging the land to persons belonging to other castes and communities. The regional offices Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be reopened so that their problems could be solved in a better way.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट राष्ट्रपति को 29 जून, 1971 को पेश की गई थी और संसद में 22 दिसम्बर, 1971

को वह पेश की गई। इस रिपोर्ट के साथ वर्ष 1969-70 के लिए 'की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट' भी पेश नहीं की गई है। आयुक्त राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, अतः उसे "की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट" भी पेश करनी चाहिए। आयुक्त के प्रति राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं।

श्री शम्भूनाथ (सैदपुर) : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को प्रशासनिक और कार्यकारी अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

श्री बी० वी० नायक : संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख है। इस संवैधानिक अधिकारी का तह कर्त्तव्य है कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग करें और दोषी राज्य सरकारों के विरुद्ध कार्यवाही करे।

मुख्य मंत्री अथवा राज्य सरकार का मन्त्री संसद सदस्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। संसद सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हैं केन्द्रीय मन्त्री। अगर केन्द्रीय मन्त्रालय यह महसूस करते हैं कि भाषायी राज्यों के साथ कार्यवाही करने में कोई त्रुटि अथवा बाधा सामने आती है, तो उपयुक्त विधान द्वारा उस त्रुटि को दूर किया जाना चाहिए।

संविधान में उल्लिखित असुसूचित जातियों की व्याख्या भारतीय समाज में अस्पृश्य के के रूप में की जाती है। कुछ व्यक्ति इसे जाति प्रथा और वर्गों का संघर्ष मानते हैं और कुछ इसे अमेरिका में काले लोगों के प्रति भेदभाव के समान बताते हैं। मेरे विचार में जातीय भेदभाव के लिए कोई स्थान ही इसमें नहीं है। धर्म, जाति आदि किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सारा भारतीय समाज एक है और सभी भारतीयों में एक ही प्रकार का रक्त बहता है।

देश में आर्थिक समानता का प्रश्न अमीर और गरीब के बीच समानता लाने का प्रश्न है। सामाजिक एकता और व्यक्तियों को एक समान मानने के लिए किसी प्रकार के पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता है।

अस्पृश्यता के मामले में भी क्षेत्रीय असमानता है। समाज में समानता लाने के बारे में मुझे गर्व है कि मेरे क्षेत्र में सामाजिक समानता का सूत्रपात हो रहा है।

पैरा 1.57 और 1.58 में आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भूमि के पुनर्वितरण के समय उसे उत्पादक एकक बनाया जाय। भूमि की अधिकतम सीमा के लागू होने के बाद हम इस स्थिति में होने चाहिये कि भूमि का निम्नतम क्षेत्रफल तो वितरित कर ही सकें। इस बारे में मन्त्री जी स्पष्ट वक्तव्य दें।

मैसूर सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की है। उन्होंने लम्बनी को अनुसूचित जन जाति में शामिल करने का अनुरोध किया है। उत्तरी कनारा जिले की हलाकी वोक्काल जाति को भी अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया जाना चाहिए।

जो हिन्दू समाज की व्यवस्था 5000 साल तक अस्तित्व में रही है, उसे 25 वर्ष की अवधि में समाप्त नहीं किया जा सकता। परन्तु मुझे आशा है कि इस जाति प्रथा के समाप्त होने में अब अधिक समय नहीं लगेगा।

श्री के० मारक (तुरा) : मैं देश के एक पिछड़े भाग अर्थात् मेघालय की (गारो हिल्स) क्षेत्र का निवासी हूं और पहाड़ी जन जातियों में एक अत्यधिक पिछड़ी जन जाति से सम्बन्धित हूं ।

मैं पर्याप्त वित्तीय सहायता की ही मांग नहीं करता, बल्कि मैं सारे देश से सदभावना, सहानुभूति और बलिदान की भी अपेक्षा करता हूं ।

भारतीय नेताओं ने 'भारत छोड़ो' संकल्प दिया था और उसे पूरा कर दिखाया था । अब हम भी एक संकल्प लें कि हम अपने दिलों से बेईमानी और स्वार्थ को निकाल कर ही दम लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल भी जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 17 नवम्बर, 1972/26 कार्तिक, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, November 17, 1972/ Kartika 26, 1894 (Saka).